Page No.1

राजस्थान विधान सभा

८०वीं बैठक, सोमवार, दिनांक ११ अक्तूबर, सन् १९५४ ई०

विधान सभा की बैठक सभा भवन, जयपुर, में ४–५ (मध्यान्होत्तर) पर प्रारम्भ हुई

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष—प्रश्न, श्री रिद्धिचन्द पालीवाल।

प्रश्न संख्या १९४७

(प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १९४८

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित)

श्री अध्यक्ष—श्री चांदमल मेहता।

प्रश्न संख्या १९४९

डिप्टी इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल दौसा की योग्यता, सेवा-काल इत्यादि

श्री चांदमल मेहता—क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) डिप्टी इन्पेक्टर ऑफ स्कूल्स, दौसा, की क्या योग्यता है और कितने वर्षों की सर्विस है ?

(ख) उक्त अफसर की नियुक्ति डिप्टी इन्सपेक्टर के स्थान पर कब की गई ?

(ग) उक्त अफसर का सिलेक्शन करते वक्त क्या अन्य व्यक्तियों के प्रार्थना-पत्र भी आमन्त्रित किये गये थे ?

[श्री चांदमल मेहता]

(घ) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(ड) क्या यह सही है कि उक्त ऑफिसर से ज्यादा योग्यता और सर्विस वाले व्यक्ति मौजूदा हैं जिन्हें उक्त स्थान नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री भोलानाथ (शिक्षा मन्त्री)—(क) ट्रेन्ड ग्रेजुएट एम. ए. और एम. एड. हैं, सर्विस ६ वर्ष की है।

(ख) २५-७-५४ को इस पद पर नियुक्ति की गई है। (अस्थाई नियुक्ति है)

(ग) नहीं ।

(घ) अस्थाई नियुक्ति करते समय इस बात को आवश्यक नहीं समझा गया।

(ड) उनसे अधिक योग्यता वाला कोई व्यक्ति उनसे नीचे की जगह पर काम नहीं करता है। उनसे अधिक सर्विस वाले उनसे नीचे हो सकते हैं, लेकिन योग्यता में इस अफसर के समकक्ष नहीं होने के कारण उनको प्राथमिकता नहीं दी गई।

श्री चांदमल मेहता—उक्त महाशय डिप्टी इन्सपेक्टर होने से पहले किस स्थान पर काम करते थे ?

श्री भोलानाथ—उन्होंने बहुत जगह काम किया है। असिस्टेन्ट टीचर हाई स्कूल, हैडमास्टर मिडिल स्कूल, असिस्टेन्ट टीचर, एस. टी. सी. ट्रेनिंग स्कूल, लेक्चरर इन्टर कॉलेज।

श्री चांदमल मेहता—और अध्यापकों के आवेदन-पत्र आमन्त्रित किये बगैर मंत्री महोदय ने यह कैसे जानकारी प्राप्त कर ली कि उनसे ज्यादा योग्यता का कोई दूसरा व्यक्ति उनसे नीचे की ड ग्रेन हीं था ?

श्री भोलानाथ—उसका (ड) में जवाब दे दिया गया है।

श्री चांदमल मेहता—जवाब नहीं दिया गया है। यह जवाब दिया गया है कि नहीं था। आवेदन-पत्र आमन्त्रित नहीं किये गये थे, यह नहीं कहा। बिना आवेदन-पत्र आमन्त्रित किये ही मंत्री महोदय ने यह कैसे जानकारी प्राप्त कर ली कि उनसे ज्यादा योग्यता वाला व्यक्ति उनसे नीचे के स्थान पर काम करने वाला नहीं है। ?

श्री भोलानाथ—नौकर रखने से पहले रेकॉर्ड तैयार होता है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—तो क्या यह समझा जाय कि उत्तर कोई रेकॉर्ड के रूप में दिया जा रहा है ?

श्री भोलानाथ—रेकॉर्ड को देखकर जवाब दिया जा रहा है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि उक्त महाशय की योग्यता के बराबर योग्यता वाले और ज्यादा सीनियर व्यक्ति मौजूदा थे जिनको कि यह स्थान नहीं दिया गया ?

श्री भोलानाथ—यह सब बातें सोचकर नियुक्ति की गई है।

श्री चांदमल मेहता—तो यह सोचकर नियुक्ति की गई है तो बिना आवेदन-पत्र प्राप्त किये कैसे मालूम हो गया कि वह ज्यादा योग्य हैं ?

श्री भोलानाथ—प्रमोशन के सम्बन्ध में डिपार्टमेंट जिसको उचित समझता है उसको काम सौंपता है।

श्री चांदमल मेहता—डिपार्टमेंट के उचित समझने का आधार क्या है ? सीनियोरिटी, एबिलिटी, एक्सपीरियन्स का आधार होता है या उनके अलावा सिफारिश का भी आधार होता है।

श्री भोलानाथ—आपने सुनने की कोशिश नहीं की। (ङ) में जवाब दे दिया गया है।

श्री चांदमल मेहता—मैंने सुनने की पूरी कोशिश की और पूरी बात सुनता हूं। प्रश्न यह है कि उनके बराबर की योग्याता के आदमी मौजूद हैं, उनसे ज्यादा सर्विस वाले आदमी मौजूद हैं, तो फिर उनको इस स्थान पर नियुक्ति करने के लिए सरकार के पास क्या आधार है; या सिको सिफारिश का आधार था ?

श्री भोलानाथ—एम. एड. सबसे बड़ी योग्यता एजुकेशन की समझी जाती है।

श्री चांदमल मेहता—क्या माननीय मंत्रीजी को यह जानकारी है कि उनसे ज्यादा योग्यता के एम. ए. ट्रेन्ड डिपार्टमेंट में मौजूद हैं, जिनकी इनसे ज्यादा लम्बी सर्विस है ? उनको मौका नहीं देने का क्या कारण है ?

श्री भोलानाथ—इसका उत्तर प्रश्न के (ड) भाग में दिया जा चुका है, आपने उसको समझने की कोशिश नहीं की।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—क्या ऐसे मामलों में जब नियुक्ति की जाती है तब ज्यादा योग्यता वालों से प्रार्थना पत्र मांगे जाते हैं ?

श्री भोलानाथ—नहीं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—जब उनकी नियुक्ति की गई उस समय इनके साथ साथ कित लोगों के केसेज़ कंसीडर किये गये ?

श्री भोलानाथ—आपने उत्तर सुनने की कोशिश नहीं की। यह नयी नियुक्ति नहीं की गई है बल्कि प्रमोशन दिया गया गया है, और इसके लिये जो कार्यवाही करनी चाहिये वह की गई है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—He was selected out of how many cases which th Government had under consideration for this appointment?

श्री अध्यक्ष—The Hon'ble Minister has said that this is a promotion post.

श्री हरिकृष्ण व्यास—No, I am not asking about the application, Sir. I am asking that when Government chose to select the person to fill this promotion post, how many cases did it consider to decide as to who should be chosen?

श्री अध्यक्ष—The natural reply follows that all relevant candidates were taken into consideration.

श्री हरिकृष्ण व्यास—That is exactly what I am asking. How many were they?

श्री अध्यक्ष—You should seek information, rather than enter into discussion.

कुं० श्री जसवन्तसिंह—इनको प्रमोशन देते वक्त जो दूसरे ऑफिसर्स थे इस डिपार्टमेन्ट में उनकी एलिजिबिलिटी की भी जांच की गई या नहीं ?

श्री भोलानाथ—मैंने जवाब दिया था कि इनसे अधिक योग्यता वाले कोई भी नीची जगह पर काम नहीं कर रहे हैं।

श्री चांदमल मेहता—उनसे ज्यादा योग्यता वाले नीची जगह पर काम नहीं कर रहे होंगे पर इनके बराबर योग्यता रखने वाले जो इनसे सीनियर भी हैं नीची जगह पर काम कर रहे हैं उनको चान्स क्यों नहीं दिया गया, क्या इस चीज़ को जानने की कोशिश की गई ?

Page No.5

श्री भोलानाथ—यह जानने की जरूरत नहीं है।

श्री अध्यक्ष—Next question.

प्रश्न संख्या १६५०

वर्षा की कमी के कारण चारे की कमी तथा मवेशियों को चरने के लिए बाहर ले जाने के परमिट प्रदान करना

श्री **चांदमल मेहता**—क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि इस वर्ष बारिस की कमी की वजह से राजस्थान में चारे की बड़ी कमी है ? व राजस्थान के बाहर मवेशियों को चरने के लिये ले जाने के सरकार द्वारा परमिट भी नहीं दिये जा रहे हैं ?

(ख) यदि हां, तो क्यों ?

(ग) यदि नहीं, तो क्या यह बतलाने की कृपा करेंगे कि अराई तहसील में कितने व्यक्तियों ने राजस्थान के बाहर मवेशी ले जाने की आज्ञा के लिये प्रार्थना-पत्र पेश किये हैं जिन्हें परमिट नहीं दिया गया है ?

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया** (राजस्व मंत्री)—(क) अगस्त, १९५४ में वर्षा नहीं होने से चारे की कमी होने की संभावना थी, किन्तु सितम्बर माह में अच्छी वर्षा होने के कारण चारे की स्थिति में सुधार होने की आशा है।

(ख) और (ग)-परमिट देने के लिये रोक नहीं है। जो लोग दरख्वास्त देते हैं उनको परमिट दिया जाता है। एस. डी. ओ. किशनगढ़ के पास दरख्वास्त पेश होने पर परमिट जरूर दिये गये होंगे। कमिश्नर, एक्साइज़ और कस्टम को खाली चिट्ठी देने के लिये लिखा गया है।

श्री **चांदमल मेहता**—क्या यह सही है कि खाली-चिट्ठी लेना राजस्थान के लिये जरूरी है, बाहर के लिये नहीं दी जाती है ?

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया**—मेरा जहां तक ख्याल है राजस्थान के बाहर के लिये भी खाली चिट्ठी दी जाती है।

प्रश्न संख्या १९५१

किशनगढ़ तहसील के विभिन्न ग्रेड के अध्यापकों की वार्षिक आय-वृद्धि

श्री चांदमल मेहता—क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि किशनगढ़ सब डिविजन में अलग अलग ग्रेड के अध्यापकों के इन्क्रीमेन्ट अलग अलग तारीख को ड्यू होते हैं ?

(ख) यदि हां, तो यह बतलाने की कृपा करें कि किस किस ग्रेड के अध्यापकों के इन्क्रीमेंट किस किस तारीख को ड्यू होते हैं ?

(ग) ऐसे कितने अध्यापक हैं जिनको ड्यू डेट से इन्क्रीमेंट नहीं मिलकर बाद से शुरू किये गये हैं ?

(घ) उक्त देरी के क्या कारण हैं ?

श्री भोलानाथ (शिक्षा मंत्री)—(क) हां, सही है। किशनगढ़ सब डिविजन में ही क्या समस्त राजस्थान भर में अध्यापकों के इन्क्रीमेंट अलग अगल तारीखों को ड्यू होते हैं।

(ख) इन्क्रीमेंट की तारीख का सम्बन्ध किसी विशेष ग्रेड से नहीं होता है, अलग अलग ग्रेडों में इन्क्रीमेंट देने की अलग तारीखें निश्चित नहीं होतीं। अध्यापकों को इन्क्रीमेंट उनकी तारीख नियुक्ति के एक वर्ष बाद से चाहे जिस ग्रेड में इनकी नियुक्ति हो, हो जाती है।

(ग) ऐसा कोई अध्यापक नहीं है जिसको ड्यू तारीख से इन्क्रीमेंट न दी जाकर बाद में शुरू की गई हो, परन्तु कई परिस्थितियों के कारण इन्क्रीमेंट देने में कभी कभी विलम्ब अवश्य हो जाता है जो कि बाद में तय की जाकर ड्यू तारीख से दे दी जाती है। किशनगढ़ सब डिवीजन में ऐसे ३८ अध्यापक हैं, जिनको तरक्की मिलने में देरी हुई परन्तु बाद में उनको दे दी गई।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि ५३-५४ के वर्ष में जिन अध्यापकों को इन्क्रीमेंट अप्रेल में मिलना चाहिये था उनको अप्रेल में न मिलकर अक्टोबर से मिलना शुरू हुवा है और अप्रेल से अक्टोबर के बीच के टाइम का इन्क्रीमेंट उनको नहीं मिला है ?

श्री भोलानाथ—मेरे पास ऐसी सूचना नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि ५३-५४ में जिनको इन्क्रीमेंट अप्रेल में मिलना चाहिए था उनको सेप्टेम्बर से मिलना शुरू हुआ ?

श्री अध्यक्ष—यह अभी बताया था कि बाद में दिया गया और जिनको नहीं दिया गया उनके नाम बताये।

श्री चांदमल मेहता—महाराजा मिडिल स्कूल किशनगढ़ में जिन अध्यापकों को अप्रेल में इन्क्रीमेंट मिलना चाहिए था उनको चालू वर्ष में अगस्त तक नहीं देने का क्या कारण है ?

श्री भोलानाथ—३८ अध्यापकों को इन्क्रीमेंट नहीं दी गई थी, अब दे दी गई है। देरी होने से यदि यह अर्थ लगाते हैं कि उनको पिछले महीनों से नहीं दिया जायगा तो यह गलत है।

श्री चांदमल मेहता—जिनको देने में दिक्कत है उनके बारे में मेरा प्रश्न नहीं है, जिनको ५२-५३ में मिला है उनको ५३-५४ में १ अक्टूबर से इन्क्रीमेंट दी गई है और उन्हों को ५४-५५ में १ सितम्बर से दी गई है। उनको ड्यू डेट में नहीं देने का क्या कारण है ?

श्री भोलानाथ—उनके लिये अलग प्रश्न पूछिये।

कु' श्री जसवन्तसिंह—इन्क्रीमेंट देने के लिये ज्यादा से ज्यादा कितने पीरियड की देरी हुई ?

श्री अध्यक्ष—इन केसेज़ के बारे में बता दीजिये।

श्री भोलानाथ—मैं किसी पर्टिकुलर केस का जवाब दे सकता हूँ। सब का जवाब नहीं दे सकता।

कु' श्री जसवन्तसिंह—अधिक से अधिक कितने पीरियड तक इन्क्रीमेंट नहीं दिया गया, मैं सिर्फ यह चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष—सिर्फ टाइम पूछना चाहते हैं।

श्री भोलानाथ—इन्क्रीमेंट अलग अलग आदमियों का अलग अलग तारीख को ड्यू होता है। अकाउटिंग का प्रोसीजर है। गवर्नमेन्ट की जिम्मेदारी नहीं है। बाकायदा सर्विस की कार्यवाही पूरी हुई है या नहीं, सब बातों को देखकर इन्क्रीमेंट दी जाती है; वरना अगर दे भी दी जाती है तो ए. जी. रोक देता है।

Page No.8

कु॰ श्री जसवन्तसिंह—मैं यह पूछना चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा कितने महीनों के बाद इन्क्रीमेंट दी गई है, यह कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जिसका जवाब नहीं दिया जा सके।

श्री भोलानाथ—मेरे पास इसकी सूचना नहीं है, यह बताने के लिए कि हरेक को किस तारीख को मिला। अगर पर्टिकुलर प्रश्न पूछा जायगा तो अवश्य जवाब दिया जायगा।

कु॰ श्री जसवन्तसिंह—मैंने हरेक केस के बारे में नहीं पूछा है। अगर आपके पास जानकारी नहीं है तो उत्तर मत दीजिये।

श्री भोलानाथ—जानकारी नहीं है

श्री चांदमल मेहता—मैंने जो प्रश्न पूछा है उसमें पूछा है कि ड्यू डेट में इन्क्रीमेंट मिली थी या नहीं। यदि नहीं मिलती है तो जो प्रश्न पूछा गया है कि ५३–५४ में अक्टूबर से क्यों मिली और ५४–५५ के चालू वर्ष में सितम्बर से क्यों मिली? इसके अलावा एक अर्ज और यह है कि एक और प्रश्न में मंत्री जी ने कहा था कि जानकारी करके जवाब दिया जायगा। जब कि पहले जानकारी करने को तैयार थे तो इस प्रश्न के आने के बाद तो जानकारी प्राप्त करके उत्तर देना था। इन प्रश्नों का जवाब लेने का सदस्यों को हक है। पूरा जवाब नहीं देना और देना भी तो गलत देना, यह सदस्यों के हक को छीनना है।

श्री भोलानाथ—मैं इस तरह के स्टेटमेन्ट को हाउस में मानने को तैयार नहीं हूँ। आप अपने सवाल को पढ़ जायं, उसके बाद जो डेफिनिट बात पूछेंगे उसको बताऊंगा।

श्री चांदमल मेहता—मेरा सवाल डेफिनिट है। मैं उसको फिर पढ़ देना चाहता हूं:

"(क) क्या यह सही है कि किशनगढ़ सब डिवीजन में अलग अलग ग्रेड के अध्यापकों के इन्क्रीमेंट अलग अलग तारीख को ड्यू होते हैं?

(ख) यदि हां, तो यह बतलाने की कृपा करें कि किस किस ग्रेड के अध्यापकों के इन-क्रीमेंट किस किस तारीख को ड्यू होते हैं?

(ग) ऐसे कितने अध्यापक हैं जिनको ड्यू डेट में इनक्रीमेंट नहीं मिलकर बाद से शुरू किये गये हैं?"

श्री अध्यक्ष—ड्यू डेट १ अप्रेल को ही नहीं हुआ करती। अलग अलग डेट्स को भी हो सकती हैं।

श्री भोलानाथ—जब जब अपइॉन्टमेंट होता है, उस अपॉइन्टमेंट की टाइम से इन्क्रीमेंट होता है ।

श्री चांदमल मेहता—जिनका इनक्रीमेंट १ अप्रेल से शुरू होता हैं उनको १ अक्टूबर से देने का क्या कारण है ?

श्री भोलानाथ—मैं हाउस में इस तरह के स्टेटमेंट को स्वीकार करने को तैयार नहीं हूं और न इसको ठीक ही समझता हूं । जो प्रश्न था उसका जवाब स्पष्ट रूप से दे चुका हूं । १ अप्रेल से सबकी इनक्रीमेंट शुरू नहीं होती हैं बल्कि जब से सर्विस शुरू होती है तब से इनक्रीमेंट ड्यू होती है । किसी की अप्रेल में, किसी की मई में और किसी की जून या जुलाई या दूसरे महीनों में भी ड्यू हो सकती है ।

श्री अध्यक्ष—This is very clear. Next question.

प्रश्न संख्या १६५२

किशनगढ़ सब डिवीजन के राजस्व विभाग के क्लर्कों का फिक्सेशन

श्री **चांदमल मेहता**—क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) किशनगढ़ सब-डिविजन में राजस्व विभाग के कुल कितने क्लर्क हैं ?

(ख) उक्त कलर्कों में से कितने क्लर्कों का अभी तक फिक्सेशन नहीं हुआ है ? उनके नाम क्या हैं ?

(ग) जिन व्यक्तियों का फिक्सेशन नहीं हुआ है उन्हें कितने महीनों से तनख्वाह नहीं दी जा रही है ।

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया** (राजस्व मंत्री)—(क) किशनगढ़ सब डिवीजन में राजस्व विभाग के कुल ४० क्लर्क है ।

(ख) उन क्लर्कों में से सिर्फ एक क्लर्क का फिक्सेशन नहीं हुआ है, जिसका कि नाम श्री घनश्यामलाल है ।

(ग) उनको वेतन बराबर मिल रहा है ।

श्री **चांदमल मेहता**—जिस क्लर्क का नाम बताया गया है वह कहां काम करता है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—यह मुझे मालूम नहीं कि कहां काम करता है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि एस. डी. ओ. के दफ्तर में ओल्ड रेकर्ड-कीपर की जगह जो दो क्लर्क काम करते हैं और जिनकी कि सर्विसेज़ बीस साल पुरानी हैं, उनका फिक्सेशन नहीं हुआ है ?

श्री अध्यक्ष—(घंटी की आवाज के साथ) और कोई सप्लीमेंटरी पूछना हो तो पूछिये। The Hon'ble Member is giving information rather then taking it.

श्री चांदमल मेहता—उन्होंने कहा कि एक है, इसलिए मैं यह भी बता रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—होंगे, This is official informaiion given on the floor of the House. If the Hon'ble Member has already got information why should he put question ?

श्री चांदमल मेहता—लेकिन प्रश्न का उत्तर अधूरा हो तो दूसरा हवाला देकर उसका पूरा उत्तर मांगा जा सकता है।

(हंसी)

श्री अध्यक्ष—This is official information, I think.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Questions are put to make the information embarrassing sometimes.

श्री भोलानाथ—Certainly not.

श्री अध्यक्ष—और कोई दूसरा सप्लीमेंटरी पूछना हो तो पूछिये।

प्रश्न संख्या १६५३

श्री अध्यक्ष—श्री हनवन्तसिंह।

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित—कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या १६५४

राजस्थान पुरातत्व विभाग की ओर से भीनमाल में जनवरी से अप्रेल तक खुदाई का कार्य तथा उस पर व्यय

श्री संतोषसिंह कछवाहा—क्या मुख्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

[श्री संतोषसिंह कछवाहा]

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष राजस्थान पुरातत्व विभाग की ओर से जोधपुर डिवीजन में कस्बा भीनमाल में खुदाई का काम जनवरी से अप्रेल तक हुआ ?

(ख) क्या इस काम में करीब २०००) (दो हजार) रुपये खर्च किये गये ?

(ग) क्या यह काम पुरातत्व खुदाई के किसी विशेषज्ञ के हाथों में सौंपा गया था अथवा नवीन अनाड़ी के जिम्मे ?

(घ) क्या इस महत्वपूर्ण योजना को हाथ में लेने से पूर्व केन्द्रीय पुरातत्व विभाग की सलाह ली गई थी ?

(ङ) क्या चीफ सुपरिन्टेन्डेन्ट, पुरातत्व विभाग को राजस्थान में खुदाई करने या कराने का विशेष ज्ञान व अनुभव है ?

(श्री मुख्य मन्त्री की अनुपस्थिति में)

श्री भोलानाथ (शिक्षा मन्त्री)—(क) हां।

(ख) दो हजार रुपये नहीं, तीन हजार रुपये खर्च हुए।

(ग) विशेषज्ञ के हाथ सौंपा गया था।

(घ) हां।

(ङ) हां।

श्री संतोषसिंह कछवाहा—यह काम शुरू किया गया, इससे पहले किसने खोज की थी, किसने यह जगह बताई थी ?

श्री भोलानाथ—जो सुपरिन्टेन्डेन्ट्स होते हैं उनका यही काम है, इसी बात की उनको तनख्वाह मिलती है कि वे खोज करते हैं।

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा—क्या उनके खोजने के बाद में कोई सामान मिला ?

श्री भोलानाथ—बहुत सामग्री मिली, आपका दूसरा सवाल आ रहा है, उसके उत्तर में बताऊंगा।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

Page No.12

प्रश्न संख्या १६५५

बीकानेर वेटेरिनरी औषधालय में पीड़ित ऊंटों की चिकित्सा

श्री प्रभुदयाल—क्या कृषि मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या बीकानेर वेटेरिनरी हॉस्पिटल में काफी तादाद में ऊंट इलाज के लिए आते हैं, और वहां पर रखे जाते है ?

(ख) क्या बीमार ऊंटों के लिए धूप व बारिश से बचने के लिए कोई इमारत या छप्पर है, यदि नहीं तो क्या कोई इन्तजाम पक्की या कच्ची इमारत या छप्पर बनवाने का किया जायगा ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया (कृषि मन्त्री)—(क) तीन चार ऊंट आते हैं और दो-एक ऊंट वहां रहते हैं।

(ख) बीमार ऊंटों को धूप व सर्दी से बचाने के लिए एक छप्पर था जो टूट चुका है ; नया छप्पर बनवा दिया जायगा।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—इस छप्पर को टूटे हुए कितना समय हो गया है, क्या इसकी जानकारी करायेंगे ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—छप्पर टूट चुका है, समय की जानकारी नहीं है।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—क्या यह सही है कि वह छप्पर कई सालों से टूटा हुआ है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—हो सकता है कि कई साल से टूटा हुआ हो पर अब उसको ठीक करा दिया जायगा।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—कितना समय लग जायगा, इसको ठीक करने में ? इतनी मामूली सी बात में इतना समय लग जाता हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं समझता हूं कि इसी साल शुरू कर रहे हैं।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—क्या यह भी सही नहीं कि ऊंट छप्पर और छाया के नीचे रहना पसंद नहीं करता ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—आप इस मामले में ज्यादा, विशेष जानकारी रखते हैं।

प्रश्न संख्या १९५६

रुपनगर कस्बे में कुछ व्यक्तियों को कांकड़ भूमि मे पर्चे दिये जाना

श्री चांदमल मेहता—क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) रूपनगर कस्बे में कितने व्यक्तियों को कांकड़ जमीन के पर्चे दिये गये हैं ?

(ख) उक्त पर्चे कितने बीघों के हैं ?

(ग) कितनी कांकड़ जमीन पिछले वर्ष काश्त हुई है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)—(क) रूपनगर तहसील में १५६ व्यक्तियों को कांकड़ जमीन के पर्चे दिये गये हैं।

(ख) उक्त पर्चे ४, ६४४ बीघा १२ बिस्वा के हैं।

(ग) ७,२३४ बीघा १६ बिस्वा कांकड़ जमीन पिछले वर्ष काश्त हुई।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि जिन जमीनों के ऊपर किसानों का वर्षों से कब्जा था उनको उन जमीनों के पर्चे इस तहसील में नहीं दिये गये हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं समझता हूं कि ऐसे किसान हो सकते हैं, कुछ मेरी भी निगाह में आये हैं। इस सम्बन्ध में निश्चित कार्यवाही करने के बाबत माननीय सदस्य चर्चा कर चुके हैं।

प्रश्न संख्या १९५७

भीनमाल में पुरातत्व विभाग द्वरा की गई खुदाई के कार्य में विशेषज्ञों द्वारा जांच

श्री संतोषसिंह कछवाहा—क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) जोधपुर डिविजन में कस्बा भीनमाल की पुरातत्व खुदाई में कहां तक सफलता मिली है ? क्या उसकी भारत सरकार के विशेषज्ञों से जांच कराई जावेगी ?

(ख) क्या भविष्य में ऐसी अन्य योजनाओं पर केन्द्र से विचार विनिमय किया जायगा ?

[श्री सन्तोषसिंह कछवाहा]

(ग) इस खुदाई में जिन लोगों ने अनुभव -हीनता का परिचय दिया है, उनके प्रति क र क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

(घ) पुरातत्व विभाग में खुदाई के काम का अनुभव किन किन कर्मचारी व अधिकारी को है ?

(ङ) इस खुदाई के समय सरकारी विभाग के किन किन अफसरों को शिक्षा लेने का अवसर दिया गया ?

श्री भोलानाथ (शिक्षा मंत्री)—(क) इस खुदाई से यह सिद्ध हो ता है कि उस स्थान पर ईसा की प्रथम शताब्दी में भी एक सुन्दर नगर था जिसमें सुसंस्कृत लोग रहते थे, सामग्री ईंट, मिट्टी के पात्र, मिट्टी के खिलोने निकले हैं । इसके बाबत राजस्थान पुरातत्व विभाग की ओर से प्रेस में प्रकाशन भी हुआ है । दिल्ली के विशेषज्ञों से जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं है । यदि वे लोग इस विषय में रुची लेगें और विवेचन करना चाहेगें तो राजस्थान का पुरा तत्व विभाग उसमें पूरा पूरा भाग लेनेको प्रस्तुत रहेगा ।

(ख) यदि ऐसे विचार - विनिमय की आवश्यकता हुई तो अवश्य किया जावेगा ।

(ग) प्रश्न नही उठता ।

(घ) पुरातत्व विभाग के चीफ सुपरिन्डेन्ट, जोधपुर तथा उदयपुर स्थित सुपरिन्टेन्डेन्टों तथा कन्जर्वेशन असिस्टेन्ट को खुदाई के कार्य का अनुभव है, तथा वे सब के सब इस कार्य में ट्रेन्ड हैं ।

(ङ) उपरोक्त अफसरों के अलावा पुरातत्व विभाग में कोई ऐसे अफसर नहीं हैं जिनको ट्रेन्ड किया जाता ।

श्री संतोषसिंह कछवाहा—क्या यह सही है कि इस खुदाई में कोई चीजें नहीं मिली है मिट्टी के बर्तन खिलौने बगैरह दूसरी जगहों से लाकर दिये गये हैं ?

श्री भोलानाथ—इससे कोई तारीफ थोड़े ही करवानी थी ।

श्री जसवन्तसिंह—आपका जवाब सुना नहीं ।

श्री भोलानाथ—यह तो खोज की बात है, कोई तारीफ ही थोड़े ही करवानी थी। बल्कि इससे तो आगे यह भी पता चलता है कि प्रागऐतिहासिक युग को इसमें सूचना मिलती है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—इस खुदाई में प्राप्त वस्तुओं के आधार पर आर्कोल ॥ डिपार्टमेंट ने कौन सा ऐतिहासिक युग पेश किया है ?

श्री भोलानाथ —प्रागऐतिहासिक।

श्री संतोष सिंह कछवाह—सिर्फ बर्तनों से अनुमान लगाया गया है ?

श्री भोलानाथ—ईंटें भी प्राप्त हुई हैं।

कु. श्री जसवन्त सिंह —कोई स्थाई चीज मिली कि नहीं ?

श्री भोलानाथ —उस जमाने की तो यही चीजें मिल सकती हैं ; ईंटें, खिलौने, मूर्ति आदि।

कु. श्री जसवन्तसिंह—कौन से जमाने की चीजें मिली हैं ?

श्री भोलानाथ—इस खुदाई के आधार पर यह ज्ञात होता है कि यह स्थान ईसा की छठी से नवीं शताब्दी तक ही विख्यात नगर नहीं था, वरन् उससे कई शताब्दियों पूर्व ईसा की प्रथम व द्वितीय शताब्दियों में भी यह मारवाड़ का प्रधान नगर था। यह उस समय में भा जरत से सम्बन्धित था। बहुत सी बड़े बड़े आकार की ईंटें व मिट्टी के टुकड़े, कला के नमूनों व शिव के त्रिशूल को स्थान देते हुए, तांबे के सिक्के आदि वस्तुएं इस बात का ठोस प्रमाण स्थान ईसा की प्रारम्भिक शताब्दियों में भी मारवाड़ का एक प्रमुख व वैभवशाली नगर रहा होगा।

कु. श्री जसवन्तसिंह—यहां जो खोज की चीजें मिल उनका क्या हुआ उनको वहीं छोड़ दिया गया या किसी म्यूजियम में भेज दिया गया है ? भेजा गया है तो कि म्यूजियम में भेजा गया है ?

श्री भोलानाथ—अव्वल में तो ऐसा होता है कि स्थानीय म्यूजियम में रखा ज जैसे यह जोधपुर में निकलीं हैं तो जोधपुर में रखी जाती है, इसके बाद बाहर भेज दी जाती हैं।

कु. श्री जसवन्तसिंह—अभी कहां भेजा गया है ?

श्री भोलानाथ—यह मेरे पास सूचना नहीं है कि किस किस जगह भेजी गई हैं ?

श्री सन्तोषसिंह कछवाह—सिर्फ ईंटों की वजह से ही विश्वास हो गया ?

Page No.16

श्री अध्यक्ष—आपको कोई शक है ?

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा—मुझे पूरा शक है कि बाहर से ईंटें वगैरह लाकर बता दी हैं कि ये चीजें यहां मिली हैं। (हंसी)

श्री अध्यक्ष—This is parallel information.

प्रश्न संख्या १६५८

भूमिहीन हरिजनों को काश्त योग्य भूमि देने हेतु प्रत्येक जिले में कोटा निर्धारण

श्री धर्मपाल पंवार—क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे —

(क) राजस्थान में जिलेवार भूमिहीन हरीजनों को काश्त करने के लिये सरकारी भूमि देने के हेतु कितना कितना कोटा निर्धारित किया गया है ?

(ख) जो कोटा निर्धारित किया गया है, क्या हरिजनों की संख्या देखते हुए वह हर जिले में पर्याप्त है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(ग) क्या हर जिले अथवा तहसील में उनकी (हरिजनों की) संख्या के आधार पर कोटा निर्धारित किया जायेगा ? यदि हां, तो हर जिले में कितना कितना और कहां कहां ?

(घ) क्या भूमिहीन किसानों को जो भूमि दी जायेगी, उसके मूल्य में भी कुछ रियायत की जायेगी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—(क) हरिजनों के लिये कोई अलग कोटा कायम नहीं है। भूमि-वितरण नियम में भूमि-वितरण के समय भूमि-हीन किसान, जिनमें हरिजन शामिल हैं, को प्राथमिकता दी जाती है

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जातिवार कोटा नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं है।

(घ) सिवाय चक की जमीन बिना मूल्य पर ही काश्त के लिये वितरण की जाती है, इसलिये मूल्य में रियायत देने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री धर्मपाल पंवार—हरिजन एक जाति नहीं है, वह एक वर्ग है, उसको ऊपर उठाने के लिये कोटा क्यों नहीं अलग मुकर्रर करती ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया--जो भूमिहीन किसानों को प्राथमिकता दी जाती है उसके आधार पर देखें तो मालूम होगा कि हरिजनों को उनसे कई ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है। मैं समझता हूँ कि फिर अलग से कोई कोटा कायम करने से कोई लाभ नहीं होगा और इसलिये ऐसी बात अलग से कोटा कायम करने की आवश्यकता मुझे नजर नहीं आती।

प्रश्न संख्या १६५६ व १६६०

श्री अध्यक्ष-- श्री रामदयाल उपाध्याय।

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित कृपया परिशिष्ट १ देखिये।

रूस्ट--श्री चांदमल मेहता। प्रश्न संख्या १६६१।

प्रश्न संख्या १६६१

रूपनगर तहसील पंचायत का चुनाव

श्री चांदमल मेहता--क्या स्वायत शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि रूपनगर तहसील पंचायत का चुनाव हो चुका है ?

(ख) यदि हां, तो उक्त चुनाव की स्वीकृति के लिए कब कागजात पेश किये गये ?

(ग) अब तक उक्त पंचायत की स्वीकृति नहीं दिये जाने के क्या कारण है ?

श्री रामकरण जोशी (स्वायत शासन मंत्री)--(क) जी हां।

(ख) १६. ५. ५४ को।

(ग) निर्वाचित सची राजपत्र में प्रकाशित हो चुकी है।

श्री चांदमल मेहता--यह कब राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ?

श्री रामकरण जोशी--यह ११. ६. ५४ के भाग ६ में प्रकाशित हुई।

श्री चांदमल मेहता--क्या यह सही है कि उक्त पंचायत में सरपंच का चुनाव नहीं हुआ ?

Page No.18

श्री रामकरण जोशी—सरपंच का चुनाव नहीं हुआ यह सही है।

श्री चांदमल मेहता—उसके लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री रामकरण जोशी—सरपंच नामजद किया जावेगा।

श्री चांदमल मेहता—कब तक नामजद हो जावेगा ?

श्री रामकरण जोशी—शीघ्र ही।

कुं श्री जसवन्तसिंह—सरपंच की नामजदगी का क्या कारण है ?

श्री रामकरण जोशी—चुनाव के समय कोई भी व्यक्ति सरपंच के लिये खड़ा नहीं हुआ था, इसलिए उसका चुनाव नहीं हो सका और खाली रह गया।

श्री चांदमल मेहता—जो पंच चुनाव में आये उसके बाद में जिस व्यक्ति का नाम तहसील के जरिये सरपंच के लिए भेजा गया, उसके लिये सरकार क्या कोई विचार करेगी ?

श्री रामकरण जोशी—वह मेरे ख्याल से विचाराधीन होगा। सरपंच का चुनाव नहीं हो सका था।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १६६२

जनवरी १६५४ तक शिक्षा विभाग के अध्यक्ष द्वारा बीकानेर से जयपुर आने-जाने का भत्ता व्यय इत्यादि

श्री नारायण चतुर्वेदी—क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) शिक्षा विभाग के अध्यक्ष का विभागीय काम के लिये बीकानेर से जयपुर आने जाने का सफर खर्च भत्ता और इसी सम्बन्धी अन्य खर्च मिला कर कितनी रकम जनवरी ५४ से अब तक खर्च हुई है ?

(ख) जनवरी ५४ से अब तक शिक्षा विभाग के अध्यक्ष कितने दिन अपने हैड क्वार्टर पर रहे और कितने दिन जयपुर रहे ?

Page No.19

श्री भोलानाथ (शिक्षा मंत्री)—(क) शिक्षा विभाग के अध्यक्ष ने विभागीय कार्य के लिये बीकानेर से जयपुर आने-जाने का सफर खर्च भत्ता और इसी संबन्धी अन्य खर्चे मिला कर जनवरी सन् १९५४ से अगस्त के अन्त तक आठ महीने में कुल ९७७ रु० ७ आ० ० पा० सरकार से प्राप्त किये।

(ख) वे जनवरी सन् १९५४ से अगस्त के अंत तक आठ मास के अर्से में ९० दिन तक अपने हेडक्वार्टर पर और १०१ दिन जयपुर रहे।

श्री चांदमल मेहता—९७७) रुपयों की रकम प्राप्त की है, उसके अलावा और कितनी रकम प्राप्त करनी अभी बाकी है?

श्री भोलानाथ—८ महीनों में यह रकम प्राप्त की है।

श्री चांदमल मेहता—कितने बिलों का अभी तक पेमेंट होना बाकी है?

श्री अध्यक्ष—इस संबन्ध में बाद में प्रश्न पूछ लें।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—डाइरेक्टर को हेडक्वार्टर पर ज्यादा रहना चाहिये या दूसरी जगह ज्यादा रहना चाहिये?

श्री अध्यक्ष—That is a different matter. It is before the House that the officer concerned was more out at the out stations...

कुं० श्री जसवन्तसिंह—That is not my point, Sir. My point is that the Headquarter of the Director of Education is at Bikaner. If he was on tour, it can be understood, but the Hon'ble Minister has stated in his reply that he was at Jaipur for 101 days and for 90 days he way at headquarters. obviously he might have gone elsewhere also on other occasions. I want to a sk asimple question that...

मामूली तौर पर हैड क्वार्टर पर ज्यादा रहना चाहिए या एक दूसरे स्थान पर ? अगर हैड क्वार्टर पर ज्यादा रहना चाहिये, तो अभी मन्त्री महोदय ने बताया कि ९० दिन हैड क्वार्टर पर और १०१ दिन जयपुर; इसका क्या कारण है।?

श्री भोलानाथ—जहां जरूरत हो वहां पर रहना चाहिये।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—तो क्या यह समझा जावे कि उनका जयपुर में हैड क्वार्टर है?

श्री भोलानाथ—जयपुर गवर्नमेंट का हैड क्वार्टर जरूर है।

कु० श्री जसवन्तसिंह—तो क्या यह समझा जावे कि बीकानेर का हैड क्वार्टर नोमिनल है ?

श्री भोलानाथ—सारा स्टाफ वहीं रहता है।

कु० श्री जसवन्तसिंह—हैड ऑफ डिपार्टमेंट से मतलब है न कि स्टाफ से।

श्री भोलानाथ—ज्यादा आदमी तो बीकानेर में ही काम करते हैं। डाइरेक्टर तो सिर्फ हुक्म लगाता है। वह हुक्म तो चाहे जहां से बैठा लगा सकता है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या उनकी एवज में काम करने के लिए दूसरे अफसर नियुक्त किये गये हैं ?

श्री भोलानाथ—एसिस्टेन्ट डाइरेक्टर वहां रहता है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि उनका जयपुर टू बीकानेर का शोर्टेस्ट पीरियड ऑफ इन्टरवल कितने समय का रहा है ?

श्री भोलानाथ—मेरे पास तारीखवार सूचना...

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैं यह पूछना हूं कि आज गये और तीन दिन के बाद आये, इस तरह से शोर्टेस्ट पीरियड ऑफ इन्टरवल (shortest period of interval) क्या है ?

श्री भोलानाथ—मैं आपको ८ महीनों की तालिका बतला सकता हूं।

श्री चांदमल मेहता—क्या डेली एलाउन्स भी इसमें शामिल है ?

श्री भोलानाथ—इसमें सफर खर्च, भत्ता व इस संबन्ध में अन्य खर्च मिलाकर है।

श्री चांदमल मेहता—डेली एलाउन्स उनको क्या मिलता है ?

श्री भोलानाथ—इस सम्बन्ध में सी. एम. से पूछिये, वे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के इन्चार्ज हैं।

श्री अध्यक्ष—आप रूल्स में देख लें। They are prescribed in the Rules.

Page No.21

श्री भोलानाथ—टी. ए. मिनिस्टर इन्चार्ज की मर्जी से नहीं मिलता, वह तो रूल्स के अनुसार मिलता है ।

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा—क्या सरकार यह व्यवस्था करेगी कि बीकानेर और जयपुर में पेरेलल ऑफिस खोल दिये जावें ?

श्री भोलानाथ—अभी नहीं ।

कु० श्री जसवन्तसिंह—क्या सरकार इसके लिए कोई विचार कर रही है ?

(चुप्पी के अनन्तर)

श्री चांदमल मेहता—डाइरेक्टर जयपुर और हैड क्वार्टर में ही रहते हैं, बाहर इन्सपेक्शन के लिए नहीं जाते हैं क्या ?

(घंटी)

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

श्री अध्यक्ष—सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि निम्नलिखित सदस्यों ने विधान सभा की बैटकों से उस समय तक के लिए जो उनके नाम के आगे निर्दिष्ट है, अनुपस्थित रहने की आज्ञा के लिए प्रार्थना की है—

१.	रावत श्री शम्भुसिंहजी	दिनांक २० सितम्बर से २२ सितम्बर तक
२.	श्री जयसिंहजी	दिनांक १३ सितम्बर से १४ सितम्बर तक

क्या सदन की यह अनुमति है कि उन्हें अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

कु० श्री जसवन्तसिंह—२० तारीख की आज्ञा इतनी देरी से कैसे ।

श्री अध्यक्ष—उन्होंने देरी से प्रार्थना पत्र पेश किये ।

राष्ट्रपति एवं राजप्रमुख से अनुमति प्राप्त विधेयक

श्री उपसचिव (श्री के. एल. शर्मा)—Sir, I lay on the Table a Statement showing the Bills that have been assented to either by the President or by His Highness the Rajpramukh:—

[श्री उपसचिव]

Bill assented to by the President.

The Rajasthan Religious Buildings & Places Bill, 1953.

Bills assented to by the Rajpramukh.

The Rajasthan Bhoodan Yajna Bill, 1953.

The Rajasthan Agricultural Income-tax (Amendment) Bill, 1954.

The Rajasthan Weights & Measures Bill, 1954.

कु॰ श्री जसवन्तसिंह—Sir, I would like to know for my information that the Hon'ble Secretary......

श्री अध्यक्ष—The Secretary is not 'hon'ble'.

He has troubie in his throat. So the Deputy Secretary made the announscement.

कु॰ श्री जसवन्तसिंह—That Explanation should have come. I was urprised how in the presence of the Secretary......

श्री अध्यक्ष—The Secretary is sitting before the House.

कु॰ श्री जसवन्तसिंह—If that information had been given this question could not have arisen. He is sitting here, That is why the interrogation has arisen, otherwise this question could not have arisen.

श्री अध्यक्ष—His voice would not have been audible.

श्री हरिकृष्ण व्यास—On a point of order......

श्री अध्यक्ष—We are just coming.

राजस्थान कोलोनाइजेशन विधेयक १९५४(प्रवर समिति के प्रतिवेदन की प्रस्तुति)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)— Sir, I present the report of the Select Committee on the Bill to make better provision for the colonisation and anministration of lands in Rajasthan.

श्री अध्यक्ष—(श्री हरिकृष्ण व्यास से) What is that point of order ?

डूंगरपुर के कुछ विद्यार्थियों की भूख हड़ताल पर स्थगन प्रस्ताव

श्री हरिकृष्ण व्यास—What about my adjournment motion of which I had given notice ?

श्री अध्यक्ष—मेरे पास एक स्थगन प्रस्ताव आया था जिसको मैं पढ़ देता हूं : "That this House do now adjourn to discuss the serious situation arising out of the 25th day of hunger-strike of five student and 2 citizens of Dungarpur in protest of the disregard of the assurances given by the Government of Rajsthan vide the Education Department Memorandum dated the 13 th August, 1954." कोई पाठ के मामले को लेकर, जहां तक मैं समझ पाया हूं, २१ सितम्बर, १९५४ को एक शोर्ट नोटिस क्वेश्चन भी रखा गया और उसके उत्तर में स्थिति काफी स्पष्ट हो गई थी। मैं नहीं समझता कि यह मामला ऐसी इम्पोरटेंस का है जिससे कि इस सदन की कार्यवाही को स्थगित किया जाय।

श्री हरिकृष्ण व्यास—सारा शहर भूख हड़ताल कर रहा है साहब।

श्री अध्यक्ष—Not the whole of Rajasthan.

श्री हरिकृष्ण व्यास—If it comes to the whole of Rajasthan, it will be calamity to the whole of the country, Sir.

श्री अध्यक्ष—The Hon'ble Member is going out of the scope of the adjournment motion that he has tabled.

श्री अध्यक्ष—He has stated only five students. Now he states that......

श्री हरिकृष्ण व्यास—It is the 25th day of the five students. But it is only the second day of the whole city...

श्री अध्यक्ष—But you have not mentioned it. There is no where mentioned that the whole of Dungarpur city is going on hunger-strike, as the Hon'ble Member has declared on the floor of the House, any way......

श्री हरिकृष्ण व्यास—I thought I would be given some time to explain the urgency of the matter.

श्री अध्यक्ष—No, I do not permit. If I allow the Hon'ble Member, it would be more or less allowing a discussion on the adjournment motion.

Sufficient light had been thrown on this specific issue on the floor of the House and it was said that no assurance by the Government was ever given regarding this.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I have quoted the letter.

श्री अध्यक्ष—There are so many ways open to the Hon'ble Member to bring this to the notice of the Government and I do not permit the adjournment of the House, thereby raising a debate on this issue.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I have quoted the specific letter and the date, Sir.

श्री अध्यक्ष—May be.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Of course the Minister may deny all the facts, all the same it would remain a fact.

कु० श्री जसवन्तसिंह—Sir, there is one question. That is this. In case the Opposition side have got authoritative letters in their possession, it would surely make......

श्री अध्यक्ष—But......

कु० श्री जसवन्तसिंह—Let me finish.

And the Hon'ble Minister does not recognise the existence of the letters and denies it. But if I remember aright, last time when this question came in the list of the short notice question the Hon'ble Minister said that there is no hunger strike and there is no letter from the Deputy Director of Education, and so on and so forth. But we have got these letters in our possession and he is denying their existence! I would like your guidance as to what can be done in such circumstances?

श्री अध्यक्ष—मैं बताऊं कि मैंने कई बार सदन के माननीय सदस्यों को यह निवेदन किया है कि यदि कोई सूचना माननीय मंत्रीजी की ओर से ऐसी दी जाय कि जो तथ्यों से परे हो और जैसा इस प्रश्न के बारे में कहा था, तो उन्हें चाहिए था कि जो पत्र एक्जिस्टेन्स में थे तो वे मुझे बताते।

श्री हरिकृष्ण व्यास—ये रहे साहब।

श्री अध्यक्ष—This is not the time. The Hon'ble Member will come and we will devise ways.

लेकिन उस वक्त मुझे बताया गया कि पी० ए० टू दी जनरल मिनिस्टर ने पत्र लिखे, जिसकी स्पेसिफिक डिनायल हाऊस की फ्लोर पर की गई। २१ तारीख को यह हुआ तो माननीय सदस्य मेरे पास आ सकते थे।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—जितने छुट्टियां हो गई।

श्री अध्यक्ष—Yes. We come to the Tenancy Bill.

राजस्थान कृषि भू-धारण विधेयक, १९५३
(अग्रेतर खंड श विचार-विमर्श)

Clause 135, Shri Sohan Lal Bhatnager.

श्री सोहनलाल भटनागर—माननीय अध्यक्ष, क्लॉज़ १३५ के सब क्लॉज़ (१) में जो प्रोविजो है उसको डिलीट करने के सिलसिले में मैंने अमेन्डमेन्ट रखा है। इस प्रोविजो में यह बताया गया है कि यदि एक आदमी इजेक्ट कर दिया गया तो जो इजेक्ट करेगा उसे निकालने के बजाय सबटिनेन्ट कर दिया जा सकता है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यह क्लॉज़ जो असली मालिक है जमीन की होल्डिंग का, उसके लिए घातक होगा। इस एक्ट में हमने १।६ बांटा रखा है और प्रोड्यूस का १।६ रखा है, और जब वह सबटिनेन्ट कर दिया जायगा तो उसे १।६ शेयर देना पड़ेगा जो कि उसके लिए बहुत घातक होगा। जैसे कि पहले क्लॉजेज़ आये हैं और उनमें जैसा कि माननीय मंत्रीजी ने बताया था कि जो ट्रेसपासर्स हैं उनके लिए यह डिट्रेन्ट पनिसमेन्ट हुई तो यह इस नीति के विरूद्ध होगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इस प्रोविजो को डिलीट कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—Yes, श्री हरिकृष्ण व्यास।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय अध्यक्ष, I beg to move the following amendment to Clause 135:—

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

"1. (a) In sub-clause (1) substitute 'six months' in place of 'three months.'

(b) Add a provision as under at the end of the sub-clause :

"Provided that an application under this section could be mabe even after the expiry of the period on showing sufficient cause for the delay:"

(2) Insert a new sub-clause (3) after sub-clause (2) and renumber the rest of the sub-clauses accorningly.

"(3) An application under the section shall be decided by the Assistant Collector within one month of its receipts and shall be finally disposed including appeals if any within three months of its institution."

(3) In sub-clause (5), line three, delete the words "or to a tenant who has voluntarily given up the holding on the expiry of the terms of his lease."

ये जो संशोधन मैंने प्रस्तुत किये हैं उनके पहले दो भागों का ताल्लुक तो उस अवधि से है, जिस अवधि के अन्दर अन्दर जो काश्तकार बेदखल हो चुका हो वह अपनी जमीन वापिस कराने के लिए अर्जी कर सकेगा। मौजूदा क्लॉज़ में यह अवधि तीन महीने की रखी गई है। मैंने अपने संशोधन में यह सिफारिश प्रस्तुत की है कि यहां तीन महीने की अवधि को बढ़ा कर छः महीने कर दिया जाय और उसका कारण यह है कि यह मामला देहात से ताल्लुक रखने वाला है, यह मामला किसान से ताल्लुक रखने वाला है, जिसे अपना निर्णय लेते लेते और कई लोगों से सलाह मशविरा करते करते काफी समय लगने की गुन्जाइश है।

बल्कि कुछ हद तक तो उसे यह अधिकार मिल गया है उन अधिकारों की जानकारी प्राप्त करने में काफी समय लगने की गुंजाइश है। अतः तीन महिने की जो मियाद है वह बहुत कम होगी, इसलिये इसको बढ़ाकर छः महीना कर दिया जाना चाहिये।

इसके साथ साथ मैंने दूसरे संशोधनों में यह सिफारिश की है कि छः महिने की अवधि बीत जाने के बाद भी अगर कोई टिनेन्ट आये और मौजू वजूहात बता दे कि वह समय के भीतर क्यों न अर्जी कर पाया, तो उसकी भी अर्जी को विचारार्थ लिया जाना चाहिये। इसी प्रकार के प्रोविजन इजेक्टमेन्ट के सिलसिले में जवाब देने के सिलसिले में एरियर्स ऑफ रेन्ट के नोटिस देने के सिलसिले में, हमने रखा है। इसलिये जहां जहां हमने समय की अवधि मुकर्रर की है वहां हर जगह इस प्रकार एक्सेप्शन कहिये या लिनियेन्सी कहिये, हमने डाली है। ऐसी हालत में

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

remedy for wrcnful ejecment क्यों न डाली जाय कोई कारण नहीं दिखता। इसलिये मैं समझता हूं कि छः महीने के बाद भी इस बिना पर कि इसके उज्र करने की अवधि खत्म हो गई है उस बिना पर उस अर्जी को नामन्जूर नहीं किया जाना चाहिये। मेरी यह सिफारिश है कि इस प्रकार का प्रोविजन इस क्लॉज़ में डाल देना चाहिये।

बाकी के जो दो संशोधन हैं वे संशोधन आज के अनुभव से सम्बधित है। माननीय अध्यक्ष, जमीन से किसी आदमी का बेदखल होना न सिर्फ वह प्रोपर्टी का क्वश्चन बन जाता है, वह प्रोपर्टी का क्वेश्चन कम बनता है, पोजीशन का भी कम बनता है, लेकिन सब से बड़ी चीज आती है वह यह कि उसकी आजीविका का एक साधन उसके हाथ से छिन जाता है। अतः इस मामले में जांच पड़ताल होते होते महीने लग जाते हैं, बेदखल होने पर उनको वापिस जमीन मिल जायगी, उसका अधिकार वापिस मिल जायगा, यह अधिकार आदि पाने के लिये वर्षों लग जाते हैं, फिर भी वह अधिकार उसको मिलते नहीं, क्योंकि दो वर्ष तक जमीन के न रहते हुए उसकी हालत ऐसी नहीं हो सकती कि वह उनके लिये मुकदमा लड़ता रहे जब कि बिना जमीन के उसका जिन्दा रहना भी मुश्किल हो जायगा। होता यह है कि आर. पी. टी. ओ. की बाबत जो हमने असिस्टेन्ट कलेक्टर और एस. डी. ओ. को अधिकार दिया है, उसके बावजूद हम अगर पिछले दो तीन वर्षों के रिकार्ड को देखें तो हम पायेंगे, जिस बेदखली के बाबत समेरी पावर्स इनको महज इस कारण, इस इरादे से दिये हैं कि जल्दी से जल्दी इन मामलों का फैसला हो। लेकिन एस. डी. ओ. और असिस्टेन्ट कलेक्टर को इस प्रकार के अधिकार मिलने के बावजूद भी हम देखते हैं कि कई इलाकों के अन्दर बेदखल किये गये लोगों को कब्जा नहीं दिलाया गया है। इसका कारण यह है कि इस प्रकार की अर्जियां तय होने में न सिर्फ दिन ही लगते हैं बल्कि महीनों और वर्ष तक लग जाते हैं और उसके बाद में वह मामला रेवेन्यू बोर्ड के सामने पेश होता है और रेवेन्यू बोर्ड के सामने जाने पर वह मामला दो-तीन साल तक जेर तज़बीज़ रहता है। जिस काश्तकार को वह हक मिलना चाहिये वह बेचारा इतने अर्से में परेशान हो कर उसकी उम्मेद छोड़ देता हैं। यह सवाल कोई तात्विक नहीं हैं। अगर फैसला देरी से हो तो इससे दोनों पार्टीज की स्थिति भिन्न भिन्न रहती है। जो किसान बेदखल हुआ है वह तो डिस एडवान्टेज (disadvantage) की स्थिति में रहता है। उस दरमियानी अर्से में अपनी आमदनी के जरिये से महरूम होने के कारण वह डिसएडवान्टेज की पोजीशन में हो जाता है, जिस बेचारे को नाजायज तौर पर बेदखल किया गया हो। ऐसी हालत में उसको रिलीफ देना तभी न्याय पूर्ण होगा जब कि उसके फैसले के लिये, कुछ अवधि मुकर्र कर दी जाय। इसी वजह से मैंने यह संशोधन रखा है कि इस कानून के जरिये यह जरूरी कर दें कि जब बेदखली के सिलसिले में एपलीकेशन आये तब असिस्टेन्ट कलेक्टर और एस. डी. ओ के लिये यह जरूरी होना चाहिये कि वह उसका छः महीने के अन्दर अन्दर फैसला कर दें। अगर उसकी अपील होती है तो वह रेवेन्यू बोर्ड से भी उनका तीन महीने में फैसला हो जाना चाहिये। तीन महीने से ज्यादा किसी भी केस में नहीं लगाना चाहिये ऐसा बन्धन कानून के जरिये

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

डाल देना चाहिये। जैसा कि आपको मालूम है, कि जब तक कोई बन्धन नहीं डालेंगे तब तक जो भी बेदखली राहत देने वाले क्लॉजेज़ आपने बनाये हैं, वे केवल कागजी क्लॉजेज़ ही रह जायेंगे, यह हमें आज के अनुभव से पता चलता है कि वह महज कागजी रह जायेंगे।

अन्त में मैं मेरे अन्त के दो संशोधनों के बारे में अर्ज करूंगा, जिसमें मेरी सिफारिश है कि इस क्लॉज़ के अन्त में जो भाग दिया है उसमें यह लिखा है कि;

" Nothing in this section shall apply to a tenant who has been dispossessed of his holding or a part thereof on the sale thereof in execution of a decree for recovery of arrears of rent or to a tenant who has voluntarily given up the holding on the expiry of the term of his lease."

यह जो आखिरी भाग है " or to a tenant who has voluntarily given up the holding on the expiry of the term of his lease." इसको हटा दिया जाना चाहिये। वह इस वजह से कि आज राजस्थान की जो हालत है उसमें 'वोलिन्टिरिली गिविन अप दी होल्डिंग (voluntarily given up the holding) यह सब करीब करीब बेमतलब सा साबित होता है। पहली बात यह है कि कोई भी वोलिन्टिरिली अपनी होल्डिंग को देने की सोचेगा भी कैसे, सिवाय इसके कि उसके पास कोई तरीका नहीं उसके जिन्दा रहने का। होगा यह कि लोग जबरदस्ती डरा कर, धमका कर, फ़रेब से, डर से, धौंस से, जबरदस्ती दस्तखत करवा लेंगे। अगूंठा करने के बाद में वे धारा १३५ में जो एक्सेशन रखा गया है उसका फायदा उठा लेंगे। उस वजह से यह क्लॉज़ १३५ का एप्लाई नहीं होगा। ऐसी स्थिति में जमीन को वापिस पाने का मौका मिलना नामुमकिन है। इस वजह से मैंने यह रखा है कि इस सब क्लॉज़ (५) के अन्त के शब्द voluntarily given up the holding उनको हटा दिया जाना चाहिये। यह मेरा संशोधन है जो धारा १३५ में है। आर. पी. टी. ओ के अनुभव के आधार पर और उसी के मोडल पर यह क्लॉज़ रखा गया है। जो मन्शा है बेदखल होने वाले को रिलीफ मिले, इसी बिना पर यह अमेन्डमेन्ट्स रखा गया है और मुझे उम्मीद है कि माननीय राजस्व मन्त्री इसको स्वीकार कर लेंगे और तभी हमारा मतलब सर्व हो सकता है।

श्री नाथूराम मिर्धा—माननीय अध्यक्ष महोदय, जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने क्लॉज़ १३५ पर कुछ संशोधन इस सदन के सामने पेश किए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो पहले दो संशोधन उन्होंने समय के निर्धारण के बारे में पेश किये है जिनमें से एक तो तीन महीने के बजाय में छः महीने का समय कर दिया जावे, उचित नहीं है। इसके लिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा सोचूंगा कि इस समय को तीन महीने के बजाय छः महीने करने की आवश्यकता नहीं दिखाई देती। अगर हम ध्यान से इस क्लॉज़ की धारा (ए) को पढे तो इसमें यह

Page No.29

[श्री नाथूराम मिर्धा]

लिखा है कि एक किसान जो अपनी जमीन से बेदखल कर दिया गया है, इस कानून के पास होने के तीन महीने के बाद या इस कानून के पास होने के पहले अगर बेदखल कर दिया गया है तो कानून पास होने की तारीख से तीन महीने बाद तक वह आकर अदालत में अपनी दरख्वास्त दे सकता है। अब इस समय को वे ६ महीने के लिए बढ़ाना चाहते हैं।

वैसे माननीय अध्यक्ष महोदय, जो धारा १३५ हमने इस कानून में रक्खी है वह एक 'समरी प्रोसेस' की रेमेडी किसान को देती है, बेदखली से बचने के लिए। वैसे ज्यादातर बेदखल किसान को किस तरह से अपने हक और अपना कब्जा वापिस लेना चाहिए, इसके लिए अलग अलग जगहों पर अलग अलग धारायें इसमें मौजूद हैं, जिसके नीचे वह दावा करके अपनी जमीन को वापिस ले सकता है, और इसमें अवधि तीन साल तक की भी मौजूद है।

अगर एक किसान जिसकी जमीन छीनी गई है और वह ऐसा जरूरी मौका है कि उस वक्त उसको जल्दी से जल्दी एक ट्रेसपासर किसान से जिसने उसे बेदखल कर दिया है, जल्दी से अपना कब्जा लेना चाहिये तो इसके लिए तो किसान अपने आप इतना आतुर रहता है कि वह जल्दी से जल्दी अदालत में जाकर दरख्वास्त पेश करे, और यह आर. पी. टी. ओ. का भी कानून है जो कि विगत दो ढाई साल से राजस्थान में लागू है और इसकी वजह से किसान को यह जानकारी भी है कि अब बेदखली से बचने के लिए उसको जल्दी से जल्दी किस प्रकार जाकर अदालत में दरख्वास्त करनी चाहिये। ऐसी सूरत में जब यह कानून पास हो रहा है और उन्हीं धाराओं को जो आर. पी. टी. ओ. में थीं, इसमें भी ले लिया गया है तो फिर इसमें तीन महीने के स्थान पर ६ महीने की अवधि बढ़ा देने की कोई जरूरत महसूस नहीं होती। क्योंकि जिनको इस कानून के नीचे इस धारा के अन्तर्गत कोई राहत लेनी है तो वह जल्दी से जल्दी जाकर अदालत में अपनी चाराजोई करना पसन्द करेगा। इसलिए तीन महीने के बजाय ६ महीने की अवधि बढ़ाने का जो अमेन्डमेन्ट है, उसकी जरूरत महसूस नहीं होती।

इसके बाद में दूसरा संशोधन इस क्लॉज के बारे में रक्खा है कि सब क्लॉज (२) के बाद में तीसरा सब क्लॉज़ और सब्स्टीट्यूट कया जावे जिसमें उनका कहना है कि आमतौर से हमारे यह देखने में आया है कि आर. पी. टी. ओ. के लागू रहते समय जैसा हमने जल्दी से जल्दी किसान को राहत दिलाने की बात सोची थी और उसकी धारा ७ के अन्तर्गत वह जल्दी से जल्दी अदालत में दरख्वास्त कर देता था, कि मैं एक जमीन से बेदखल कर दिया गया हूं, मेरी दरख्वास्त पर जल्दी से विचार किया जाकर फैसला किया जावे, पर जल्दी से फैसला होता नहीं। इसलिये इस अवधि को भी नियत कर दिया जावे कि इस मियाद के अन्दर अन्दर तो ऐसे मुकदमों का फैसला कर दिया जावे। अक्सर कई बार ऐसा अवसर आया है, यह मैं भी स्वीकार करता हूं और खास तौर से कई इलाकों में जहां पर इन मुकदमों की तादाद भी ज्यादा थी, और वहाँ पर जितने अफसर थे उन्होंने

[श्री नाथूराम मिर्धा]

जितना समय रेवेन्यू के मामलों में भी नहीं लगना चाहिये था उससे भी ज्यादा इसमें लगा दिया और कई कई मामलों में तो दो दो और तीन तीन साल तक का समय लगा दिया और वे मुकदमे तय नहीं हो पाये। इसके बाद में जो आर. पी. टी. ओ. की धारा १० के नीचे एक तरह का रिवीजन का पॉवर है कि जिसके अनुसार रेवेन्यू बोर्ड नीचे की कोर्ट का रिकार्ड मंगा सकता है या कोई पार्टी अर्जी करे तो रिकार्ड को कॉल फॉर किया जाकर नीचे की अदालत का अगर हुक्म ठीक नहीं है तो उसमें फेरफार किया जा सकता है। यह धारा १० में लिखा हुआ था।

किन्तु इस सारी कार्यवाही में जैसा माननीय जोधपुर से आने वाले साथी ने कहा है कि कहीं कहीं जो किसान को वास्तव में राहत पहुंचाने वाली हैं वे धाराएं भी डिसएडवान्टेजियस पोजीशन में चली जाती हैं, किसान के लिये और उनको जो राहत जल्दी मिलनी चाहिये थी वह नहीं मिल पाती और वे मुकदमे अभीतक रेवेन्यू बोर्ड में दफा १० के होने के बावजूद भी कई कई जगह पर फैसल नहीं हो पाये हैं और कहीं हो गये हैं तो कब्जा नहीं मिल पाया है और वह रेवेन्यू बोर्ड का हुक्म किसान हाथ में लिये घूमता है। ऐसी कई मिसालें हमारे सामने आती हैं।

तो यह डिफिकल्टी वास्तव में इस कानून के रहते हुए भी थी और जब कि यह उसी का रिपीटीशन मात्र है तो इस कानून में भी यही डिफिकल्टी आती है। परन्तु जो बात माननीय जोधपुर से आने वाले सदस्य ने बताई है कि उसमें जो एक महीने की मियाद थी उस जगह ऐसा लागू कर दिया जावे कि जब असिस्टेन्ट कलेक्टर या एस. डी. ओ. की अदालत में केस चले तो वहां उसे एक महीने के अन्दर तय कर दिया जावे, और अपील में अगर उसकी रिवीजन की गुंजाइश हो तो वहां इस सारे के सारे मामले को अधिक से अधिक तीन महीने में तय कर दिया जावे। मेरे खयाल से माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसी कोई अवधि आज तक किसी स्टेच्यूट बुक में, कानून में, लागू करते हुए मेरी नजर में तो नहीं आई है, क्योंकि अदालत का काम और प्रोसेस या रुटीन जो है उसमें किस तरह से किस काम को, किस वक्त में, किया जावेगा और उसे किसी खास पीरियड में ही खत्म कर दिया जावेगा यह बन्दिश नहीं लगाई जा सकती। तो मैं ऐसा जरूर मानता हूँ कि इसके लिए तो खास तौर से सरकार, जो हमारी स्टेट की एग्जीक्यूटिव हैड है, उसको समय पर इस तरह के सर्कूलर या रेगुलेशन बनाकर इस तरह की जो डिफिकल्टी आज तक महसूस की गई है उसकी तरफ ध्यान खींचती रहे। तो ऐसा करने से इस संशोधन की कोई जरूरत नहीं रह जावेगी और जो उनकी मंशा है वह इस तरह से पूरी की जा सकती है। पर इस तरह का संशोधन इसमें करना मेरे खयाल से वाजिब नहीं और उचित भी प्रतीत नहीं होता।

और तीसरा संशोधन जो माननीय जोधपुर से आने वाले सदस्य ने रक्खा है कि सब क्लॉज़ ५ में जो शब्द हैं वे हटा दिये जावें : "or to a tenant who has voluntarily given up the holdiug on the expiry of the term of his lease."

[श्री नाथूराम मिर्धा]

वास्तव में यह जो उनका संशोधन है उसे मैं मानता हूं कि यह सही है। ये शब्द जो हैं वे रिडन्डेन्ट हैं और वास्तव में इस जगह उनकी जरूरत नहीं है और इसकी वजह से जहां तक पुराना अनुभव है, नई डिफिकल्टी इन शब्दों के रहते फील की गई है और वह यह है कि जो एक तरह से ट्रेसपासर्स हैं उनको अपने आप नया डिफेन्स सिखलाता है, और वे आकर के अपना डिफेन्स इसी तरह से लेते हैं कि उसने राजी खुशी से खेत छोड़ दिया था, और इस जमीन पर मैंने इस लिए काश्त कर ली है। ऐसी स्थिति में वास्तव में इन शब्दों को यहां रखने की जरूरत नहीं है। जो किसान राजी खुशी से अपनी जमीन को छोड़कर चला जाता है तो फिर वह आकर अपने दावे को इस कानून के तहत अदालत में पेश नहीं करेगा, पर अगर दावा पेश करता है तो उसकी राजी खुशी नहीं रहती। तो इसलिए यह कोई ठीक नहीं जंचती, क्योंकि किसान अगर राजी खुशी से छोड़ गया है तो वह न कभी इस धारा के नीचे आकर राहत मांगने वाला है, और न कभी अदालत में जाने वाला है। इसलिए इन शब्दों के रहने से वास्तव में एक तरह का डिफेन्स उस पार्टी को मिलता है जिसने ट्रेसपास किया है और इसके अतिरिक्त और कोई फायदा किसान को मिलने वाला नहीं है, किसान को तो इसके रहने से नुकसान ही भुगतना पड़ता है। तो मेरे खयाल से ये शब्द तो जरूर यहां से हटा दिये जाने चाहिये।

श्री तनसिंह—माननीय अध्यक्षजी, क्लॉज़ ५ में जो संशोधन जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने रक्खा है, मेड़ता से आने वाले माननीय सदस्य ने उस पर बहुत कुछ कह दिया है इसलिए मुझे उनकी इस आर्गूमेंट्स को रिपीट करने की जरूरत नहीं है। पर मेवाड़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन रक्खा है, उसके विषय में मैं थोड़ा निवेदन करना चाहता हूँ। और वह निवेदन यह है कि यह क्लॉज़ जिस स्थिति में इस समय है वही उपयुक्त है और उन्होंने इसमें जो संशोधन रक्खा है उसमें इसकी मन्शा में अड़चन ही आ सकती है। इस संशोधन के रखने में माननीय सदस्य ने एक ही दृष्टिकोण से सोचा है कि आम तौर पर किसान को लैंड लॉर्ड या लैंड होल्डर ही डिसपजेस करता है और ऐसा डिस्पजेशन करने के बाद यदि असिस्टेन्ट कलेक्टर को यह अधिकार दिया जावे कि वह बजाय उसको इजेक्ट करने के या इजेक्ट करने के बाद उसको सब टिनेन्ट करार दे, ऐसा डिस्क्रेशन भी कोर्ट को न देने में एक बड़ी भारी अड़चन हो सकती है और वह यह है कि इजेक्टमेंट ऐसी स्थिति पर हुआ है कि जिस समय करीब करीब धान की फसल उसमें पक गई है और वह जिसने कि उसको डिस्पजेस किया है उस सारी फसल को ले लेता है और फसल के लेने के बाद उसको सारी आमदनी उसने प्राप्त कर ली कि इजेक्टमेंट होने के वक्त यदि उसको सिर्फ इजेक्टेड करार दिया जाता है तो उस व्यक्ति ने जिसने इजेक्ट किया है, फायदा उठाया है, उसके बदले में तो कुछ भी उसको नहीं देना पड़ा है। बल्कि उसका इजेक्टमेंट कर लिया गया है और टिनेन्ट जिसे साल भर से इजेक्ट किया गया है वह तो साल भर की अपनी आमदनी से महरूम रहा और साल भर तक जिस व्यक्ति

[श्री तनसिंह]

ने उसको इजेक्ट किया था वह उस आमदनी का लाभ उठाये। यह जो क्लॉज़ रखी हुई है उसके द्वारा असिस्टेन्ट कलेक्टर को ऐसे अधिकार हैं कि जिसमें वह आवश्यक समझें, यह मानने में नहीं आ सकता कि विपरीत परिस्थितियों के होते हुए भी वह एक ऐसा निर्णय करेगा, लेकिन कुछ ऐसी इमरजेन्सीज़ भी हो सकती हैं जिनके कारण असिस्टेन्ट कलेक्टर को ऐसा निर्णय करने पड़े और वह निर्णय, मेरा ख्याल है, काश्तकारों के हित में अधिक होगा। ऐसे समय में जिस समय में इजेक्शन करने वाले व्यक्ति ने सारी की सारी फसल अपने हाथ मे ले ली हो, उस आमदनी का फायदा उठा लिया हो, तो ऐसी सूरत में असिस्टेन्ट कलेक्टर को यह डिस्क्रिशन देना चाहिये कि वह इजेक्टमेंट देने के साथ में सब-टिनेन्ट करार दे और सब-टिनेन्ट करार देने से उस आमदनी का जो भाग रेन्ट के रूप में देना चाहिये वह दे देगा और इसलिए जो भी नुकसान साल भर में डिस्पजेशन से हुआ है वह नुकसान उसे वापिस रिकूप हो सकता है। इसलिए मैं जो मेवाड़ से आने वाले माननीय सदस्य हैं उनके संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री मोतीलाल चौधरी—माननीय उपाध्यक्ष, सेक्शन १३५ में दो माननीय सदस्यों के संशोधन हैं। सबसे पहले मेवाड़ से आने वाले सदस्य का संशोधन है। उसका समर्थन करते हुए मैं दो एक बातें कहना चाहता हूं।

श्री वेदपाल त्यागी—मेवाड़ कोई कॉन्स्टिटुएन्सी नहीं है।

श्री मोतीलाल चौधरी—सलूम्बर कॉन्स्टिटुएन्सी।

(अपना पूर्व भाषण जारी रखते हुए) उस संशोधन का विरोध करते हुए अभी अभी एक माननीय सदस्य ने जो शब्द कहे कि लेन्ड लॉर्ड को ही दिमाग में नहीं रखना चाहिए कि वही सिर्फ टिनेन्ट को बेदखल करता है। लेकिन सौ के अन्दर नब्बे प्रतिशत ऐसे ही मालूम होते हैं। जो आदमी लेन्ड लार्ड नहीं होगा, दूसरा भी आदमी होगा वह बेकानून, कानून के खिलाफ, किसी आदमी को, किसी टिनेन्ट को, खातेदार को, जो जमीन का मलिक है, निकालता है और निकाल कर जमीन पर कब्जा करता है, और उसको निकालना कानूनी है, उसके अनुसार उचित है और इजेक्टमेंट करता है और उसके बाद में इजेक्टमेंट डिक्री होने के बाद सबटिनेन्सी राइट दिये जांय एक साल के लिए तो यह कतई कानून के विरुद्ध है। इसलिए यह प्रोवीजन है इस सेक्शन में जो मेन सबसेक्शन (२) है उसके बिल्कुल विरुद्ध जाता है। मेन सबसेक्शन (२) में एक राइट दे रहे हैं उस आदमी को जो कि इल्लीगली इजेक्ट होता है किसी के द्वारा इल्लीगली इजेक्ट होता है उसको पुनः रिइन्स्टेट करने के लिए एक राइट दे रहे हैं। डिक्री में जो बाद में इल्लीगली, बेकानूनी होती है उसको निकाल दें उस पर करना चाहिये माकूल फाइन, उसके ऊपर जुर्माने का भी प्रोवीजन लाना चाहिये, लेकिन यहां पर ऐसा है कि वह एक फसल और ले जाय। चोरी भी करता है और जाते वक्त और लेता जाय, यह प्रोविजन

[श्री मोतीलाल चौधरी]

जो है उसको कतई नहीं रखा जाये और जो संशोधन माननीय सदस्य का है वह मन्जूर करना चाहिए। सबसेक्शन की मन्शा तभी पूर्ण होगी जब कि इल्लीगली काम करने वालों को सजा इस कानून के द्वारा दी जाय।

इसके बाद जोधपुर से आने-वाले मानीय सदस्य का एक संशोधन है, जिसमें कि टाइम तीन-महिने के बजाय छः महीने का है उसका मैं समर्थन करता हूँ। वास्तविक बात यह है कि कानून पास होने के बाद भी बहुत से पढ़े लिखे लोगों को, जनता को नहीं मालूम होता है तो जबकि किसान बे पढ़े हैं, उनके अन्दर १०० में ९९ अनपढ़े हैं तो उसको कानून साल भर तक नहीं मालूम होगा ?

कुं श्री **जसवन्तसिंह**—तब छः महीने से क्या फायदा होगा ?

श्री मोतीलाल चौधरी—तीन महीने से कम से कम छः महिने तो ज्यादा होने से फायदा होगा। जो कार्यकर्त्ता हैं, वे किसानों में जाते हैं, जो किसानों का भला करने वाले हैं वे इसकी आवाज राजस्थान के कोने कोने में पहुँचा देंगे। उस टाइम के लिए छः महिने देगें तो वह अलग अलग जगह पहुँच सकेगें और किसानों को राहत देने में मदद कर सकते हैं। छः महिने से जो राहत देना है, जो बे कानूनी इजेक्टेड हो गये हैं, उनको राहत देना है, जैसीकि इस क्लॉज़ की मन्शा है, सो देना तो चाहिये एक साल। इल्लीगली जिनको जागीरदारों ने जबरदस्ती निकाल दिया है जिसको दो साल का राइट देना चाहिए। बहुत से किसानों ने, निकलने के बाद में उस गांव को छोड़ दिया है और दूसरी जगह चले गये हैं, वहां जाकर सब टिनेन्ट होकर जमीन काश्त करता है उसको लासके। छः महीने के बाद लौट कर आयेगा एप्लाई करेगा। एक साल देना चाहिये और छः महीने दें तो भी ठीक रहेगा। हम ज्यादा टाइम देकर अहसान नहीं करते हैं। राइट दे रहे हैं। जिस राइट को टिनेन्सी कानून के द्वारा दे रहे हैं तो एक साल दें तो अच्छा है। अगर एक साल नहीं दें तो जो संशोधन माननीय सदस्य, जोधपुर से आने वाले, ने दिया है उनको मानना आवश्यक है।

उसके बाद में दूसरा संशोधन है टाइम लिमिट का, मगर वह मेरी राय में ठीक नहीं है। टाइम लिमिट किसी कारण से नहीं करना है। जैसा कि मेड़ता से आने वाले सदस्य ने कहा कोर्ट को उसकी मर्जी पर छोड़ देना चाहिए। गवर्नमेंट को रेग्यूलेट करना चाहिए। अगर गवर्नमेंट ढंग से चलेगी तो आशीर्वाद मिलेगा जनता का, नहीं चलेगी तो आशीर्वाद नहीं मिलेगा जनता का।

उसके बाद जो ५ वां सब क्लॉज़ है उसके बारे में जो संशोधन है, उसका मैं समर्थन करता हूँ और साथ ही साथ मैं देखता हूं और मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि सब क्लॉज़

[श्री मोतीलाल चौधरी]

(५) को कतई हटा देना चाहिए। मेरा एमेन्डमेंट नहीं है। यह मैं सजेशन दे रहा हूं। मैंने पहले अमेंडमेंट नहीं भेजा है। यह सब क्लॉज़ (५) वह काम नहीं देता है जो कि डिक्री या ट्रान्सफर हो जायगी। जो डिक्री से ऑटोमेटिकली दूसरों के हाथ में जमीन चली जायगी तो वह ट्रान्सफर हो गया और लीगल ट्रान्सफर हो गया। उसके बाद में कोर्ट में डिक्री होगी, उसके अन्दर एक्शन आयेगा आटोमेटिकली। उस तरफ बैठने वाले माननीय सदस्य जो मेड़ता से आये हैं उनकी इस बात को अच्छी तरह समझा जाय कि वास्तव में इस सबसेक्शन के उस शब्द के अन्दर उन इलाकों के अन्दर बहुत सारे जागीरदार भाई हैं, उन्होंने उन किसानों से जिनको पट्टे मिल चुके हैं, जो सदियों से उस जमीन पर काम करते हैं उनके पट्टे ले लिए हैं, उनको बेदखल कर दिया है जबरदस्ती डरा कर, धमका कर उनसे लिखा लिया है कि वे सरेन्डर करते हैं उस जमीन को छोड़ते हैं। एक नहीं अगर उदाहरण चाहिए तो सैंकड़ों दे सकता हूँ। विपक्ष की बेन्चेज़ पर बैठने वाले माननीय सदस्य हैं जो कि विरक्षी दल के नेता हैं और जो स्वयं एक जागीरदार थे कि लोग उन गांवों में पीढ़ियों से रह रहे थे और खेती कर रहे थे उनको पट्टे नहीं मिले हैं। सारे के सारे पट्टे जागीरदार ने अपने नाम से सरेन्डर करा लिये हैं। (हियर, हियर) मैं जयपुर के आसपास बता सकता हूँ। यह हंसने की बात नहीं है शर्म की बात है।

श्री अध्यक्ष—असंगत विषयों में न जाइये, जो रेलेवेन्ट है उन पर कहिये।

श्री मोतीलाल चौधरी—रेलेवेन्ट ही कह रहा हूं।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—Whatever is connected witth the Jagirdars is relevant.

श्री मोतीलाल चौधरी—या तो सबक्लॉज़ (५) को पूरा का पूरा हटा देना चाहिए, नहीं तो जो एमेंडमेंट जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है उसको मन्जूर करन चाहिये।

श्री जवान सिंह — माननीय अध्यक्ष इस क्लॉज़ के सब क्लॉज (२) में प्रोविजो को डिलीट करने के सिलसिले में जो संशोधन पेश किया गया है उस पर मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले यह निवेदन किया जा रहा था कि यदि तीन महीने का समय इस में जैसा रखा गया है वह वैसा ही रहने दिया गया तो उसका कोई अर्थ नहीं रहता और इसलिये इस समय को बढ़ाकर ६ महीने की अवधि करदी जाय, मैं इसको ठीक तौर पर समझ नहीं पाया। माननीय सदस्य के मस्तिष्क में या ध्यान में शायद यह बात नहीं रही हो कि इसके पहले काफी असे तक आर० पी० टी० ओ० मौजूद था और उसमें तीन महीने का समय जो रखा गया है वह ठीक है। अब उनके सामने कौनसी नयी परिस्थिति पैदा हो गई है जिसकी वजह सदन के सामने व्यक्त नह

[श्री जवानसिंह]

की गई। छः महीने का समय बढ़ाने के लिये सदन के सामने कोई ऐसी मौजूद चीज नहीं रखी गई कि जिसके कारण सदन इस नतीजे पर पहुंचता कि यह समय तीन महीनों से बढ़ाकर छः महीनों का कर दिया जाय।

किसान जिस जमीन पर काश्त करते हैं उस पर से उनको एक दिन के लिये भी बेदखल कर दिया जाय तो उनके लिय यह रोटी का सवाल बन जाता है, और फिर हम तो उनको तीन महीने का समय देते हैं उस में वह अदालत में चाराज़ोई करके अपना न्याय करने की हर तरह की कोशिश कर सकता है। इसके लिये जो तीन महीने का समय रखा गया है वह अपर्याप्त नहीं है। मैं कहूंगा कि ज्यादा समय लगने में किसान परेशान होता है, वह नहीं चाहता कि ज्यादा दिनों तक उसको रोटी नहीं मिले। यदि उसको बेदखल कर दिया जाय तो वह एक दिन के लिये भी अदालत तक दौड़ने की कोशिश करेगा इसलिये तीन महीने का समय बहुत उचित था। हम देख रहे हैं कि चार पांच साल से जो प्रोसिजर अख्तियार किया गया है वह कामयाब हुआ है, तो फिर यह समय तीन महीनों से छ महीनों तक क्यों बढाया जाय?

एक माननीय सदस्य ने तो, शायद मजाक में हो, छ महीनों से भी आगे समय बढ़ाने के लिये अपना संशोधन रखा और कहा कि यदि जरूरत समझें तो यह समय छः महीनों से आगे भी बढ़ाया जाय। मेरे ख्याल से इस प्रकार की कोई संभावना न तो सदन के सामने ही प्रकट की गई है और न ऐसी संभावना हमारे सामने आई है यह काश्तकारों के लिये बहुत बड़ा प्रश्न है जो एक दिन के लिये भी नहीं चाहते हैं, कि उनको बेदखल करदिया जाय। यदि चार-पांच दिन का समय रखा जाता तो भी मैं सोचता कि यह समय काफी है। यदि किसी को आज बेदखल कर दिया जाय तो वह दूसरे ही दिन और मुमकिन है उसी दिन जाकर अदालत में अपनी चाराजोई करेगा। और भी दूसरी गुंजायश हमने रखी है, प्रोविजन्स रखे हैं, जिनके अन्दर वे दावा कर सकते हैं। इसके लिये उनको हक है डिक्लेरेशन कर सकते हैं, पजेशन ले सकते हैं, तो फिर यह प्रश्न जबर-दस्ती खड़ा किया गया है इसमें कोई तथ्य नहीं है।

इस धारा की एक बात की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं इसमें एक यह चीज जारी रहती है कि आया इस कानून के पास होने के बाद तीन महीने तक या इस कानून के कोर्स में आने से पहले कानून के खिलाफ किसी काश्तकार को बेदखल किया गया है तो जो शर्त बाद में आई है उस समय के अन्दर काश्तकार को हक है कि बेदखलि के खिलाफ अपनी दरख्वास्त असिस्टेन्ट कलेक्टर के दफ्तर में पेश कर सकता है। मैं नहीं समझ सका कि ऐसा क्यों किया गया है? इसमें हमने लेटर के बजाय अरलियर रख दिया होता तो यह समझा जा सकता था कि अरलियर का, काश्तकार को हक है कि वह असिस्टेन्ट कलेक्टर के दफ्तर में चाराजोई कर सकता है, लेकिन यह क्या बात हुई कि कानून के फोर्स में आने से पहले यदि कोई काश्तकार बेदखल

[श्री जवानसिंह]

हुआ है और प्रचलित कानून के अनुसार कोई दरख्वास्त पेश नहीं की गई है तो फिर हम कैसे इस कानून का फोर्स में लाने के बाद भी तीन महीनों का अधिकार देते हैं कि इसके अन्दर दरख्वास्त पेश कर सकता है और वापिस कब्जा ले सकता है, यह चीज मेरी समझ में नहीं आई। राजस्व मंत्रीजी देखेंगे कि लेटर शब्द ठीक नहीं हैं। इस कानून के फोर्स में आने से पहले चाहे कोई काश्तकार बेदखल हुआ है, लेकिन इस कानून के फोर्स में आने के बाद हम तीन महीनों का समय देते हैं तो यह न तो सदन ही की इच्छा है औरन माननीय राजस्व मंत्रीजी की यहइच्छा हो सकती है। पुराने कानून के अनुसार जब कि किसानों को आर० पी० टी० ओ० में तीन महीनों का अधिकार था उसको खत्म कर दिया और उन तीन महीनों में उन्होंने कोई दरख्वास्त पेश नहीं की और अब वे चाहते हैं कि इस कानून की तहत में वापिस पाने की कोशिश करें तो बजाय इसके कि प्रोपर कोर्ट में सूट दायर करके हक हासिल करें, इससे एक अजीब उलझन पैदा हो सकती है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इसको पास करने से पहले इसको वापिस देखा जाय। इसमें शब्द लेटर ठीक नहीं हैं, अरलियर होना चाहिये। नहीं तो काफी उलझनें पैदा करेगा जिसको न तो हम चाहते हैं और न इस बात के लिये राजी है कि पहले की बेदखलियें अब फिर अदालत के सामने आवें और एक नयी उलझन पैदा करदें। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इसे मंजूर न किया जाय।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—माननीय अध्यक्षजी, इस क्लॉज़ में जो अमेन्डमेन्ट्स इस सदन के समक्ष रखे गये हैं उन पर काफी चर्चा हो चुकी है और जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो अमेन्डमेन्ट्स रखे हैं उनमें से उनका सबसे पहला अमेन्डमेन्ट यह है कि तीन महीनों की अवधि के बजाय छः महीनों की अवधि करदी जाय। मैं समझता हूं कि पिछले वर्षों में आर० पी० टी० ओ० की जानकारी आम तौर पर इतनी होगई है कि उससे लोग कोई तकलीफ महसूस नहीं करते। अब जब कि हम स्पीडी रेमेडी करना चाहते हैं और कहते हैं कि डिस्पोज़ल जल्दी हो तो ऐसी हालत में और टाइम एक्सटेन्ड करके छः महीना रखना ठीक नहीं होगा। इससे बजाय फायदे के नुकसान होगा। लोग आम तौर से जानने लगे हैं कि तीन महीनों में दरख्वास्त पेश करनी चाहिये। मैं समझता हूँ कि इस अवधि को एक्सटेन्ड करना उचित नहीं है और जो प्रोविजन रखा गया है, वही रखना ठीक रहेगा।

दूसरी बात यह कही गई कि असिस्टेन्ट कलेक्टर के यहां और अपील के मामले में टाइम लिमिट फिक्स कर देनी चाहिये। मेरे ख्याल से मेड़ता के माननीय सदस्य ने जैसा कहा, मैं समझता हूँ, किसी भी कानून में हम टाइम लिमिट बांध दें कि अमुक वक्त में फैसला होना चाहिये, यह उचित नहीं होगा, और न आम तौर से इस प्रकार की अवधि बांधी जाती है। कई प्रकार की बातें हो सकती हैं जिनके कारण देरी हो सकती है, और यह भी माना जा सकता है कि इतनी देरी नहीं लगनी चाहिये लेकिन इन दोनों के बीच में न्यायोचित बात कौनसी होगी यह देखें तो वक्त ज्यादा लगता है कि जल्दी में कार्यवाही न हो और न्याय के बजाय उल्टी स्थिति पैदा हो जाय इसलिये यह चीज़ भी मैं मानने में असमर्थ हूँ।

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

एक बात यह कही गई कि सब क्लॉज़ (५) में जो शब्द रखे गये है ; "or to a tenant who has voluntarily given up the holding on the expiry of the term of his lease." इनको डिलीट कर दिया जाय।

इसके लिये उन्होंने यह दलील दी कि इससे कोई गलत आदमी फायदा उठा सकता है।

मैं समझता हूँ कि इसकी सम्भावना हो सकती है और इसको रखने से वोलेन्टीरिली सरेंडर करने वाला है, इस धारा के रखे वगैर भी उस पर कोई बंदिश नहीं आती। तो इसको डिलीट करने में मुझे कोई एतराज नहीं है। संशोधन के इस हिस्से को मैं स्वीकार कर सकता हूं।

एक संशोधन और सलूम्बर से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा सब क्लॉज़ २ के पहले प्रोविजों के बारे में कि वह प्रोविजों डिलीट कर दिया जाना चाहिये, क्योंकि इसमें हम, जो व्यक्ति एक तरह से नाजायज़ कब्जा करते हैं, उनको सब टिनेन्ट बना देते हैं, उस फसल के लिये। हमारी मंशा तो यह है कि उसके खिलाफ सख्त कदम उठाना चाहिये, पर इस धारा से उसको इस हद तक प्रोटेक्शन मिल जाता है तो माननीय अध्यक्ष, हमारी मंशा ऐसे व्यक्ति को प्रोटेक्शन देने की कतई नहीं है। वैसे धारा १३३ में यह बात जरूर कही गई है कि अगर वह डेमेजेज़ दें उसके बारे में पेमेन्ट कर दे तो कोर्ट चाहे तो उसको उस फसल के लिये सब टिनेन्ट रख सकता है और उस फसल को कलेक्ट करने का अधिकार दे सकता है। फिर अलग से इस प्रोविजो को रखेंगे तो इस बात की गुंजायश पैदा हो सकती है कि सिर्फ इस तरह के व्यक्ति को सबटिनेन्ट डिक्लेयर कर दिया जाय और वह किसी प्रकार के डेमेज़ नहीं दे, और लगान वगैरह नहीं दे कर कहे कि उसको राइट मिल गया। तो इस प्रोविजों को डिलीट कर देने से यह मुगालते की गुंजायश दूर हो जायगी। इसलिये इसको डिलीट करने में मुझे कोई एतराज़ नहीं है।

अभी मेरे पूर्व वक्ता ने 'लेटर' शब्द के सम्बन्ध में कहा, इस बारे में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मौजूदा जो आर. पी. टी. ओ. है उसमें यही बात है, और वह कानून बराबर अमल में आ रहा है। और उसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आई हैं। वैसे कोई अमेन्डमेन्ट भी नहीं उनका और यों भी मुझे इसे स्वीकार करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

धौलपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने पिछली बैठक में रखा था और उसमें यह बात कही गई थी कि उनका अमेन्डमेन्ट है कि हम इसमें से कुछ शब्दों को हटा दे और लैंड होल्डर को इसमें नोटिस देने का नहीं रखें। मैं इसे आवश्यक नहीं समझता और इसी दृष्टि से मैं उनके अमेन्डमेन्ट को मानने में असमर्थ हूँ।

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

तो जो मैंने कहा है मैं एक दफा और दोहरा दूं। जोधपुर से आने वाले सदस्य ने अमेन्डमेंन्ट रखा है कि इसमें पांचवें सब क्लाज़ में:

"or to a tenant who has voluntarily given up..."

के आगे के शब्दों को डिलीट कर दिया जाय, इसको स्वीकार करने में मुझे एतराज नहीं है।

सलूम्बर से आने वाले माननीय सदस्य ने अमेन्डमेन्ट रखा कि सब क्लॉज़ २ के प्रोविजों नं० १ को डिलीट कर दिया जाय, यह मुझे स्वीकार है।

इसके बाद मैं आशा करता हूं कि सदन इसे स्वीकार करेगा।

कु० **श्री जसवन्त सिंह**—आपने फरमाया कि माननीय जवानसिंह जी ने जो सुझाव रखा था कि वर्ड 'लेटर' के बारे में यह आर. पी. टी. ओ. में है। मेरे पास वह नहीं है, मैं नहीं कह सकता कि वह यह किस सेंस में दिया है। परन्तु यहां पर एक टिनेन्सी ला का सवाल है और वहां आर. पी. टी. ओ. की बात थी और दोनों के मुकाबिले में फैसला होगा वहां लेटर डेट से फायदा पहुंचाया जा सकता किस सेंस में वहां दिया गया है, किससे मुकाबिला किया गया है, इसका माननीय मन्त्री खुलासा करें। यहां टिनेन्सी एक्ट बना रहे हैं तो टिनेन्सी एक्ट का मुकाबला किया जा रहा है या इससे पहले के कानून का?

आफ्टर पासिंग ऑफ दिस एक्ट और हालत होगी।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—इस क्लॉज़ में जो समेरी रेमडी दी गई है, उस रेमडी को प्रोवाइड़ करने के लिये दी गई है, टिनेन्सी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। वहां पर भी इसी मंशा से यह धारा थी जिस मंशा से यहां ली गई है।

कु० **श्री जसवन्त सिंह**—यहा पर कन्फिलक्ट यह आता है कि तीन साल पहले आर पी. टी. ओ. के मातहत एक काश्तकार की दरख्वास्त को रिजेक्ट कर दिया। अब टिनेन्सी एक्ट बन रहा है, वह यह प्रोविजन रखता है कि जो टिनेन्ट पहले इजेक्ट हुआ है वह इस एक्ट के लागू होने के तीन महीने के अन्दर इसकी रेमडी हासिल कर ले।

जो फैसला तीन साल पहले हुआ वह भी इसके जरिये रिओपन किया जायगा अगर यह मंशा है तो, तो मैं यह समझूंगा कि इसमें कन्फिलक्ट आयगा।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं एक बात और अर्ज कर दूं कि श्री कपिलदेव जी ने भी जो अमेन्डमेन्ट पिछली बैठक में मूव किया था कि "Proviso 2 of sub clause 2" को डिलीट करने का, वह भी मुझे मंजूर है।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—मेरा जवाब नहीं मिला।

श्री अध्यक्ष—(श्री हरिकृष्ण व्यास की ओर संकेत करते हुए) पहले इनका जवाब सुन लीजिये, यह जवाब दे दें तब वे दे देंगे।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय अध्यक्ष, दो ही ऐसे मुद्दे हैं, जिन पर ऐसा मुझे लगता है या तो अलग अलग ढंग से समस्या को एप्रोच कर रहे हैं और इस बात को समझने में कठिनाई आ रही है। तीन महीनों से बढ़ा कर ६ महीनों का प्रोविजन प्रस्तुत किया, वह आवश्यक नहीं है। और इसका कारण यह बताया गया कि आर. पी. टी. ओ. में भी यही रखा है और वह इत से चला आ रहा है, उसमें किसी प्रकार की अड़चन नहीं आ रही है।

यह सही होता, दुरुस्त होता, कि अगर इस बात की छान बीन की जाती कि आर. पी. टी. ओ. के मातहत जो तीन महीने का अर्सा रखा गया है, वह अनुभव से काफी हुआ है कि नहीं ? होता यह है कि आप यह एक्ट पास करके गजट में नोटीफाई कर देंगे, परन्तु गजट पढ़ने वाले देहातों के लोग हैं, उनके पास एक महीने के बाद तक तो गजट की सूचना पहुंचेगी और फिर यह मानकर चलना होगा कि, जैसा कि मेरे माननीय मित्र कह रहे हैं, जिसको जमीन से इतना प्यार है वह दस पन्द्रह दिन तक कैसे जमीन से अलग रह सकता है। अगर फैसला उसके हाथ में हो या उसके डंडे के हाथ में हो, तो वह दस दिन तो क्या दस मिनट के लिये भी अलग नहीं रह सकता। पर समाज ने उसे पिछड़ा हुआ रखा है इसलिये दस आदमियों से सलाह करता है, और उन दस आदमियों में से पांच ऐसे मिलते हैं जो उसे गलत सलाह देते हैं। अर्जी लिखाने के लिये भी उसे एस. डी ओ. के कोर्ट में जाना पड़ता है, उसमें भी उसे समय लगता है।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—एरोप्लेन में जाये।

श्री हरिकृष्ण व्यास—वह अगर एरोप्लेन में जाने लायक हो जायगा तो राजस्थान में इस तरह की नौबत ही नहीं आयेगी। तो ऐसी हालत में तीन महीने से छः महीने की अवधि रख दी गई तो कौनसा बड़ा तूफान उठ जायगा। अगर आप नया कानून बनाते हैं, उसके मतह अधिकार देते हैं, तो इस एक्ट के केनैक्मेंट के पहले जो इजेक्टमेन्ट हो रहे हैं उसके लिये यह फाइनल इजेक्टमेन्ट है। जो एक्ट आज आप पास कर रहे हैं उसकी फाइनल टाइम लिमिट, absolute necessary time limit six months होगी।......

तीन महीने जो आपने रखे है उसका कारण तो मेरा खयाल है that will be too short a time limit. तो इस वजह से आइन्दा के लिये तीन महीने रखना ठीक है या नहीं, लेकिन पुराने इजेक्टमेंट जो इस एक्ट के पास होने के बाद जो इस कानून के मातहत आवेंगे उसके लिये छः महीने रखना आवश्यक है। यह पहली चीज है जिस पर ध्यान देना आवश्यक है।

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

दूसरी बात जो मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं वह यह है कि यह कोर्ट पर समय की कोई पाबन्दी नहीं डाली जावे यह दलील दी गई। मैं यह कहूंगा कि यह दलील उसूलतन गलत है और इस सम्बन्ध में मैं यह अर्ज करना चाहूँगा कि यह कौनसे जुरिसप्रुडेन्स का उसूल है जिसको मान कर आपने इस प्रकार की दलीलें दी है। मेरे माननीय मंत्री ने तो, मैं समझता हूं कि जुरिसप्रुडेन्स का अध्ययन किया है और मैं समझता हूं कि उसमें कहीं भी ऐसा नहीं है जिसमें यह कहा गया हो :

"Justice delayed is worse then the justice denied" आप न्याय भी करें और इतनी देरी से करें कि उस न्याय का मतलब कुछ नहीं रहता तो आपका वह न्याय भी अन्याय से बदतर है। जिसको आप समरी प्रोपोजल मानते हैं और यह चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी फैसले होने चाहिये, आप राजस्थान विधान सभा के सदस्य हैं, अगर आप समय का बन्धन कोर्ट पर लगाने के लिये तैयार नहीं हैं, तो मैं यह कहूंगा कि आपकी दोनों चीजें अलग अलग स्टेन्ड करेंगी। समेरी अधिकार देना तभी न्याययुक्त होता है जब हमारी इच्छा तुरन्त फैसला करने की होती है और अगर इस सिद्धात को ध्यान में रखा जावे तो यह लाजमी है कि हम समय का बन्धन डालें और हमें समय का बन्धन डालना चाहिये। वरना होता क्या है, हम दो चार बातें यहां सदन में बैठ कर कानून की कर लें मगर दरअसल होता क्या है ? होता यह है कि असिस्टेन्ट कलेक्टर, एस. डी. ओ. दौरे में जाते रहते हैं और दूसरे काम भी उनको आते रहते हैं और इस वजह से एक के बाद दूसरी पेशी पड़ती रहती है। अगर इस सबन्ध में आप आंकड़े चाहें तो मैं आपको आंकड़े बता सकता हूँ कि जिन केसेज़ में छः से आठ हियरिंग बगैर गवाह लिये या कोई अन्ट खींचे होती रहती है और यह हालत मामूली मामूली जगहों पर पर नहीं है यह हालत डिविजनल हैड क्वार्टर पर है, जयपुर और जोधपुर शहर में है। जयपुर जो राजस्थान की राज धानी हैं यहां पर यह बात हो रही है। सरकार पर छोड़ दिया जावे, यह कहना बिलकुल ठीक है लेकिन इसका तात्पर्य यह होगा कि आज कि हालत को वैसी की वैसी छोड़ना होगा। सरकार ज्यादा से ज्यादा सरक्युलर निकालेगीं इससे ज्यादा सरकार क्या कर सकती है ? रेवेन्यु विभाग अभी तक तीन चार सरक्यूलर्स इस सम्बन्ध में निकाल चुका है और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी दो सरक्यूलर्स निकल चुके हैं, मगर फिर भी वही परिस्थिति है। इसलिये मैं यह कहूंगा कि अगर आप समरी पॉवर्स की जिस तरह जरूरत समझते हैं तो उसी तरह से आपको कोर्ट पर समय की बन्दिश करनी होगी कि अमुक समय में इसका फैसला कर दें। यदि आप यह समझते हो कि एक महिने की अवधि कम है तो आप दो तीन महीने की अवधी कर दी जिये। अगर यह बन्दिश नहीं करेंगे तो की पूरी की पूरी क्लॉज का कोई मतलब नहीं होगा, मान लें कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसने किसी व्यक्ति को बेदखल किया है और वह चाहता है कि किसी भी तरीके से उस व्यक्ति को जिसको उसने बेदखल किया है जमीन नही मिले तो उसके लिये सबसे आसान चीज़ यह है कि चाहे फैसला उसके पक्ष में हो या नहीं, वह तो पेशी पर पेशी बदलने की कोशिश करेगा। लगातार छः महीने या साल भर तक कोई फैसला नहीं हो दो फसल तक उसका

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

केस तय नहीं हुआ तो एक तो जीत गया दूसरा बरबाद हो गया और सारा का सारा केस ही जिस पर उसका दारोमदार था, खत्म हो जाता है।

Where time is the essence of the contents of the case we cannot keep a hypothetical attitude towards it. Where the main provision rests on it, we don't want to empose it.

इस बात को ख्याल में रखते हुए मैं यह कहूँगा कि इस पर फिर से विचार किया जावे और मैं आशा करता हूँ कि इन दोनों बातों को स्वीकार कर लिया जायगा और क्लॉज़ १३५ जो आज बेजान पड़ी है, उसमें इससे जान आ जावेगी।

कुं श्री जसवन्तसिंह—माननीय अध्यक्ष, मेरे पास आर. पी. टी. ओ. मौजूद है। मैंने जो अभी निवेदन किया था उसमें और कुछ पुष्टि करने का मसाला मिल गया है। मैं उसके स्पष्टीकरण के लिहाज से कहता हूँ कि उसूलतन कोई रोंग चीज नहीं कर दें। आर. पी. टी ओ. के क्लॉज़ ७ में यह लिखा है : "Any tenant who was in occupation of his holding on the first day of April, 1948, and has thereafter been ejected therefrom or dispossessed thereof or from any part thereof-

(a) before the commencement of this ordinance otherwise than by process of law, or"

बिल्कुल हूबहू वही सेन्स है (b) "after the commencement of this ordinace in contravention of the provisions thereof."

ये भी वही शब्द हैं "may within three months from the date of such ejectment or dispossession or the commencement or this Ordinance whichever happens to be later".

आप देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि 'वर्ड टू वर्ड' वे ही शब्द आये हैं। हम यह समझें कि हमारी सरकार की यह मंशा है कि उन ऑर्डिनेन्स की तहत में जो फैसले हो चुके हैं, उन्होंने तीन महीनों में एस. डी. ओ. या एसिस्टेन्ट कलेक्टर को एप्लाई किया होगा और उन्होंने उनकी एप्लीकेशनों को रिजेक्ट कर दिया होगा। अब हम नया कानून पास कर रहे हैं, उसमें यह शब्द ला रहे हैं जिससे उस समय रिजेक्ट की गई एप्लीकेशनों वालों के केसेज़ भी रि-ओपिन करने की मंशा सरकार की हो तो यह रखा जा सकता है। लेकिन जो बात फाइनल तय हो चुकी है, उसको फिर से रि-ओपिन करना कहां तक ठीक होगा ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—Process of law.

कु॰ श्री जसवन्तसिंह—It may be process of law but there is a later law which would prevail.

अगर यही बात है तो मैं आपके ध्यान में लाना चाहूँगा.......

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—इसके सब क्लॉज़ (१) को देखने से आपको स्पष्ट हो जावेगा :

"before the commencement of this Act, otherwise than by process of law."

अगर कोई केस प्रोसीजर ऑफ लॉ से decide हो चुका है, वह तो ठीक नहीं हो सकता है।

श्री वेदपाल त्यागी—माननीय अध्यक्ष, इसमें फ्लो जरूर रह जाता है। आज से दो तीन वर्ष पहले आर. पी. टी. ओ. में किसी ने दरख्वास्त दी और उसका फैसला अभी नहीं हुआ, पेन्डिग पड़ा हुआ है वह, तो आज दरख्वास्त दे सकता है। इसलिये यह बात इसमें जरूर रह जाती है। इसकी तरफ ध्यान देना चाहिये।

श्री हरिकृष्ण व्यास—वह बात तो इसमें भी है।

कु॰ श्री जसवन्तसिंह—आर. पी. टी. ओ. ने तीन महीने की मियाद दी और बहुत से आदमियों ने सेटिस्फाइड होकर कोई कार्यवाही नहीं की और कुछ लोगों ने जिनको इजेक्ट कर दिया उन्होंने कार्यवाही की, मगर कोई कार्यवाही नहीं हुई, उनका केस तो रि-ओपिन होगा।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—अध्यक्ष महोदय, जिनके केसेज डिसाइड हो चुके हैं, उनके मंजूर होने का सवाल नहीं आयगा, यह बात तो उचित है। किन्तु सवाल यह आता है कि तीन महीने की अवधि आर. पी. टी. ओ. में दी हुई है और जिन्होंने फायदा नहीं उठाया है उसका उनको फायदा मिलेगा। यह इसकी भाषा से स्पष्ट है और सिलेक्ट कमेटी ने भी इसको पास किया था।

श्री जवानसिंह—आपके मान लेने से स्पष्ट नहीं हो जाता है। जो शब्द यहां अभी आये हैं उनका अर्थ जो अभी निकाला जा रहा है, वह बाद में भी वैसा ही निकाला जायगा। अगर आप स्थिति साफ कर दें कि हमने उनके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं रखी है तो कोई झगड़ा पैदा नहीं होता है। सवाल यह है कि मेक्सिमम टाइम लिमिट जो तीन महीने की रखी गई है वह रहनी चाहिए या नहीं? आर. पी. टी. ओ. में यदि नहीं है तो कोई झगड़े की बात नहीं है। अतः इसको स्पष्ट कर देना चाहिए।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं समझता हूं कि भाषा स्पष्ट है और उसको ज्यादा स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं हैं। और जोधपुर से आये हुए माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा उसके लिए मुझे कुछ नहीं कहना है।

श्री सोहनलाल भटनागर—जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो मत प्रकट किया हैं उसका मैं एक्सप्लेनेशन चाहता हूं। आपने टाइम लिमिट रखी। मान लीजिये कि खुदा न खास्ता वह टाइम लिमिट से समय एक्सीड हो गया तो उस वेकयूम को भरने के लिए उन्होंने कुछ नहीं बताया।

श्री अध्यक्ष—Not necessary. I put it to vote.

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १३५ में जो संशोधन श्री श्रीगोपाल ने रखा है, उसको स्वीकार किया जाय?

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री कपिलदेव अग्रवाल ने क्लॉज़ १३५ में रखा है उसको स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकृत हुआ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री सोहनलाल भटनागर ने क्लॉज़ १३५ में रखा, उसे स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार हो गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री हरिकृष्ण व्यास ने रखे हैं...

श्री हरिकृष्ण व्यास—on a point of order, Sir, मेरे संशोधन के भागों में से कुछ तो स्वीकार कर लिए गये हैं और कुछ नहीं किये गये हैं।

श्री अध्यक्ष—it is only a part of your one amendment which has been accepted.

श्री हरिकृष्ण व्यास—But then if that part is voted in the negative that will be wrong.

श्री अध्यक्ष— I have heard the reply of the Minister and he said that he opposes all the major amendments.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Major or minor these amendments may be which have been put by me, I hope these will be accepted.

श्री अध्यक्ष—To hope about their acceptance is hoping against hope.

श्री हरिकृष्ण व्यास—He has already accepted one or two minor amenments.

श्री अध्यक्ष—That is not my interpretation of his reply. The question is that the amendment moved by Shri H. K. Vyas to clause 135 be accepted;

श्री हरिकृष्ण व्यास—सब क्लॉज़ (३) एक्सेप्ट किया है। सब क्लॉज़ (५) में कुछ वर्ड हटाने का है।

श्री अध्यक्ष—All right. I put them one by one. प्रश्न यह है कि क्लॉज १३५ में श्री हरिकृष्ण व्यास का जो संशोधन नं० १ है उसको स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १३५ में श्री हरिकृष्ण व्यास का अमेन्डमेन्ट (बी) जो है वह स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

[श्री अध्यक्ष]

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १३५ में जो संशोधन सब क्लॉज़ (३) में श्री हरिकृष्ण व्यास ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज़ १३५ के सब क्लॉज़ (५) में लाइन तीन के अन्दर रखा है उसको स्वीकार किया जाय ?

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया**—मैं मंजूर करता हूं।

श्री **हरिकृष्ण व्यास**—This, I belive कि 'हां' पक्ष जीता।

श्री **अध्यक्ष**—I want them to say 'yes'. प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १३५ के सब क्लॉज़ (५) में जो संशोधन श्री हरिकृष्ण व्यास ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकृत हुआ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १३५, संशोधित रूप से, विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १३५, संशोधित रूप से, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ १३५ ए. श्री श्रीगोपाल भार्गव

श्री **श्रीगोपाल भार्गव**—क्लाज़ १३५ के अन्दर जो रेमेडी काश्तकार के लिए की गई है काश्तकार उसका फायदा उस वक्त उठायेगा जब कि वह बेदखल हो जायगा। लेकिन इस समय ऐसी कोई धारा नहीं है कि जब कोई शख्स कानून को हाथ में लेकर, कानून की अवहेलना करके, किसी काश्तकार की आराजी पर कब्जा करने की कोशिश करे या उसमें बेजा मदाखलत करे तो उसको रोका जा सके। ऐसी हालत में यह धारा इसमें और प्रोवाइड करना आवश्यक है कि यदि ऐसा हो तो रेवेन्यू कोर्ट काश्तकार की

[श्री श्रीगोपाल भार्गव]

दरख्वास्त पर हुक्म इम्तिनाई जारी कर सके। इस कार्य के लिये काश्तकार को सिविल कोर्ट में जाने के लिए कार्यवाही काफी लम्बी हो जायगी, इसलिए मैं चाहता हूं कि क्लाज १३५ के बाद क्लॉज १३५(ए) और एड कर दी जाय जिसके जरिये से काश्तकार बेदखली से पहले ही जब उसके कब्जे की आराजी में कोई मदाखलत बेजा करे तो रेवेन्यू कोर्ट में दरख्वास्त पेश कर सके और हुक्म इम्तिनाई हासिल कर सके, उन लोगों के नाम जो कि उसको बेदखल करना चाहते हैं, जो कानून की अवहेलना करके जबरदस्ती उसकी आराजी पर कब्जा करना चाहते हैं, वे इस प्रकार कब्जा न कर सके, इसके लिए मैं यह अमेन्डमेन्ट इसमें चाहता हूं :

"Add the following new clause after clause 135 as 135 A :—

'135—A. (1) Prevention of wrongful ejectments—The tenant or sub-tenant may file an application in the Court of Assistant Collector to grant perpetual injunction.

(2) On receipt of an application under sub-section (1) the Assistant Collector shall give notice to the non-applicant and may on being satisfied, after such summary inquiry as he may consider necessary, that the non-applicant has invaded and threatens to invade the possession or enjoyment of such land or property which is in the applicant's lawful possession, grant perpetual injunction in favour of the applicant against the non-applicant.

(3) The order of granting the pérpetual injunction shall be executed in the same manner as prescribed in order 21 C.P.C."

इस अमेन्डमेंन्ट के मंजूर हो जाने के बाद काश्तकार को यह लाभ हो जायगा कि सिविल कोर्ट में जाकर लम्बी कार्यवाही के बजाय सरसरी तहकीकात पर वह बेदखल होने से बच सके और उन लोगों के नाम भी रेवेन्यू कोर्ट से हुक्म जारी हो सके जो कि उस आराजी पर कब्जा करना चाहते है। अगर वे रेवेन्यू कोर्ट के हुक्म के जारी होने के बाद भी कब्जा करेंगे, तो उससे अदालत की मानहानि होगी और उससे काश्तकार भी ज्यादा महफूज रह सकेगा। अतः मेरा निवेदन है कि यह अमेन्डमेन्ट मंजूर किया जाय और धारा १३५ (ए) इस बिल में और जोड़ दी जाय।

(श्री प्रीसीसिंह के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—पहले एक और संशोधन को प्रस्तुत होने दीजिये, उसके बाद आप बोलियेगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—Mr. Speaker, Sir, I beg to move the following amendment......

श्री अध्यक्ष—Both 135 A and 135 B?

श्री हरिकृष्ण व्यास—The two are entirely different, Sir. It will be difficult to move them together.

(विराम)

I beg to move the following amendment for the insertion of the following new clause 135 A after Clause 135 :—

"135 A. Any person who has wrongfully ejected a tenant shall also pay damages to the tenant which may extend to ten times the annual rent calculated in accordance with the sanctioned rent rates."

अभी मेरे पूर्व वक्ता ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है, वह भी एक प्रकार से प्रीवेन्टिव चीज़ थी, अर्थात् बेदखली की दशा में भी काश्तकार को कुछ रियायत मिल सकती है उसके लिये अधिकार दिये जांय इस आशय का उनका संशोधन था। वह भी एक जरूरी संशोधन था, इसमें कोई शक नहीं।

हमने, बेदखल कोई किसी को कर दे, उसके बारे में वापिस जमीन पर कब्जा हांसिल करने के लिए एक प्रकार का प्रोसीजर मुकर्रर कर दिया है, लेकिन जो चीज भयंकर है, बेदखली की, उसको फाइनेलाइज़ करने के बारे में कोई क्लॉज़ नजर नहीं आया। जब बहस ट्रेसपासर के सिलसिले में चल रही थी तो हमारे उस तरफ बैठने वाले माननीय मित्रों को याद दिलाना चाहता हूँ कि उस समय उन्होंने जिस तत्परता का परिचय दिया था कि ट्रेसपासर के साथ किसी भी प्रकार से रियायत नहीं की जानी चाहिये। ट्रेसपासर के साथ सख्ती के साथ वर्ताव किया जाना चाहिये, और इस वजह से ट्रेसपासर से मुआवजा दिलवाया जाना चाहिये। उस समय मैंने इस बात की ओर ध्यान आकर्षित किया था कि यह जो जोश है उसको थोड़ा सा बचाकर रख लिया जाय, इजेक्टमेंट के सिलसिले में किसानों के लिए इसको बचाकर रखा जाय। मुझे उम्मीद है कि वही स्टेंडेर्ड अब ला किया जायगा। अगर ट्रेसपासर को हमने खतरनाक प्रवृत्ति मानी है तो मैं यह अर्ज करूंगा कि जहां यह इजेक्टमेंट की खतरनाक प्रवृत्ति है, तो जिस प्रकार हमने ट्रेसपासर के साथ सख्ती के साथ व्यवहार करने की बात रखी है। वैसी ही सख्ती का व्यवहार हमें बेदखल करने वाले के साथ दिखाना चाहिये, बेदखल करने वाले के खिलाफ पेनेल्टी मुकर्रर करनी चाहिये और यह पेनेल्टी हम धारा १३५ ए के जोड़ने से कर सकते हैं। जिसके मातहत जिस आदमी ने किसी काश्तकार को गैर कानूनी तरीके से बेदखल किया हो, जमीन से अलग किया हो, उस दरमियानी अर्से में जो किसान

[श्री हरिकृष्ण-व्यास]

को नुकसान हुआ हो उस नुकसान के एवजाने में लगान का दस गुना तक दंड देना पड़ेगा उसको, जिसने काश्तकार को बेदखल किया हो। यही बेदखली को रोकने का बुनियादी तरीका हो सकता है, जब कि हम उसके पीछे कुछ पेनेल्टी का प्रोविजन जोड़े। बेदखली के लिये बेदखल करने वाले के लिए इस बिल में कुछ क्लॉज़ेज़ ऐसी जोड़े जिसमें बेदखल करने वाले को दंड मिल सके। बेदखल करने वाले को केवल जमीन से ही महरूम न होना पड़े, बल्कि और भी कुछ उसको नुकसान उठाना पड़े। नहीं तो क्या होगा ? अमुक नाम का व्यक्ति है, गोमा एक किसान है, जिसको गोमा ने बेदखल कर दिया और इसके बाद उसने दो साल तक मुकदमा लड़ा तो उसका क्या बिगड़ा ? what does he lose ? इस तरह से रोज हर महिने में वह चार पांच व्यक्तियों को अपनी जमीन से बेदखल करता रहेगा, सोचेगा चलो मुकदमा लड़ने पर जमीन चली गई तो उसका क्या बिगड़ा अगर रह गई तो उसको फायदा ही फायदा है। हमने इस बिल में बेदखली को रोकने वाली क्लॉज़ बनाई है, किन्तु इस सारे के सारे बिल में इजेक्टमेंट करने वाले को सजा देने के बारे में कोई भी क्लॉज़ नहीं रखी है। जब तक हम इस प्रकार की क्लॉज़ को न रख दें तब तक बेदखली को रोका नहीं जा सकेगा। जिस किसान को नुकसान हुआ, शायद उसकी खड़ी फसल को बर्बाद किया गया हो या उसे फसल बोने से महरूम रखा गया हो तो इस तरह से किसान को फसल का नुकसान हुआ सो तो हुआ ही, लेकिन उसको दिमागी परेशानी कितनी हुई उसको पचासों तरह की मसीबतें सहनी पडती हैं। बेदखल होने की वजह से उसको खाने कमाई का जरिया ही उसका चला गया। उसको जमीन तो दिलाई ही जाय किन्तु जो इस प्रकार के समाज विरोधी तत्व हैं उन तत्वों को सख्ती से कानून के जरिये या और दूसरे तरीकों से उन पर पेनेल्टी रखी जाय और इसी विचार पर मैंने क्लॉज़ १३५ ए. रखी है। मुझे उम्मीद है कि जिस प्रकार ट्रेसपासर के सिलसिले में हमारे उधर बैठने वाले मित्रों ने जिस प्रकार के तत्परता दिखलाई, राजस्व मंत्री ने भी बड़ी तत्परता दिखलाई थी, अत; मेरा निवेदन हैं उतनी ही सख्ती बेदखल करने वाले के साथ भी बरती जायगी, इतना कहते हुए मैं अपने इस संशोधन को स्वीकृति के लिये पेश करता हूं।

श्री अध्यक्ष—श्री घीसीसिंह।

श्री घीसीसिंह—क्या मुझे बोलना पडेगा ?

श्री अध्यक्ष—अगर आप नहीं बोलना चाहते है तो कोई जबरदस्ती नहीं।

श्री घीसीसिंह—अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह हैकि जो संशोधन श्री श्री गोपाल जी भार्गव ने रखा है उसके मुतल्लिक मुझे जिला भरतपुर का पूरा अनुभव है जितनी भी खाम की जमीन थी उनका पट्टा काश्तकारान से छीन लिया गया, इससे क्या हुआ कि पुराने काश्तकार बेचारे मारे मारे फिरते है, क्योंकि जमीन उन्होंने छुड़ा ली हैं। कहीं कहीं तो ऐसा हुआ हैं कि खड़ी खड़ी फसल भी काट ली गई है। उनके लिये आज तक कोइ भी कर्यवाही अदालतों से नहीं हुई है ताकि उनको कोई

[श्री घोसीसिंह]

सजा मिली हो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इसलिये मेरा यह निवेदन हैं कि भार्गव साहब ने जो संशोधन रखा है, ऐसा क्लॉज़ टिनेन्सी बिल में जरूर होना चाहिये, इससे काश्तकारों के साथ जो जुल्म हो रहे हैं, वह नहीं होने पावें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—अध्यक्ष महोदय, इस धारा में जो अमेन्डमेन्ट मूव किये गये हैं उसके संबन्ध में धौलपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो अमेन्डमेन्ट रखा है, मैं यह चाहता हूं कि इसके बारे में लॉ डिपार्टमेन्ट की लीगल राय ले ली जाय। मेरे खयाल से लीगली कन्ट्रोवरसियल इस्यू हो सकता है, इसलिये मैं कुछ समय चाहता हूं, ताकि इस पर लॉ डिपार्टमेन्ट की राय ली जा सके। इस संबन्ध में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसमें हम इसप्रकार का कानून नहीं ला सके। लेकिन अभी श्री भार्गव साहब ने मुझे कुछ अदालतों के फैसले बताये हैं, कि इस प्रकार का कानून हो सकता है। अत: इस पर जब तक कानूनी राय नहीं ली जाती तब तक मैं इस विषय में कुछ नहीं कह सकता।

दूसरे जो माननीय मित्र ने संशोधन रखे हैं, वे भी इसी प्रकार के है, अत; उन पर भी लॉ डिपार्टमेन्ट की राय ली जानी आवश्यक है। यह हुआ १३५ए, के संबन्ध में।

श्री अध्यक्ष—क्लॉज १३५ बी. को भी ले लीजिये।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—(बी) को अभी लेने के बजाय साइमलटेनियसली दोनों को साथ ले लिया जाय तो ठीक रहेगा।

श्री अध्यक्ष—चेप्टर १२।

श्री हरिकृष्ण व्यास—ग्यारह या बारह ?

श्री अध्यक्ष—बारह ग्यारह हो गया।

Shri Badri Prasad Gupta had moved his amendment for the deletion of the whole Chapter.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—पहले इस पर संशोधन रखे गये थे और इसके बाद इसको डेफर कर दिया गया था सारे चेप्टर को ही। अब जो अमेंडमेंट लाये गये हैं, आपस में तय करके, जो निश्चय कर पाये हैं उसके अनुसार लाये गये हैं। और जैसा कि मेड़ता से आने वाले सदस्य ने रखा है। उस वक्त यह बात आई थी, कोटा से आने वाले माननीय सदस्यों की ओर से उसमें यह बात रखी गई थी कि वहां इसमें बहुत सी रियायतें दी हुई हैं और इसी तरह की बातें धौलपुर और

Page No.50

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

भरतपुर से आने वाले सदस्यों ने भी कही थी कि इस चेप्टर को डिलीट नहीं किया जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—So I put it to vote. The gentleman (Shri Gupta) is not here.

श्री नाथूराम मिर्धा—इसके बाद तो कई अमेंडमेंट्स आये हैं।

श्री अध्यक्ष—Then we have to take the clause.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—(अपने स्थान पर बैठने के पश्चात्) I have already moved the amendment.

श्री अध्यक्ष—But this has to be withdrawn.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Or negatived.

श्री अध्यक्ष—Yes. Then Hon'ble Member insists his amendment ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—No, I do not.

श्री अध्यक्ष—The Hon'ble Member should ask leave to withdraw, because unless it is withdrawn, we cannot proceed.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मुझे विद्ड्रा करने की इजाजत दी जावे।

श्री अध्यक्ष—Is it the leave of the House ?

(स्वीकृत)

The leave is granted.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—I withdraw my amendment.

श्री अध्यक्ष—Yes. Clause 147. Shri Shri Das Goel.

(अनुपस्थित)

Not very keen to put his amendment ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—He is not here.

श्री अध्यक्ष—श्री नाथूराम मिर्धा।

श्री नाथूराम मिर्धा—माननीय अध्यक्षजी, जैसा कि अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने इस चेप्टर के बारे में जो संशोधन रखा था वह यह था कि इस पूरे के पूरे चेप्टर को हटा दिया जावे वह संशोधन वापिस इसलिए ले लिया गया था कि कोटाकी तरफसे आनेवाले माननीय सदस्यनेऔर धौलपुर और भरतपुर के सदस्यों ने यह बतलाया कि ऑलरेडी उनके यहां कुछ ग्रोव होल्डर्स एग्जिस्ट करते हैं, कोटा भरतपुर और धौलपुर में जिनको पहले से ही कुछ हकूक प्राप्त हैं और उन हकूक को हम किस तरह से सुरक्षित रख सकते हैं ? मामूली उनको एक खातेदार की केटेगरी में डालि देने से, जैसा कि हमारा पहले इरादा था और हमने इस बिल में जहां जहाँ ये क्लॉजेज़ ग्रोव होल्डर्स के बारे में व खातेदार के सिलसिले में आई वहां पर इन ग्रोव होल्डर्स को भी खातेदार के साथ ले लिया है। पर उनके ऐसा करने से उनके जो हकूक थे वे सुरक्षित नहीं रखे जा सकते थे, जिनके कि ग्रोव की इम्पोर्टेन्स हमेशा उस इलाके को देखते हुए जहां दरख्त की कमी है वहां पर ग्रोव्ज़ की बहुत ज्यादा इम्पोर्टेन्स मानी गई है हमेशा से,और अब भी महउसकी इम्पोर्टेन्स को मानते हैं तो उनके हकूक को सुरक्षित रखने के लिए इसका रखा जाना लाजिमी समझा गया और इसके बाद में उन हकूकों को ठीक कैसे रखा जा सकता है उसके साथ साथ में आगे के लिए हमारी जो जमीन के प्रति और जो खेती के प्रति हमारी जो आगे की इच्छाएं हैं कि हम किस तरह से हर किसान को ऐसा बनावें जो कुछ न कुछ टैक्स दे, इन सारे उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए यह प्रोवीजन वापिस रखा गया है और इसमें कुछ संशोधन इसे और ठीक बनाने के लिए रखे गये हैं।

(श्री लालसिंह शक्तावंत, उपाध्यक्ष पदासीन)

माननीय उपाध्यक्ष, मैंने क्लाज़ १४७ में जो मेरा संशोधन पेश किया है उसका सीरियल नम्बर ४२० और ४२१ है, और लिस्ट नम्बर २६ है। वह संशोधन बहुत मामूली सा है। जो पहला संशोधन मेरा इस क्लॉज़ में है वह इस प्रकार है कि :

'omit sub-clause (4).'

सब क्लॉज़ (४) जो अभी है :

"The provisions of Chapters VIIA and IX shall apply to groveholders as they apply to tenants. provided that rent in respect of grove land shall be recoverable by suit."

इस सब क्लॉज़ को हटाने के लिए मेरा यह सन्शोधन है और इसलिए इसे रखा है कि क्योंकि हम ग्रोव होल्डर को रेन्ट के लिए कहें और फिर जब कि इस बात को इस चेप्टर में डील विथ कर रहे हैं इसलिए इसका हवाला देने की जरूरत नहीं है, इसलिए यह रखा है।

और दूसरा जो संशोधन है कि "Sub-clause (4) may be substitued by the following:-

[श्री नाथूराम मिर्धा]

"The provisions of section 31 shall not apply to a groveholder as they apply to a Khatedar tenant".

एक माननीय सदस्य—यह तो रघुराजसिंहजी का है।

श्री नाथूराम मिर्धा—मेरा इसमें यह संशोधन है कि···

श्री उपाध्यक्ष—यह तो श्री रघुराजसिंहजी का है।

श्री नाथूराम मिर्धा—I am sorry.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं समझता हूं कि इसमें ज्यादा बहस की जरूरत नहीं है। आपने (श्री नाथूराम मिर्धा ने) जो संशोधन रक्खा है वह मुझे स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष— श्री रघुराजसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री हिम्मतसिंह।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज़ १४७ पर श्री नाथूराम मिर्धा ने प्रस्तुत किया है वह स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १४७ संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १४७, संशोधित रुप में, विधेयक का अंग बने।

(विराम)

[श्री उपाध्यक्ष]

क्लॉज़ १४८।

इसमें कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १४८ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १४८ विधेयक में अंगरूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ १४९।

इस पर संशोधन है श्री नाथूराम मिर्धा का।

श्री नाथूराम मिर्धा—माननीय उपाध्यक्षजी, क्लॉज़ १४९ पर मेरे कुछ संशोधन हैं। इसमें मैंने यह चाहा है कि क्लॉज़ १४९ के सब क्लॉज (२) को हटा दिया जावे और इसके बजाय में निम्नलिखित सबस्टीट्यूट कर दिया जावे।

"Delete the sub-clause (2) and add the following sub-clause:-

'(2) A groveholder shall have the right to transfer the whole or a part of his holding by sale, gift or mortgage and the restrictions imposed by Khatedar tenants shall not apply to such transfers ;

Provided that, in the case of a transfer by mortgage, such transfer shall be in the from of a usufructuary mortgages for a period not exceeding twenty years and the provisions or sub-sections (2) and (3) of section 32 apply thereto.

(3) A groveholder may sublet the whole or any part of his holding and the restrictions imposed on sub-letting by section 36 shall not apply :

Provided that no sub-tenant of a grove-holder shall have any of the rights conferred by this Act or sub-tenants other than those conferred on him under the provisions of this Chapter.

(4) A groveholder may also, by written agreement, grant a farm or least for the collection or sale of the produce of his grove for a period not exceeding three years at a time and the rights and liabilities of such farmer lessee shall be governed and regulated by, and shall be enforceable in a revenue court of competent jurisdiction in accordance with the terms of such agreement,"

[श्री नाथूराम मिर्धा]

माननीय उपाध्यक्ष महोदय , यह मैंने जो बात सब क्लाज़ (२)को हटाकर जोड़ने के बारे में कही है , उनको अगर हम सब को टर्न बाई टर्न देखें तो हमने एक स्पेशल तरीके से ट्रीटमेंट ग्रोव होल्डर के साथ में किया है, जो कि खातेदार के साथ में नहीं किया गया है क्योंकि यह एक काफी कीमती चीज़ है और उनके ट्रान्सफर के लिए जो रेस्ट्रिक्शन्स खातेदार के हैं उन रेस्ट्रिक्शन्स को लागू नहीं किया गया है । इन पर सब टेनेन्सी के रेस्ट्रिक्शन्स लागु नहीं की गई हैं । एक स्पेशल तरीके से किसी तरह के एग्रीमेंट के साथ में ग्रोव की प्रोड्यूस को लीज पर दे सकता है वह तीन साल के लिए दे सकता है । ऐसी व्यवस्था जो ग्रोव के रखने वाले लोग हैं और जो आम तौर से यह किया करते हैं , उन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए यह संशोधन प्रस्तुत किया गया है । कोई खास डिफिकल्टी नहीं होगी, यदि सदन उसको स्वीकार कर लेता है तो ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—और तो कोई संशोधन नहीं है ?

माननीय उपाध्यक्ष, इसमें जो संशोधन मूव किया गया है उसमें थोड़ा, रद्दोबदल कर दिया जाय जो मेरे खयाल से शब्दों का हेरफेर रहे :

"A grove-holder shall have the right to transfer the whole or a part of his holding by sale, gift or mortgage and the restrictions imposed on such transfers by Khatedar tenants shall not apply:"

यह लेन्ग्वेज ठीक होती है, बजाय उसके कि "to such transfers" जहां आता है। उसको कुछ रद्दोबदल कर लिया जाय तो ठीक हो जायगा । मेरा खयाल है कि आपको (श्री नाथूराम मिर्धा की ओर संकेत करते हुए) भी एतराज नहीं होगा ।

श्री नाथूराम मिर्धा—मुझे कोई एतराज नहीं होगा ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—उसके बाद यह संशोधन स्वीकार करता हूँ ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री नाथूराम मिर्धा ने प्रस्तुत किया है और उसके अन्दर भाषा का जो कुछ रद्दोबदल है उसको लेकर नये रूप में लाया गया है, उसे स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन संशोधित रूप में स्वीकार किया गया ।

(विराम)

[श्री उपाध्यक्ष]

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १४६, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १४६, संशोधित रूप में, विधेयक में अंगरूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ १४६ ए, श्री नाथूराम मिर्धा।

श्री नाथूराम मिर्धा—माननीय उपाध्यक्षजी, क्लॉज़ १४६ के बाद में मेरा एक संशोधन यह है कि क्लॉज़ १४९ ए, के नाम का एक नया क्लॉज़ इस रूप में और जोड़ दिया जाय जो इस बात की व्यवस्था करे कि ग्रोव होल्डर का रेन्ट क्या होगा? वह संशोधन मेरा इस प्रकार है:

"Provisions as to rent.—(1) Subject to the provisions contained in sub-section (2), the rent payable in respect of grove-land by a grove-holder other than holder of Khudkasht shall be in cash and shall be such as may be agreed upon or, failing such agreement, as may be determined by a competent revenue court and the provisions of Chapter VIII relating to determination and modification of rent shall apply as if such grove-holder were a Khatedar tenant."

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), no rent shall be payable in respect of grove-land by a grove-holder who has, before the commencemenet of this Act, acquired his holding permanently free of rent for the purposes of a grove on payment of a premium in lieu of rent :-

Provided that rents shall be payable in accordance with sub-section (1) by such groveholder--

(i) upon the commencement of this Act or upon the expiration of the period of thirty years from such acquisition, whichever may be later, if the premium paid by him exceeded ten times the annual rental of the holding then prevailing, or

(ii) upon such commencement or upon the expiry of the period of fifteen years from such acquisition, whichever may be later, if the permium paid by him did not exceed ten times such annual rental.

[श्री नाथूराम मिर्धा]

(3) The rent payable in respect of grove land by a sub-tenant to a grove-holder shall be in cash and shall be such as may be agreed upon between him and his sub-tenant or, failing such agreement, as may be determined by a competent revenue court.

Provided that any condition in an agreement under this sub-section for the delivery of a specified portion of the produce for the personal use of the grove-holder in part payment of such rent shall be deemed to be valid.

(4) The provisions of Chapter IX shall apply to grove-holders as they apply to Khatedar tenants."

माननीय उपाध्यक्षजी, जो संशोधन मैंने इस क्लॉज़ १४६ ए के बारे में रखा है वह इस बात को रेफर करता है कि एक सब टेनेन्ट, एक ग्रोव होल्डर, को क्या रेन्ट देगें और उनके रिलेशन्स किस तरह से गवर्न होंगे ? एक ग्रोव होल्डर जो कि एक ग्रोव को होल्ड करता है आज तक, मान लीजिए वह प्रीमियम बीसगुना या दसगुना जमा करता है तो कितने साल के लिए फ्री हो इस बात की इसमें व्यवस्था की गई है कि किस हद तक फ्री रह सकता है ? क्या रेन्ट उसको सरकार को देना पड़ेगा ? यह प्रोवीजन इस धारा १४६ ए में रखा गया है। मेरे ख्याल से इस सदन को कोई आपत्ति नहीं होगी और वह उसको पास करेगा।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मुझे यह स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन के रूपमें १४९ ए के नाम से श्री नाथूराम मिर्धा ने प्रस्तुत किया है, वह स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया। परिणाम स्वरूप क्लॉज़ १४६ ए विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ १५०, इसमें एक संशोधन श्री नाथूराम मिर्धा का है।

श्री नाथूराम मिर्धा—माननीय उपाध्यक्ष जी, क्लॉज़ १५० में मेरे कुछ संशोधन हैं, जिनके बारे में सीरीयल नं० ४२४ लिस्ट ऑफ एमेंडमेंट नं० २७ में जिक्र है। वे बहुत टेक्निकल नेचर के हैं और उनमें जो हेरफेर हैं उसको मैं सदन के समक्ष पेश कर देता हूं :

Page No.57

[श्री नाथूराम मिर्धा]

"(1) In the marginal note, delete 'of grove-holder'.

(2) In sub-clause (1) insert '122, 122 A' after '121'.

(3) After sub-clause (2), insert the following sub-clause :-

(3). A sub-tenant of a grove-holder shall be liable to ejectment on any of the grounds mentioned in sections 128, 129, 131 and 133 and the provisions of Chapter X shall apply, so far as may be......, .,

वह इजेक्टमेंट का चेप्टर है, वह इस तरह से इस पर लागू किया गया है। जो चौथा है वह इस प्रकार है:-

'A farmer or lessee of a grove-holder shall upon suit be liable to ejectment on the ground of contravention of any of the terms of his agreement.'

और इसमें क्योंकि स्पेशल एग्रीमेंट की व्यवस्था रखी है तो उसका प्रोवीजन इस सब क्लॉज़ (४) के जरिये जो संशोधन रखा है, वह करना जरूरी हो जाता है। इसलिए संशोधन बड़े मामूली और टेकनिकल हैं और सदन इनको स्वीकार करलेगा।

श्री भोगीलाल पंड्या—(राजस्व मंत्री की अनुपस्थिति में) मैं इन संशोधनों को स्वीकार करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—जो संशोधन क्लॉज़ १५० में श्री नाथूराम मिर्धा ने प्रस्तुत किये हैं वे स्वीकार किये जांय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किये गये।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज १५०, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १५०, संशोधित रूप में, विधेयक में अंग रुप से जोड़ा गया।

(विराम)

[श्री उपाध्यक्ष]

क्लॉज़ १५० ए, श्री मिर्धा

श्री नाथूराम मिर्धा—माननीय उपाध्यक्ष जी, क्लॉज़ १५० के बाद में मैंने जो क्लॉज़ १५० ए, रखने का संशोधन रखा है वह प्रोसिजर के बारे में है और इस प्रोसिजर के हेडिंग में जो संशोधन है वह इस प्रकार है :

'150 A—Procedure.

The provisions of Chapters VIIA, XIV and XV shall be applicable in respect of grOve-land as if the grwve-holder were a Khatedar tenant."

यह जो प्रोसिजर का चेप्टर है, जो खातेदार किसानों पर लागू होगा उसी तरह से ग्रोव होल्डर्स पर भी लागू होगा यह बात इस संशोधन के जरिये कही गई है, क्योंकि यह सेल्फ सफिशियेन्ट हो जाय और कोई लेकुना न रहजाय इसलिये यह संशोधन रखा गया है, आशा है हाउस इसे स्वीकार करेगा।

श्री जवानसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, अभी एक नया क्लॉज़ बढ़ाने के सिलसिले में जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है उसके संबन्ध में मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। शायद हम इस टिनेन्सी कानून को पास करते वक्त बहुतसी उन बातों के ऊपर ज्यादा गौर कर रहे हैं, जो पहले आचुकी हैं। हम दुबारा उनको रिपीट करने की कोशिश शायद इस ख्याल से करते जा रहे हैं कि हमारे दिमाग में कोई शन्का है कि शायद यह चीज़ एक दफा रखने से इसका नतीजा ठीक नहीं निकल पावे और इसलिये हम उसको रिपीट करते जा रहे हैं। यही निशानी हमको मौजूदा धारा में मिलती है। यहां पर यदि हम इस धारा को नहीं भी रखते हैं तो कोई नुकसान नहीं है। इसको रखने का कोई कारण नहीं है। इस प्रकार की जैसी उनकी शंका हुई है कि ग्रोव होल्डर के लिये कौनसा प्रोसिजर अख्तियार किया जायगा, एक लेकुना रह जायगा, काश्त के लिये रास्ता नहीं रहेगा, जिसकी तहत में कार्यवाही कर सके ऐसी शंका माननीय सदस्य को हो रही है और इसलिये उन्होंने संशोधन रखा है। मेरा ख्याल है कि ऐसी शंका की जरूरत नहीं थी। हम मान लेते हैं इस बात को कि ग्रोव होल्डर्स को हम दूसरे खातेदारों की तरह समझते हैं। परिभाषा में हमने उनको खातेदार काश्तकार माना है, जो ग्रोव होल्डर होगा उसको खातेदार टिनेन्ट कहेंगे और उनको हम ऐसा मानते हैं तो उनके लिये अलग क्लॉज़ रखकर प्रयत्न करना ठीक नहीं है। यहां पर उनके लिये वही प्रोसिज़र काम में लाया जायगा संतोष के लिये यदि दूसरे प्रोसिजर जो रखे गये हैं। इस प्रकार की तमाम बातों को एन्लाई करने के लिये हमने एक विशेष क्लॉज़ रखा है कि इस पहलू से कोई लेकुना नहीं रह जाय। लेकिन जब हम पूरे कानून को देखते हैं और इस धारा को देखते हैं तो साफ है कि ग्रोव होल्डर्स को खातेदार टिनेन्ट माना है और जो बातें खातेदार के लिये हैं वे ही उनके लिये भी लागू होती हैं, तो फिर यह धारा रखने से कोई विशेष फायदा होनेवाला है, यह मैं नहीं मानता

Page No.59

(श्री जवान सिंह)

यह कहा जा सकता है कि ऐसी शंका नहीं भी है लेकिन इसके साथ साथ किसी तरह की किसी के दिल में शंका पैदा हो जाय उसका निवारण करना चाहते हैं और कहते हैं कि ऐसी क्लॉज़ कोई नुकसान नहीं पहुंचायगी इसलिये ऐसी क्लॉज रखना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ यह गलत बात होगी। हम कानून बनाने जा रहे हैं तो हमको निश्चित कानून बनाना है जरूरत से ज्यादा बातें यदि कानून में रहेंगी तो जिसको हम कानून कहते हैं उसकी कीमत कम हो जायगी और जिस चीज की अहमियत मानते हैं उसकी अहमियत नहीं रहेगी। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि जो क्लॉज़ संशोधन के रूप में प्रस्तुत की गई है उसकी जरूरत नहीं है। उसको छोड़ने से नुकसान नहीं होगा। जो कानून हम बनाने जा रहे हैं उसमें जरूरत से ज्यादा बातों का समावेश होगा तो वह फालतू होगा, इसमें फालतू चीजें नहीं बढ़नी चाहिये। हमने पहले के अध्यायों में खातेदार की ही तरह ग्रोव होल्डर के लिये प्रोविजन किया है तो कोई जरूरत नहीं कि यहां पर अलग धारा रखें और यह कोशिश करें कि वही प्रोसिजर अख्तियार किया जाय जो खातेदार टिनेन्ट्स के लिये किया जायगा मैं समझता हूँ यह फालतू बात होगी फालतू बातें कानून में नहीं बढ़ें तो बहतर होगा।

श्री **नाथूराममिर्धा**—माननीय उपाध्यक्षजी...

श्री **जवानसिंह**—क्या सरकार की तरफ से इस पर कुछ नहीं कहना है?

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया**—आप दोनों ही आपस में फैसला कर लें तो ज्यादा अच्छा हो।

श्रीनाथूराम मिर्धा—श्री जवान सिंह जी ने जो बातें कहीं...

श्री **जवान सिंह**—शायद नाम लेकर संबोधन करने का तरीका नहीं है।

श्री **नाथूराम मिर्धा**—सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बातें कहीं मेरे ख्याल से उनकी दलील को ध्यान में रखते हुए मैं यह मानने को तैयार हूँ कि मेरे संशोधन द्वारा रखी गई क्लॉज़ को न रखा जाय तो भी काम चल सकता है, इसलिये मैं अपना संशोधन विड्रा करना चाहता हूं।

श्री **उपाध्यक्ष**—क्या सदन की इजाजत है कि इनको अपना संशोधन वापिस लेने की इजाजत दी जाय?

(स्वीकृति)

संशोधन वापिस लेने की इजाजत दी गई।

श्री नाथूराम मिर्धा—मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—चेप्टर ४ में क्लॉज़ १५१ से १५७ तक कोई संशोधन नहीं है।

एक माननीय सदस्य—१५१ से १५५ तक क्लॉज़ पहले पास हो चुके हैं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खण्ड १५६ और १५७ स्वीकार किये जांय। जो कि एक अमेन्डमेन्ट क्लॉज १५६ में श्री एच. के. व्यास प्रस्तुत करना चाहते हैं। श्री एच. के. व्यास अपना संशोधन पेश करें।

(श्री एच. के. व्यास, अनुपस्थित)

श्री जवानसिंह—उनको भरोसा नहीं था कि उनको अमेंन्डमेन्ट मूव करने की आज्ञा मिलेगी, इसलिये वे हाजिर नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लॉज १५६ विधेयक का अंग बने

(स्वीकृत)

क्लॉज १५६ विधेयक में अंगरूप से जोड़ा गया।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लॉज १५७ स्वीकार किया जाय।

श्री जवानसिंह—इससे पहले कि प्रश्न पूछा जाय मैं इस संबंध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, धारा १५७ बहुत महत्वपूर्ण है और इस बात से कदापि इन्कार नहीं किया जा सकता कि हम इस क्लॉज की तहत में इस कानून को पूर्ण निश्चित करना चाहते हैं कि हम इस क्लाज़ के जरिये इस बात को निश्चित करना चाहते है कि कौनसे दावे होंगे, जो इस मौजूदा कानून की तहत में ही केवल संभव हो सकेंगे ? और वे दावे जहां और जिस प्रकार के वे दावे होंगे, अर्जियां होंगी, वे तमाम चीजें आगे शिड्यूल (परिशिष्ट) में दी गई है, परिशिष्ट तीन में बताई गई हैं।

अब सवाल यह पैदा होता है कि हम क्लाज़१५७को इस वक्त बिना गौर किये हुए ही पास कर रहे हैं और एक मिनिट के बाद ही शायद पास कर लेते लेकिन इस बात को हम ठीक तौर से समझ नहीं रहे हैं; और सदन ने इस बातपर गौर नहीं किया है कि वे कौन से दावे होंगे जिनके सम्बन्ध में यह क्लॉज १५७ पास करने जा रहे हैं ? अगर परिशिष्ट ३ पहले ले लिया जाता और उन अर्जियों, दावों की सुनावाई पहले रेवेन्यू बोर्ड से हो सकेगी, दूसरी अदालतों से नहीं हो सकेगी तो यह बेहतर होता। और एक चीज़ शिड्यूल में पास करते तो और जो चीज़ उसमें नहीं रखने की होती वह नहीं रखते तो यह ठीक रहता। तो हम यह कह सकते थे कि हमने उन दावों की सुनवाई को निश्चित किया है, और दूसरी चीजों को हमने इस बात के लिये छोड़ दिया है कि दूसरी अदालतों में जांय, या इसमें फैसले

[श्री जवानसिंह]

हों। लेकिन इस चीज़ को हमने छोड़ दिया। उन चीजों को १५७ की क्लॉज के जरिये ले सकते थे कि कौनसे रेवेन्यू बोर्ड के अधिकार हैं जिनको दूसरी अदालतों के जूरिस्डिक्शन में नहीं दें।

इसलिये यह बहतर होता कि शिड्यूल थ्री को पहले लेते और फिर इस क्लॉज को पास करते। ऐसा मेरा सुझाव है।

श्री हरिकृष्ण व्यास---Mr. Deputy speeker, sir, is there uorum in the House?

(कुछ क्षण के लिये निस्तब्धता और उपस्थित सदस्यों की गणना व कोरम का पूरा होना)

श्री नाथूराम मिर्धा—माननीय उपाध्यक्ष, जो आपत्ति सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने पेश की इस क्लॉज के जरिये इस कानून की परिधि तय करने जा रहे हैं, कौनसा मामला रेवेन्यू का होगा, कौनसा नहीं यह हम जब तक नहीं जान लें तब तक उनके खयाल से इस धारा का पास कर लेना ठीक नहीं होगा।

मेरे खयाल से हम सारा का सारा कानून पास करने जा रहे हैं, शिड्यूल इसके बाद आता है तो ऐसी सूरत में यह बाद में ही होना चाहिये। जब हम शिड्यूल पर विचार करते समय देखेंगे कि यह इस अदालत में नहीं होना चाहिये; यह इस अदालत में होना चाहिये तो उसी वक्त कटनी छंटनी कर सकते हैं, । ऐसी सूरत में शिड्यूल का इस धारा पर कोई असर नहीं पड़ता। शिड्यूल में उचित अनुचित पर विचार करना और उसमें कमी करना या बाढ़ना सदन के अधिकार की बात है, सदन उसमें कमी कर सकता हैं और उसमें बढ़ा भी सकता हैं। जो शिड्यूल में हैं उन्हीं के लिये हमने इस क्लॉज में रखा है। ऐसी सूरत में इस क्लॉज को पहले पास कर दें तो काननी तौर पर कोई खराब असर डालने वाली बात नहीं होगी।

श्री मोहन लाल सुखाड़िया—अब तक जितने क्लॉज, आम तौर से पोलिसी निर्धारण करने के थे जिन्हें हम पास कर चुके है, बहुत कुछ फैसला कर चुके हैं। अब तो शिड्यूल में उन्हें कन्सोलिडेट करना होगा, कोई नई पोलिसी पास करने नहीं जा रहे हैं, जिससे कि क्लॉज १५७ रोकना पड़े। इससे कोई फर्क नहीं आता।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लॉज १५७ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

[श्री उपाध्यक्ष]

क्लॉज़ १५७ विधेयक में अंगरूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ १५७ ए, श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—माननीय उपाध्यक्ष, १५७ ए. में मेरा संशोधन इस प्रकार है:—

"After the figure '1908', the words, brackets and figures '(Act V of 1908)' be inserted."

मेरा संशोधन लेन्ग्वेज की शुद्धि के मुतल्लिक है, मैं समझता हूं कि इसको स्वीकार करने में किसी को किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं इसे स्वीकार करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता द्वारा पेश किया गया संशोधन स्वीकार किया जावे ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १५७ ए. संशोधित रूप से विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १५७ ए, संशोधित रूप से, विधेयक में अंगरूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ १५७ बी।

(विराम)

Page No.63

[श्री उपाध्यक्ष]

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १५७ बी. विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १५७ बी. विधेयक में अंगरूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

क्लॉज़ १५७ सी, श्री बद्री प्रसाद गुप्ता ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—माननीय उपाध्यक्ष, मेरा १५७ सी. पर यह अमेंडमेंट है :
"The figures and brackets "(1)" and sub-clause (2 be omitted.

इस क्लॉज. के २ सब-क्लॉज. रखे गये हैं और सब क्लॉज. २ को डिलीट करने का मेरा संशोधन है, तो ऐसी सूरत में १ को फीगर्स और ब्रेकेट्स में रखना व्यर्थ होगा । सब-क्लॉज. २ को ओमिट करने से मेरा मतलब यह है कि १५७ सी. १ में यह प्रोवाइड किया गया है, कि जब टिनेन्ट यह कह दे कि उसने गुड फेथ में वो एरियर्स जिनका कि दावा है किसी थर्ड परसन को दे दिये हैं तो उस थर्ड परसन को पार्टी करार देगा । इसी क्लॉज़ के दूसरे सब सेक्शन में दिया हुआ है कि :

"(2) If the question is determined in favour of the tenant, the suit or proceeding shall be decided in his favour and he shall not be made a party to any subsequent suit or proceeding against the third person for the recovery of the amount so paid."

मेरा ख्याल यह है कि हमने सब क्लॉज़ (१) में सारी बातें रख दी हैं कि Court sha enquire and decide the question. इसमें यह बात शामिल है कि अगर question उसके फेवर में डिसायड होगा; then the suit shall be decided in his favour, इसलिये यह पार्ट (२) जरूरी नहीं है । अब हमने १५७ (ए) में जो पॉवर्स दिये हैं उसके अनुसार उसको पार्टी बनाया जावे या नहीं यह बात जाब्ता दीवानी से तय होनी चाहिये । इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि सब क्लॉज़ (२) को डिलीट करना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री बद्रीप्रसाद ने रखा है उसको स्वीकार किया जावे ?

(स्वीकृत)

[श्री उपाध्यक्ष]

क्लॉज १५७ सी. पर जो संशोधन श्री गुप्ता का है वह स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १५७ सी., संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १५७ सी., संशोधित रूप में विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ १५७ डी, श्री बद्रीप्रसाद।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—माननीय उपाध्यक्ष, क्लॉज़ १५७ डी में मेरा संशोधन बिल्कुल स्पष्ट है। यह तो प्रिंटिंग की मिस्टेक है। 'जोइन्ट' की बजाय 'जोइन्ड' होना चाहिये। मैं समझता हूँ कि सदन को यह स्वीकार होगा।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १५७ डी माइनर शुद्धि के साथ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १५७ डी माइनर शुद्धि के साथ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ १५७ ई

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १५७ ई विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १५७ ई विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ १५७ एफ., श्री बद्रीप्रसाद।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—माननीय उपाध्यक्ष, मेरा संशोधन इस प्रकार है:

"In the provisos to sub-cleuse (3) for the words 'the preference shall be decided by lot, 'the words 'the claim shall be deteamined in the prescribed manner' be substituted. १५७ एफ के सब क्लॉज़ ३ में यह प्रोवीजन है कि अगर किसी टीनेन्ट की जमीन बिकती हो तो उसके लिये सब टिनेन्ट, या एग्रीकल्चरिस्ट को, किनकिन आदमियों को, प्रिफरेन्स दिया जावेगा ? उसमें अगर दो पड़ोसियों के बराबर राइट्स हों तो उनका क्या होगा, उसको लोट में दिया जावेगा। मैं समझता हूं कि उनको लोट में देना मुनासिब नहीं है। इसीलिए एक्ट में प्रोवाइड नहीं करना चाहिये था। इसके लिये रूल्स होने चाहिये और उन रूल्स के द्वारा तय किया जावे। या तो बराबर बांट दिया जाना चाहिये अगर दो बराबरी के क्लेमेंट हैं तो। इसलिये इसको लॉ से डिसाइड करने का रूल्स में प्रोवीजन होना चाहिये It should be decided by lot की बजाय जो रूल में है वही होना चाहिये।

श्री जवानसिंह—माननीय उपाध्यक्ष, अभी जो संशोधन क्लॉज़ १५७ एफ पर प्रस्तुत किया गया है, मैं उम्मीद करता था कि शायद उस तरीके का कि जो जिसके नाम जमीन निकले उसको दे दी जायगी, उसके बजाय माननीय सदस्य के दिमाग में कोई बहतरीन तरीका है और वह इस तरीके को ठीक नहीं मानते थे, इसलिये उन्होंने "as prescribed" शब्द रखे। मुझे इस बात पर बड़ा ताज्जुब हुआ जब उन्होंने जो बातें निवेदन कीं उसमें किसी तरीके की ओर संकेत नहीं किया और आपने कहा कि अगर लोट से डिसाइड का तरीका नहीं अपनाया जावे तो फिर दूसरा रूल्स के अनुसार कौनसा तरीका अपनाया जावेगा यह बात आपने नहीं बताई ? उस तरीके की सदन को जानकारी होनी बहुत जरूरी है। और जब सदन को वह तरीका मालूम होगा तभी सदन उसको मन्जूर कर सकेगा। सदन यह देखेगा कि वह तरीका कितना लम्बा चौड़ा है, और उसको लागू करना कानून की तहत में ठीक होगा या नहीं। उसको रूल्स में जोड़ देना चाहिये। यदि साफ तौर से किसी प्रकार का सुझाव रखते तो सदन उस उद्देश्य पर पहुँचता और उसे स्वीकार कर सकता कि जो बताया जा रहा है वह तरीका ठीक होगा, लेकिन इस तरह की कोई चीज उन्होंने नहीं बताई। मैं तो साधारणतया इस बात को मानता हूँ कि अमूमन इस प्रकार के अमेन्डमेंट सरकार के या किसी व्यक्ति के हो तो हम इस बात को मान सकते हैं कि एक निश्चित तरीका है जिसको वे अख्तियार करेंगे और इसीलिये एमेन्डमेंट रखा गया है अभी और बाद में भी। लेकिन माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा उसमें उन्होंने कोई निश्चित तरीका न तो सदन को बताया और न कोई उस तरीके की रूप रेखा को ही हमारे सामने रखा, माननीय रेवेन्यू मिनिस्टर साहब को बताया होगा कि इस प्रकार की बात है तो वह अलग चीज होगी। मगर जो बातें उन्होंने सदन के सामने रखी उससे तो किसी निश्चित स्थान पर नहीं पहुँच पाये। इसलिये मैं निवेदन करता हूँ कि वे क्या चाहते हैं ? किस प्रकार जमीन दी जावेगी किसी नतीजे पर पहुंचते और उस पर रोशनी डाली जाती तो बहुत बेहतर रहता और जो तरीका वे बताते हैं उसको अपनाते और जो संशोधन उन्होंने हाउस के सामने रखा है, उसको मन्जूर करने

[श्री जवानसिंह]

करने की स्थिति में हाउस होता। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस चीज को ठीक तरह से सदन के सामने रखें तो सदन उस बात पर विचार कर सके।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—माननीय उपाध्यक्ष, जो संशोधन अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है, मैं समझता हूँ कि जो लोट का प्रोसीजर है उसके बजाय जो संशोधन रखा है वह ठीक है। इसके लिये मैं यह कहूँगा कि अगर कोई यह सोचे कि इससे गवर्नमेंट को बहुत बड़ा अधिकार आजावेगा तो यह बात होने वाली नहीं। पहले ही इसमें स्पष्ट है। इसलिये इसकी सम्भावना तो नहीं आती। लोट में देने के लिये कोई रूल्स हो तो अच्छा होगा। इसलिये मुझे, जो एमेन्डमेंट मूव किया गया है वह ज्यादा अच्छा मालूम होता है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री बद्रीप्रसाद जी ने क्लॉज़ १५७ एफ पर रखा है उसे स्वीकार किया जावे ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज १५७ एफ, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १५७ एफ संशोधित रूप में विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया

(विराम)

क्लॉज़ १५८, श्री गुप्ता।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—माननीय उपाध्यक्षजी, मैंने क्लॉज़ १५८ में दो अमेन्डमेन्ट प्रस्तुत किये हैं। पहला अमेन्डमेन्ट यह है कि :

"In sub-clause (2) the words 'or revenue' wherever they occur be omitted."

और दूसरा अमेंडमेंट यह है कि :

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

"Sub-clause (3) be omitted and sub-clause (4) be reenumbered as sub-clause (3) and in the said sub-clause assorenumbered the word, figure and brackets 'and (3)' be omitted.

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैंने जो अमेंडमेंट पेश किये हैं उसमें से पहला यह है कि सब क्लॉज़ २ में जो रेन्ट और रेवेन्यू (Rent or revenue) दोनों शब्द है उनमें से और रेवेन्यू (or revenue) शब्द को हटा दिया जाय और दूसरा यह है कि सब क्लॉज ३ को ओमिट कर दिया जाय। और तीसरा अमेंडमेंट यह है कि सब क्लॉज ४ को रिनम्बर करके ३ कर दिया जाय।

सब क्लॉज १ में लिमिटेशन किया हुआ है और ऐक्सेप्शन्स दी हुई हैं। सब क्लॉज २ में 'रेन्ट और रेवेन्यू' शब्द दिये हुए हैं। इस सब सेक्शन में यह प्रोवाइड किया हुआ है कि अगर कोई एग्रीकल्चर केलेमिटी आजाय तो जो सूट के लिए जो लिमिटेशन प्रेसक्राइब की हुई है, उसको एक्सक्लूयड कर दिया जाय। मैंने यह अमेन्डमेन्ट रखा है कि इसमें से or revenue शब्द को हटा दिया जाय जो कि गैर जरूरी है। इसकी वजह यह है कि रेन्ट गवर्नमेंट को या लेन्ड लोर्ड को रेवेन्यू का ही पे किया जाता है और रेन्ट रेवेन्यू में ही शुमार होता है। ऐसी हालत में इसको यानि रेवेन्यू' शब्द को यहां रखना बेमायना होजाता है। दूसरी बात यह है कि 'रेवेन्यू' शब्द इस टिनेन्सी लॉ में कहीं नहीं आया है और इस वजह से इसको यहां प्रोवाइड करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तीसरी बात यह है कि शिडयूल जिसका जिक्र यहां आया है उसमें भी इसका प्रोविजन नहीं है। रेवेन्यू के दावे (अश्रव्य) अतः 'रेवेन्यू' शब्द यहां गैर जरूरी है। रेन्ट गवर्नमेंट को दिया जायगा या लेन्ड लोर्ड को दिया जायगा, तो वह रेवेन्यू में ही शुमार होगा। गवर्नमेंट जो टिनेन्ट से वसूल करती है वह रेवेन्यू में ही शुमार होता है। इसलिये इस वर्ड को यहां से डिलीट कर दिया जाय।

सब क्लॉज़ (३) के लिये यह अमेन्डमेन्ट है कि इसको डिलीट कर दिया जाय।

"Not withstanding anything contained inthis Section where improvements were made on lands in which betal crop (Pan) was cultivated by a tenant a suit under section 57A shall be entertainable if such tenant has lost possession of the land at any time during three years preceding the date on which this Act comes into force."

इस सब क्लॉज़ ३ के मुताबिक अगर कोई शख्स जो तीन साल पहले पान की खेती करता था और उसको बेदखल कर दिया गया है तो उसने जो उसमें कोई इम्प्रूवमेंट किया था तो उस इम्प्रूवमेंट का कम्पेन्सेशन पाने के लिए दावा करने का हक होगा। यह तो तीन साल पहले के लिए भी कानून बना दिया जाता है, कि पान की खेती करने वाले ने अगर कोई इम्प्रवमेन्ट किया है और

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

उसको बेदखल कर दिया गया है, तो वह इम्प्रूवमेंट का कम्पेन्सेशन पाने का हकदार होगा और उसके लिये दावा दायर कर सकेगा। अगर उसने इसके पहले दावा नहीं किया है तो ऐसी सूरत में इस एक्टके फोर्स में आने के बाद भी वह दावाकर सकेगा। तो मैं यह अर्ज करना चाहूँगा कि इस प्रकार का प्रोविजन डिस्क्रिमिनेटरी होगा और कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ भी होगा इसलिए इसको अमेन्ड कर देना चाहिये।

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया**—मुझे अमेंडमेंट्स मंजूर है।

श्री **उपाध्यक्ष**—प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता ने क्लॉज़ १५८ में प्रस्तुत किये हैं उन्हें स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किये गये।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १५८, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १५८, संशोधित रूप में, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ १५९

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १५९ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १५९ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ १६०, श्री भवानसिंह।

Page No.69

श्री जवानसिंह—I don't want to move my amendment.

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १६० विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १६० विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

क्लॉज़ १६१, श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—माननीय उपाध्यक्षजी, सब क्लॉज़ (२) में मेरा अमेन्डमेन्ट यह है कि "In sub-clause (2) the words 'or applications' be omitted."

सब क्लॉज़ (१) के मुताबिक डिफरेन्ट ग्रेड्स ऑफ रेवेन्यू कोर्ट्स को सूट को डिस्पोज़ ऑफ करने के पावर्स दिए गये हैं। किन्तु सेक्शन २ में तहसीलदार को जो पॉवर्स दी गई हैं उसमें मेरा अमेंडमेंट है । जहां स्टेट गवर्नमेंट पार्टी नहीं है वहां तो यह रूल एप्लाई करेगा । चूंकि सब क्लॉज़ १ में तो सूट रखा गया है और यहां सूट और एप्लीकेशन्स दोनों ही रखे हैं। अतः यह कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है, इसलिए यहां 'एप्लीकेशन्स' को ओमिट कर दिया जाय ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं इसको एक्सेप्ट करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता ने क्लॉज़ १६१ पर प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १६१, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १६१ संशोधित रूप में विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

[श्री उपाध्यक्ष]

क्लॉज़ १६२

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १६२ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १६२ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ १६३, श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—माननीय उपाध्यक्ष, क्लॉज़ १६३ के सब क्लॉज़ (२) में मेरा अमेंडमेंट इस प्रकार है "In sub clause (2) for the word 'titles' the word 'designation be substituted. That is a correct word." यह तो सिर्फ लैंगवेज के करेक्शन के लिए है। इसमें 'टाइटल, के बजाय 'डेजिग्नेशन, कर दिया जाय। ऑफिसर्स के टाइटल्स और डेजिग्नेशन में काफी फर्क होता है। डेजिग्नेशन ही एप्रोप्रियेट शब्द है। इसलिए 'टाइटल्स के बजाय 'डेजिग्नेशन, कर दिया जाय। इसमें कोई खास बात नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज १६३ पर श्री बद्रीप्रसाद ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १६३, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १६३, संशोधित रूप में, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ १६४, श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—माननीय उपाध्यक्ष, क्लॉज़ १६४ में जो प्रोवीजो है वह डिलीट कर दिया जाय। क्लॉज़ १६४ में यह है कि :

"All suits and applications specified in the Third Schedule shall be instituted in or made to the revenue court of the lowest grade comptent to dispose of them in accordance with the provisions of section 161."

इसके मुताबिक 'lowest grade Competent to dispose of the case" इसके मुताल्लिक तो लॉ है। जहां असिस्टेंट कलेक्टर नहीं या एस. डी. ओ. नहीं है वहां के लिए कलेक्टर ही कोग्नीजिबल ऑफिसर है। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि इस प्रोविजो की जरूरत नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज़ १६४ में श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता ने रखा, उसको स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १६४, संशोधित रूप से, विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १६४, संशोधित रूप से, वियधेक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ १६५ से १६७

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉजेज़ १६५, १६६ और १६७ विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

क्लॉजेज़ १६५, १६६ और १६७ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

(विराम)

[श्री उपाध्यक्ष]

क्लॉज़ १६८, श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—उपाध्यक्ष महोदय, इसमें मेरा अमेंडमेंट है—

In item (iv) of sub clause (2) for the word 'and' the word 'any' be substituted."

यह दरअसल प्रिंटिंग की मिस्टेक है, इसलिए इसके करेक्शन में किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि चूंकि प्रिंटिंग की गलती रह गई है, उसकी दुरुस्ती के साथ यह क्लॉज़ १६८ विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १६८ मामूली शुद्धि के साथ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

खण्ड १६९ व १७०

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लाज़ेज़ १६९ व १७० विधेयक के अंग बनें ।

(स्वीकृत)

क्लाजेज़ १६९ व १७० विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये ।

श्री उपाध्यक्ष—क्लॉज़ १७१ ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—उपाध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज़ में मेरा यह अमेंडमेंट है कि

"For the word 'reserved' the word 'reversed' be substituted."

'रिजर्व्ड', की जगह 'रिवर्स्ड' यह शब्द सबस्टीट्यूट किया जाय । यह भी मेरे ख्याल से प्रिंटिंग मिस्टेक है; इसको मानने में कोई आपत्ति नहीं होगी ।

श्री उपाध्यक्ष—चूंकि यह एक प्रिंटिंग मिस्टेक है इसमें दुरुस्ती होनी चाहिये।

(विराम)

प्रश्न यह है कि इस दुरुस्ती के साथ यह क्लॉज़ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १७१, दुरुस्ती के साथ, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज १७२,

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १७२ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १७२ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ १७३, श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—उपाध्यक्ष महोदय, मेरे इस क्लॉज़ पर ये अमेंडमेंट्स हैं—

(a) The following marginal note be inserted, namely.—

"Power of review of Board and other Revenue Courts."

(b) After the figures '1908' the words figures and brackets (Act V of 1908) be inserted."

ये दोनों अमेंडमेंट्स हैं इनमें से एक तो मार्जीनल नोट के बारे में है, उसमें कुछ खामी रह गई थी उसको सबस्टीट्यूट करना है। आशा हैं उनको स्वीकार किया जायगा।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं मन्जूर करता हूं।

(विराम)

श्री उपाध्यक्ष—क्लॉज़ १७३ पर जो संशोधन बद्रीप्रसाद गुप्ता ने रखे हैं वे स्वीकार किये जांय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किये गये।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १७३, संशोधित रूप से, विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लाज़ १७३, संशोधित रूप से, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लाज़ेज १७५ से १८३।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लाजेज़ १७५, १७६, १७७ १७८, १७९, १८०, १८१, १८२ और १८३ विधेयक के अंग बने?

(स्वीकृत)

क्लाज़ेज़ १७५ से १८३ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

श्री मोतीराम—क्लॉज़ १७४ कहां गया?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—वह तो पास हो चुका।

श्री उपाध्यक्ष—क्लॉज़ १८४।

श्री हरिकृष्ण व्यास—On a point of order, Sir, क्लॉज़ १८४ पर विचार शुरू हो, उससे पहले मैं एक प्रश्न प्रस्तुत करना चाहता हूं, अभी अभी हमें १९तारीख के एजेन्ड की कार्य सूची मिली है जिसमें समय ११ बजे मध्यान्ह से ५ बजे सायंकाल तक रखा है। रूल्स ऑफ प्रोसिजर के क्लॉज़ १८ में यह लिखा है "The Assembly shall sit on such days as the......"

श्री उपाध्यक्ष—यह आखिर में देख लेंगे।

श्री हरिकृष्ण व्यास—आखिर में तो यह सवाल रहेगा ही नहीं। यह जो नोटिस हमें अभी मिला है और न जाने कुछ हो जावे, और इसलिये मुश्किल हो जावे, अतः इसका निर्णय तो होना ही चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—अभी तो हमारे सामने जो संशोधन है उन पर विचार कर लें, फिर आखिर में इस पर कुछ कहना होगा तो कहिये।

श्री हरिकृष्ण व्यास—तो क्या यह समझा जाय कि यह जो नोटिस निकला है वह प्रोविजनली केन्सिल कर दिया गया है। This notice has no locus standi.

श्री उपाध्यक्ष—नहीं

श्री हरिकृष्ण व्यास—अभी इजाजत मिल जाती तो बेहतर होता।

श्री उपाध्यक्ष—क्लाज १८४ पर श्री तनसिंह का अमेन्डमेन्ट है।

श्री तनसिंह—मैं अपना अमेन्डमेन्ट मूव करना नहीं चाहता।

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता—उपाध्यक्ष महोदय, मेरा क्लाज १८४ में इस प्रकार का अमेन्डमेन्ट है:

"'In sub clause (5) after the figures '1908' the words, figures and brackets "(Act V of 1908) ' be inserted."

यह मेरा अमेन्डमेन्ट सिर्फ भाषा के करेक्शन के लिये है। इसे स्वीकार किया जायगा ?

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लाज़ १८४ में जो संशोधन बद्रीप्रसाद गुप्ता ने रखा है वह स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

[श्री उपाध्यक्ष]

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १८४, संशोधनानुसार,विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १८४, संशोधनानुसार विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

खण्ड १८५ व १८६

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉजेज़ १८५ एवं १८६ विधेयक के अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉजेज़ १८५ एवं १८६ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

(विराम)

क्लॉज़ १८७, श्री तनसिंह।

श्री तनसिंह—I don't want to move my amendment Sri.

श्री उपाध्यक्ष—श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—माननीय उपाध्यक्षजी, मेरा अमेन्डमेंट यह है:

"In the explanation to sub-clause (1) for the word 'only' the words 'and intended solely' be substituted."

यह इसकी लेंगवेज के करेक्शन करने के लिये है सिर्फ। इसका मतलब है कि: "A plea of tenancy which is clearly untenable only to oust the jurisdiction of the civil court shall not be deemed to riase a plea of tenancy."

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

तो इसमें 'only' के बजाय "and intended solely" यह वर्ड रखा है। इससे इसका मतलब यह हो जावेगा कि A plea of tenancy which is clearly untenable and intended solely to oust the jurisdiction of the Civil Court shall not be deemed to raise a plea of tenancy."
तो इसलिये तरमीम करने की यह छोटी सी बात है; और कोई बात नहीं।

श्री उपाध्यक्ष—जो संशोधन श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता ने क्लॉज़ १८७ पर प्रस्तुत किया है, क्या उसे स्वीकार किया जावे ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १८७, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ?

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १८७, संशोधित रूप में, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

खण्ड १८८ से १९१

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉजेज़ १८८, १८९, १९० और १९१, ये क्लॉज़ेज़ विधेयक के अंग बनें ?

(स्वीकृत)

क्लॉजेज़ १८८, १८९, १९० और १९१ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

(विराम)

क्लॉज़ १९२ (१), श्री जवानसिंह।

श्री जवानसिंह—माननीय उपाध्यक्ष जी, क्लॉज़ १९२ की सब क्लॉज़ (१) में मैंने अपना संशोधन इस प्रकार रक्खा कि शब्द......"

"The words 'or rent' deleted from the 2nd line."

[श्री जवानसिंह]

मेरे इस संशोधन का अर्थ बिल्कुल साफ है और यह सदस्यों की समझ में आ भी गया होगा, यह मैं मानता हूं। केवल निवेदन इतना करना चाहता हूं कि एस्टेट होल्डर शब्द उन आदमियों के लिए इस्तेमाल किया गया है जो अपने पास में एस्टेट रखते हैं और इसकी परिभाषा में भी हमने इसी टिनेन्सी कानून में और दूसरे और कानूनों में ऐसा ही माना है।

अब प्रश्न यह रहता है कि क्या एस्टेट होल्डर भी सरकार को रेन्ट देगा? मेरा खयाल है कि जहां पर हम शब्द एस्टेट होल्डर रखते हैं वहां पर इनका अधिकार सरकार को लैण्ड रेवेन्यू देने तक का ही रहता है और इस सम्बन्ध को ही जब हम एक शब्द एस्टेट होल्डर रख कर मानते हैं तो फिर रेन्ट देने का प्रश्न पैदा नहीं होता। रेन्ट तो वह अपने काश्तकार से लेगा और वह उनके पास में आने के बाद किस रूप में वह 'एस्टेट होल्डर' सरकार को देगा, वह लैण्ड रेवेन्यू की शकल में होगा, इसलिये यहां पर ये दो शब्द रखने की जरूरत नहीं है। केवल 'लैण्ड रेवेन्यू' रहना चाहिये क्योंकि वह शब्द 'एस्टेट होल्डर' के साथ में प्रयुक्त किया जाता है और जो परिभाषा की है उससे भी उपयुक्त हैं। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि केवल (लैण्ड रेवेन्य) शब्द रक्खा जावे तो उचित होगा, 'और' शब्द डिलीट कर दिये जावे तो अच्छा होगा। नहीं तो इनका कोई मतलब नहीं निकलेगा क्योंकि इस प्रकार की कोई चीज़ स्टेट के अन्दर होने वाली नहीं है और यह गलत होने की वजह से मैं निवेदन करता हूँ कि इसे डिलीट कर दिया जावे।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया----माननीय उपाध्यक्षजी, यह अमेन्डमेन्ट मुझे स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष----प्रश्न यह है कि क्लॉज १९२ (१) में जो संशोधन श्री जवानसिंह ने प्रस्तुत किया है वह स्वीकार किया जावे ?

[स्वीकृत]

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज १९२, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज १९२, संशोधित रूप में, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

Page No.79

[श्री उपाध्यक्ष]

क्लाज १६२ ए व १६२ बी

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉजेज १६२ ए और १९२ बी विधेयक के अंग बनें ?

(स्वीकृत)

क्लॉजेज़ १६२ ए और १६२ बी विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये ।

(विराम)

क्लाज १६३, इसमें श्री एच. के. व्यास का संशोधन है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—१६३ के बाद में है ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लाज १६३ विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लाज १६३ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

श्री हरिकृष्ण व्यास का संशोधन १९३ और १६४ के बीच में है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—इसमें मेरा संशोधन यह है कि एक नया क्लाज १६३ ए इसमें और जोड़ा जावे ।

इस १६३ क्लाज का सम्बन्ध Joinder of parties in certain cases से है । अर्थात् जैसा कि इस क्लाज में कहा गया है 'the plaintiff may sue any number of persons collectively ' यह एक ऐसी सिचुएशन को (envisage) एविसेज करता है कि जहां any number of persons collectively want to sue one person.

इसको भी प्रोवाइड कर देना आवश्यक है और मेरा अमेन्डमेन्ट यह है कि क्लॉज १६३ ए जिसके शब्द यह हैं वह रख दिये जावे:

A group of tenants from a same village may collectively applyn to any thing for which they are individually entitled to apply and such application shall for purposes of court fee be treated as one application.

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

मैं इस सिलसिले में सिर्फ दो तीन बातें अर्ज करना चाहूँगा। एक तो इस बिल में हमने, जिसको हम करीब करीब एक्ट बनाने जा रहें हैं, एक प्रोविजन रक्खा है रेन्ट के बारे में और यह अधिकार दिया है शिकमी काश्तकार को जो रेन्ट इन टाइम पे करता है एप्लाई करके कैश रेन्ट के लिये कार्यवाही शुरु कर देवें।

अब यदि गांव के दस-बीस काश्तकार एक साथ सब के सब यह चाहने वाले हों कि हमारे यहां काइन्ड को बदल कर कैश कर दिया जावे और गवर्नमेन्ट भी जब यह काम हाथ में लेगी तो एक एक आदमी के लिये इस तरह का काम करना कठिन है, पर सारे के सारे गांव के लिये आसान है। तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार के मसले पर क्लेक्टिव एप्लीकेशन को भी हमें एन्टरटेन करने की गुंजायश इस कानून में रखनी चाहिये।

दूसरी एक और स्थिति पैदा हो सकती है जिसका मैं जिक्र कर दूं और कुछ स्थिति पर इस प्रकार का एक संशोधन मैंने भी रक्खा है और मैंने सुना है कि और भी मेरे मित्र इस प्रकार का संशोधन रख चुके हैं। वह यह है कि रेन्ट इन काइन्ड आज भी लिया जाता है कई जगह और रेन्ट इन काइन्ड के सिलसिले में जो शेयर में वह शेयर-डिटरमिन होता है। मारवाड़ टेनेन्सी एक्ट में किलयर कट प्रोवीजन है कि अगर इस सिलसिले में कोई डिस्प्यूट है तो काश्तकार तहसीलदार को आकर एप्लाई कर सकता है और तहसीलदार आदमी भेज कर करेक्ट शेयर डिटरमिन कर सकता हैं और वह रिलीफ प्राप्त करता है, लेकिन उसमें एप्लिकेशन के लिए एक फीस देनी पड़ती है और होता यह है कि एक जागीरदार के मातहत अथवा एक जमींदार के मातहत कई किसान होते हैं, सब का एक किस्म का वक्रेश्चन होता है। एक ही गांव से उसका संबंध होता है फिर भी सब अलग २ केशन करें उनको अलग अलग केस लडने के ऊपर मजबूर करें। वह न केवल इम्प्रेक्टिकेबल अव्यवहारिक है, बल्कि अन्याय पूर्ण भी है। ऐसी हालत में जहां कहीं भी इन्डिविजुअल एप्लिकेशन का इस प्रकार का अधिकार दिया है वहां यह भी अधिकार दे देना चाहिए कि यदि एक ही गांव के रहने वाले किसान यह चाहें कि सामुहिक रूप से इस प्रकार की अर्जी करें तो वह कर सकते हैं और उनकी उस एप्लिकेशन को or one application ट्रीट किया जाय कोर्ट फी के सिलसिले में एक एप्लिकेशन ट्रीट की जाय। मेरा ख्याल है कि जिन परिस्थितियों का मैंने जिक्र किया है उनको देखते हुए इस क्लॉज़ को मन्जूर कर लिया जाय, और व्यवहारिक दृष्टि से और सहूलियत की दृष्टि से वह चीज़ कर ली जायगी। इतना ही कहते हुए मैं अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूँ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—माननीय उपाध्यक्षजी, जो संशोधन अभी वक्ता ने पेश किया है, अब तक की क्लॉज़ेज़ में जो प्रोवीज़न्स दिये हुए हैं उसके अलावा इस प्रकार का क्लॉज़ है कि अगर ग्रुप ऑफ विलेजर्स, एक ही गांव के रहने वाले हैं, वे चाहें तो सब के सब मिल कर एक ही दावा कर सकते हैं। अब यह इस तरीके से संबंधित क्लॉज़ हो जाता है और दूसरा रखने का मतलब एक प्रकार से हो सकता है कि अभी भी एग्रेज़मेन्ट की और दूसरी बातें

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

आती हैं, तो इस प्रकार की आवश्यकताओं के ऊपर सारे गांव का एग्रेजमेंट कराया जाता है, लेकिन इस प्रकार की क्लॉज़ अगर रखा गया है तो उसका अर्थ ठीक निकालने के बजाय गलत भी निकल सकता है......

श्री हरिकृष्ण व्यास—जैसे कि।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—उदाहरण के तौर पर सारी की सारी बातें दिमाग में आती नहीं हैं। दूसरे झगड़ों के लिए अलग अलग प्रोवीजन्स हैं। उनके साथ में सारों को मिला देना कोई वाजिब बात नहीं मालूम होती है। सारे गांव का कन्वेंश्चन होगा तो आज भी अटेचमेंट कराया जाता है। सारे गांव का अटेचमेंट कराया जाता है। इन्डिविजुअल एप्लिकेशन...

श्री हरिकृष्ण व्यास—इन्डिविजुएल एप्लिकेशन एक एक खेत की कराई जाती है; एक एक आदमी से अलग अलग फीस ली जाती है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—ऐसे कई उदाहरण हो सकते हैं। आज भी ला सकते हैं कि सामूहिक तौर पर एप्लिकेशन पर गवर्नमेंट की तरफ से एग्रेजमेंट कराया गया है। ऐसे कई उदाहरण हैं बिना किसी फीस के, बिना किसी एप्लिकेशन के। उस सिचुएशन में तो वे क्लॉजेज़ डील की जाती हैं, और की जानी चाहिए, लेकिन ऐसी क्लॉज़ रखने का मतलब यह हो जायगा कि हम इस तरह की बात पैदा करें कि सामूहिक मुकद्दमें तैयार करें तो वह उचित नहीं होगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—एक मिसाल तो देवें। माननीय उपाध्यक्षजी, कम से कम एक मिसाल तो ऐसी अवश्य दी जाय कि जिसमें इस क्लॉज़ के बराबर हो जायगा।

श्री उपाध्यक्ष—आप विद्ड्रा करना चाहेंगे ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—वैसे में जवाब देने का अधिकारी हूँ, लेकिन मैं अर्ज करूंगा कि मिसाल दे दें। अभी ज्यादा खयाल में नहीं आये, दस-बीस उदाहरण, लेकिन एक उदाहरण तो दें। मेरा यह दावा है कि एक भी मिसाल ऐसी नहीं दी जा सकती है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—वास्तव में मुझे नहीं मालूम था कि इतनी जल्दी यहां तक पहुँच जायेंगे, तो सोच कर आता। यह हमारे समझने की बात है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—तो पोस्टपोन कर दिया जाय, अगर आप सोचना चाहते हैं तो। तो आप मत ले लीजिये। मैं तो अपनी राय तब्दील नहीं करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री ए. के. व्यास ने नये क्लॉज के रूप में १९३ ए जोड़ने का प्रस्तुत किया है वह स्वीकार किया जाय ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—('हां' की आवाज जोर से करते हुए) हां, पक्ष जीता ।

श्री उपाध्यक्ष—'ना' पक्ष जीता ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—नहीं जीता । आवाज 'हां' पक्ष की ज्यादा थी ।

श्री उपाध्यक्ष—एक ही आवाज थी ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—आप खड़े करके मत ले लीजिए, ताकि दुनिया को पता चले कि किसने किस तरफ राय दी । फिर भी कहना चाहता हूं कि 'हां' पक्ष जीता ।

श्री उपाध्यक्ष—और कोई मदद में आया नहीं ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—लेकिन विरोध में कितने हैं, वह तय हो जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—'ना' पक्ष जीता । संशोधन अस्वीकार किया गया ।

(विराम)

क्लॉज़ १९४

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १९४ विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १९४ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

क्लॉज़ १९५, श्री जवानसिंह ।

श्री जवानसिंह—"The word 'knowingly' be added after the word 'person' and the word 'knowingly' be deleted form sub-clause (i)."

माननीय उपाध्यक्ष, यह एक बहुत ही साधारण सा संशोधन है क्लाज १९५ में और वह है कि यहां पर जो शब्द Knowingly रखा गया है, सब क्लॉज (१) के शुरू में रखा गया है उसके लिए मेरा निवेदन है कि यह शब्द 'नोइंगली, परसन' के साथ में लगा दिया जाय, ताकि यह शब्द और

[श्री जवानसिंह]

तमाम दूसरी आगे आने वाले सब क्लॉजेज़, १, २, ३, ४, ५ आदि इन तमाम के लिए लागू हो जाय। यहां पर यह शब्द 'अननोइंगली' क्वालिफाई करता है केवल सब क्लॉज़ (१) को और यहां पर असलियत में होना चाहिए इसका क्वालिफिकेशन तमाम १, २, ३, ४ और ५ सब क्लॉज़ के लिए।

मैं यह मानता हूँ कि यह शब्द 'नोइंगली' केवल एक विशेष प्रकार के इंडिविजुएल एक्जेक्शन्स के लिए लागू किया है, इसलिए मैं नहीं मानता हूं कि उसे २, ३, ४ और ५ सब क्लॉजेज़ में एक्जेक्शन्स हो, उनके लिए भी वही क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। मगर जान बूझकर उन्होंने इस तरह की कोई गलती की गई है, जैसा कि सब क्लाज़ २, ३, ४ और ५ में बतलाया गया है तो उस सूरत में १००) रु० तक जुर्माना हो सकेगा अलावा उसके जो उन्होंने फिजीकल एक्जेक्शनन्स किया है। उसको राइट दिया जाय। यह जो शब्द है 'नोइंगली' वह तमाम क्लाजेज के, १, २, ३, ४ और ५ के लिए लागू होना चाहिए। यही सदन की इच्छा है, इसलिये इस शब्द को सब क्लॉज़ (१) में से हटाकर ऊपर की क्लॉज़ में रख दिया जाय।

'If any person knowingly'

उसके बाद में आयेगा कि "(i) collects any sum or produce in excess of the amount due as an arrear of rent or sayar, or" उसके बाद में दूसरा क्लॉज़ आयगा "(ii) charges interest on an arrear of rent at a rate exceeding that allowed by this Act;"

इस तरह से इस शब्द को मिसप्लेस किया गया है, अगर उसको ऊपर रख दिया जाय तो वह स्पष्ट हो जायगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय उपाध्यक्षजी, छोटा सा संशोधन सिरोही से आने वाले माननीय मित्र ने प्रस्तुत किया है, मैं उसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूँ और 'नोइंगली' विरोध कर रहा हूं। इस सूचना के लिए, वास्तव में इस शब्द 'नोइंगली' के बारे में जो मेरे माननीय मित्र का एतराज है, तो वह इस शब्द को सारी की सारी क्लॉज़ से हटा देने के लिए अगर सिफारिश करते तो बहुत ठीक था। उसका समर्थन भी मैं कर देता, लेकिन उनका यह कहना है कि सब क्लॉज़ (१) में नहीं लगा कर और सारी की सारी क्लॉज को एक तरह से क्वालिफाई करने के रूप में "If any person knowingly" इस रूप में लगाया जाय तो वह सारी क्लॉज को एक तरह से नोचा जा रहा है। जहां तक पार्ट "(१) collects any sum or produce in excess of the amount due..." का सवाल है तो उस में कुछ थोड़ी सी गुन्जायश रह सकती है। एक आदमी यह समझ

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

बैठे कि वह चार मन का एन्टाइटल्ड है और उसमें दरअसल में वह एन्टाइटल्ड है तीन मन का, तो वहां पर 'नोइंगली, शब्द का तात्पर्य यह है कि इन्टेन्शनली वह ख्याल में लाया जायगा। लेकिन बाकी के जो भाग हैं २,३,४,और ५, उनमें आप अगर यह लगाते हैं, उपखंड (२) में है कि "charges interest on an arrear of rent at a rate exceeding that allowed by this Act" तो मैं मेरे माननीय मित्र से पूछना चाहुँगा कि unknowingly how can you charge interest in excess of the rate prescribed; tell me that? यानी आप एरियर ऑफ रेन्ट के ऊपर इन्ट्रेस्ट चार्ज कर रहे हैं। एक्ट में जो रेट लिखी है उससे ज्यादा चार्ज कर रहे हैं। वह अननोइन्गली कर रहे हैं। How is it ever possible for a man unknowingly to do it?

जब कि रेट लगी हुई है उससे इन्ट्रेस्ट चार्ज करना काफी बड़ा मामला है। वहां इन्टेन्शन इज प्रज्यूम्ड इस प्रकार से तो यह भी कोई आदमी करेगा तो अननोइन्गली नहीं करेगा नोइन्गली ही करेगा अलबत्ता सब क्लॉज़ (iii) में "infringes the provisions of section 20 or collects any sum by way of premium or cess which is irrecoverable under the provision of section 20 & 21" इसमें थोड़ी सी और गुन्जाइश रहती है माननीय उपाध्यक्ष, किसी में कुछ लेना देना बाकी है और एक आदमी आया और पैसे दे गया। उसने साफ नहीं बताया कि ये रेन्ट के पैसे हैं या उधार के हैं। आप इसकी ओर गौर फरमावें तो सब पार्ट (५) में कुछ और लिखा है:

"Without any reasonable cause credits a payment made towards rent"

थोड़ी भी गुन्जाइश तो नहीं है। यह लिखा गया कि इन्टेन्शन को ध्यान में रखा जाय। लेकिन रेन्ट ज्यादा चार्ज करे, इन्ट्रेस्ट चार्ज करे, सेस या प्रीमियम ले और फिर नोइंगली कोई तमाचा मारे और फिर कहे कि अननोइन्गली तमाचा मारा है; इन सब बातों को देखते हुए मेरी दरख्वास्त है कि इसे अस्वीकार किया जाय।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं समझता हूं सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने जब अपनी बातें कहीं तब जानते हुए ही कहीं होंगी।

श्री हरिकृष्ण व्यास—Knowingly.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं रिपीट करना नहीं चाहूंगा। इसको स्वीकार करना संभव नहीं है। माननीय सदस्य ने स्पष्ट कर दिया है। मैं समझता हूँ, सब नोइंगली ही होती हैं। अननोइंगली ये इस तरह की बातें हो नहीं सकतीं। इसलिये मैं समझता हूं कि जैसी धारा है उसको उसी रूप में स्वीकार किया जाय।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मेरा संशोधन प्रस्तुत कर दूं, माननीय उपाध्यक्ष।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—आपका भी क्या संशोधन है?

श्री हरिकृष्ण व्यास—मेरा भी अमेन्डमेन्ट है।

श्री उपाध्यक्ष—अभी हाल में ही आया है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैं अपना संशोधन प्रस्तुत कर दूं, या पहले समय का जो सवाल आया है उसको पहले तय कर लें?

श्री उपाध्यक्ष—पहले क्लॉज़ को खत्म करलें।

श्री जवानसिंह—अभी मुझे उसका उत्तर देना है, उसमें काफी समय लगेगा। मैंने निवेदन किया कि मुझे प्रत्युत्तर देना है, बाद में समय नहीं रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष—समय रह जायगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मेरा संशोधन यह है...

श्री जवानसिंह—इस समय कोई स्टेज नहीं है कि संशोधन पेश किया जाय। जब मंत्री जी ने जबाब दिया उससे पहले संशोधन मूव हो सकता था। अब इजाजत नहीं दी जा सकती।

श्री हरिकृष्ण व्यास—वह तो आपके संशोधन का उत्तर था।

श्री जवान सिंह—सदन की इच्छा है कि मैं अपना संशोधन वापिस ले लूं।

श्री उपाध्यक्ष—क्या सदन की इजाजत है कि श्री जवानसिंहजी को अपना संशोधन वापिस लेने की अनुमति दी जाय?

(स्वीकृत)

संशोधन वापिस लेने की अनुमति दी गई।

श्री जवानसिंह—मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १६५ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १६५ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

अब प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १६६ स्वीकार किया जाय ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—मेरा क्लॉज़ १६५ ए. बुनियादी है। आपने कहा था कि मैं संशोधन पेश कर सकता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—क्या १६५ ए. ?

कुं श्री जसवन्त सिंह—On a point of order, Sir, we have not seen what hi amendment is and therefore I take objection to it.

श्री उपाध्यक्ष—I dis allow.

कुं श्री जसवन्त सिंह—मैं उसको चेलेन्ज नहीं करता, लेकिन मेरे इधर बैठने वाले माननीय मित्रों को और उधर बैठने वाले माननीय मित्रों को भी इस पर एतराज होगा क्योंकि दिन के टाइम्स में कई तरह की अड़चन आती है।

श्री उपाध्यक्ष—यह डिस्क्रीशनरी है।

कुं श्री जसवन्त सिंह—That is for the chair.

श्री विशम्भरनाथ जोशी—To be decided in every particular case.

श्री उपाध्यक्ष—यह डिस्क्रीशनरी है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मेरा ख्याल है कि इस तरह की चीजों में डिस्क्रीशन नहीं. अख्तियार किया जाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—सदन जरुरत नहीं समझता है तो....

कुं श्री जसवन्तसिंह—सदन की जरूरत की बात तो दूसरी है।

सदन की बैठकों का समय निश्चित करने सम्बन्धी वाद-विवाद

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या मैं अपने पोइन्ट ऑफ ऑर्डर को प्रस्तुत करूं ?

श्री उपाध्यक्ष—क्योंकि कल के लिये टाइम निश्चित कर दिया गया है, कल यही समय रखना या नहीं, इस पर दुबारा विचार कर लेंगे।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह बहुत बड़ा कानूनी पोइन्ट है।

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल—सदन का समय निश्चित करने का अधिकार सदन के माननीय सदस्यों को है।

श्री विशम्भरनाथ जोशी—(अश्रव्य)

कुं० श्री जसवन्त सिंह—जहां तक रूल्स ऑफ प्रोसीजर का सवाल है हम लोग मानते हैं कि स्पीकर को समय निश्चित करने का पूरा अख्तियार है, क्योंकि रूल्स ऑफ प्रोसिजर एन्ड कन्डक्ट ऑफ बिजनेस साफ कहते हैं:—

"Meetings of the Assembly shall subject to the direction of the Speaker ordinarily commence at 8.30 A. M. and conclude at 12.30 P. M.

Subject to the direction—"

उनको पूर्ण अधिकार है, यह हम मानते हैं, परन्तु फिर भी मामूली तौर पर स्पीकर निर्णय पर पहुँचते हैं तो जो मेम्बरों को सुविधाजनक होता है उसी निर्णय पर पहुँचते हैं। जहां तक इस सदन के मेम्बरों का सवाल है उनका खयाल है कि इस बिल में अच्छी प्रोग्रेस की है। कल तक यह बिल खत्म भी हो जायगा और पास भी हो जायगा तो ऐसी सूरत में ११ से ५ तक सदन क्या करेगा, न तो ज्यादा काम ही रहेगा और इन्कन्विनियेन्ट भी रहेगा। जब तक कि लंच के लिये, खाने के लिये समुचित प्रबन्ध न हो, जिनको ११ बजे के बाद खाने की आदत है उनको बड़ी इन्कन्विनियेंस रहेगी।

स्पीकर को पूर्ण अधिकार है, वह समय नियत कर सकते हैं, पर सारी स्थिति को देखते हुए और जो प्रोग्रेस हमने की है उसको देखते हुए साढ़े आठ से साढ़े बारह तक सदन मीट करे, यही कन्वीनियेंट रहेगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह जो नोटिस दिया गया है वह विदाउट जुरिस्डिक्शन है। रूल्स ओफ प्रोसीजर के रूल १८ में यह है :"Meetings of the Assembly shall subject to the discretion of the Speaker......"

कुं० श्री जसवन्तसिंह— What discretion ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—I am actually reading the Rule.

"...... subject to the direction of the Speaker ordinarily commence at 8.30 A. M. and conclude at 12. 30. P.M."

इसका तात्पर्य यह हुआ कि अमूमन साढ़े आठ से साढ़े बारह तक सदन की बैठक होगी। जब तक कि माननीय अध्यक्ष कोई और तरह का आदेश न दे दें। जो नोटिस हमें मिला है उसकी सूचना मनसाराम पुरोहित, सचिव, राजस्थान विधान सभा ने दी है। परिपत्र संख्या ५३ में यह कहा गया है कि "मुझे यह सूचना देने का आदेश प्राप्त हुआ है"। लेकिन परिपत्र जो कि १२ अक्टूबर को ११ से ५ सांयकाल तक का सदन का समय रखने बाबत दिया गया है, उसमें एक कोई मन्सांराम पुरोहित ने सूचना दी है, वह सदन के ऊपर कोई बंधन नहीं है। न उन्हें यह सूचना देने का अधिकार ही है। यह विदाउट जूरिस्डिक्शन है और इल्लीगल है। यह मेरा पोइन्ट ऑफ ओर्डर है। इस पर आप रूलिंग दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—मैं और सदस्यों की राय जानता चाहूँगा।

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल—मैं माननीय उपाध्यक्ष को एड्रेस कर सकता हूँ, न कि तीन साहबान को एक साथ। (हंसी)

माननीय उपाध्यक्ष, जो पोइन्ट ओफ आर्डर श्री एच. के. व्यास ने उपस्थित किया है, उस पर तो आप अपना निर्णय देंगे ही...

श्री जवानसिंह—माननीय उपाध्यक्ष, कार्यवाही स्थगित हो चुकी है।

श्री उपाध्यक्ष—मैं मिनिस्टर साहबान की राय जानना चाहूँगा।

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल—मुझे यह कहते हुए खेद है कि इस सदन में मिनिस्टर साहबान एक सदस्य से ज्यादा कोई हैसियत नहीं रखते।

श्री उपाध्यक्ष—आप अपनी राय प्रकट करें।

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल—जो पोइन्ट ऑफ ओर्डर उपस्थित किया है, उसका निर्णय तो आप देंगे परन्तु आपने यह आज्ञा दी कि हाउस की क्या सम्मति है, तो मैं यह राय प्रकट करना चाहता हूँ कि जैसा कि बहुत ही लम्बी वक्तृता में माननीय लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने बतलाया, यह उपयुक्त नहीं होता कि सदन का समय ११ से ५ तक रखा जावे। इसलिये मैं अपनी सम्मति यहां उपस्थित करना चाहता हूँ। समय तो जैसा रूल्स ऑफ प्रोसीजर में साढ़े आठ से साढ़े

[श्री गुलाबचन्द कासलीवाल]

बारह रखा गया है वही अत्युत्तम है, फिर भी यदि समय बढ़ाना है तो वह ८ बजे सुबह से १ बजे तक कर दिया जावे ।

श्री उपाध्यक्ष—और कोई सदस्य ?

श्रीमोतीलाल चौधरी—(शाम को ७ बज कर ५६ मिनिट पर श्री अध्यक्ष पुनः पदासीन) माननीय अध्यक्ष, जो हमें नोटिस मिला, ११ से ५ बजे तक का हाउस का अधिवेशन होगा, इसके बारे में एक पोइन्ट ऑफ आर्डर माननीय सदस्य जोधपुर से आने वालों ने रखा है और ऑपोजिशन के लीडर तथा जयपुर खास से आने वाले माननीय सदस्य ने अपने विचार सदन के समक्ष रखे, मैं भी अपने विचार, जैसा कि अभी उपाध्यक्ष महोदय ने सदन की राय के लिये फरमाया, प्रकट करना चाहता हूं । सदन का समय या तो रूल्स ऑफ प्रोसिजर के अन्दर दिया हुआ है, उसी माफिक होना चाहिये या उसमें परिवर्तन हो तो हाउस की राय पूछी जाना आवश्यक है । इस प्रकार की दृष्टि से हाउस का कोन्फीडेन्स लेकर, हाउस की राय लेकर, करना उचित था । किन्हीं कारणों से ऐसा किया गया है कि सदस्यों से ज्यादा काम लिया जाय और मिनिस्टर महोदयों का काम जो सेक्रेट्रियेट में होता है, हाउस में ही करें, यह रखें तो ठीक नहीं होगा । मेरी राय है कि हाउस का बिजेनस इतना बड़ा नहीं है कि जिसके लिये ११ से ५ बजे तक का सदन का समय लिया जाय । इसलिये मेरी यह राय है कि सदन का समय ८ से १२ ही रहना चाहिये ।

राजस्थान कृषि-भूधारण विधेयक, १६५३

(पुनः क्रम से)

श्री अध्यक्ष—Yes, I now put clause 196 to vote. About this matter, I will deal later.

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १९६ विधेयक का अंग बने ?

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १९६ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

श्री मुक्तिलाल मोदी—साहब आपने बीच में ही क्या कानून लगा दिया ?

श्री अध्यक्ष—आप गैर हाजिर दिमाग थे क्या ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—जब कि समय समाप्त होगया है....

श्री अध्यक्ष—When the Chair is on his legs nobody should stand. (Shri Vyas again stood,) Order Please!

१९६ ए इसके अमेंडमेंट सर्कुलेट हो गये हैं ?

(आवाज, 'नहीं')

सदन की बैठकों का समय निश्चित करने सम्बन्धी वाद विवाद (क्रम से)

I want to know about the time और मुझे अभी वहां पता चला कि समय के बारे में कुछ लोगों को बड़ा रिज़ेन्टमेंट है और इसके बारे में पोइन्ट ऑफ आर्डर भी उठाया गया है। मैं ऐसी चीज़ के लिये पोइन्ट ऑफ ऑर्डर का उठाया जाना आवश्यक नहीं समझता। मुझे मालूम नहीं कि ट्रेजेरी बैंचेज़ की क्या मंशा है, सरकार क्या चाहती है। यह जो किया गया है वह लीडर ऑफ दी हाउस के कहने से किया गया हैं, इस पर वे अपनी राय बतलादें कि कौनसा समय चाहते हैं, उसके अनुसार कर दिया जावेगा। हमको कोई आपत्ति नहीं है और न माननीय सदस्यों को भी कोई किसी प्रकार की आपत्ति होनी चाहिये।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—माननीय अध्यक्ष, मैं समझता हूं कि लीडर ऑफ दी हाउस आज यहां पर उपस्थित नहीं है। इस स्थिति में उनके कहने पर यह समय तय किया गया इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर कल हम ११बजे से ५ बजे मीट करें उसके बाद अगर रद्दोबदल करना होगा वह उनसे सारी बातें करने के बाद ही हो तो मैं समझता हूं कि ज्यादा अच्छा होगा।

श्री अध्यक्ष—If the Treasury Benches want time from 8. 30 to 1 I can change it so. If they want it form 11 to 5 I can also change it so.

माननीय सदस्यों को इस बारे में कोई इस सचिवालय के कर्मचारियों या चेअर के प्रति किसी प्रकार का रोष नहीं होना चाहिये कि समय हमारे अनुसार नहीं हुआ और न कोई इस संबन्ध में गलतफहमी होनी चाहिये, लेकिन एक ऐसा हमारे पास इन्टीमेशन आया कि लोग बहस के लिये ज्यादा समय चाहते हैं। अब भी आप चाहें तो ८ बजे से १२ बजे या ८-३० से १२-३० का समय रखा जा सकता है इसके बारे में feeling high करने की कोई जरूरत नहीं।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—अगर रूल्स के अनुसार माननीय अध्यक्ष इस समय को मुकर्रर करते तो हमें कोई कहने की जरुरत नहीं थी। उसके अनुसार उनको अधिकार है, मामूली तौर पर ८।। से १२।। बजे तक या इसके अलावा और कोई समय का। परन्तु जैसा अभी मालूम हुआ है कि ट्रेजरी बैंचेज़ की तरफ से कहने पर यह समय बदला गया है तो ओपोजिशन की तरफ से मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष—This is a very trivial matter. We may meet from 8.30 to 1. There is no cause for discussion. We have wasted 15 minutes of the House during which we would have transacted other important business.

कु'० श्री जसवन्तसिंह—हमने इस बात पर कन्सल्ट नहीं किया। अब तक यह परम्परा रही है...

श्री अध्यक्ष—That I have heard.

कु'० श्री जसवन्तसिंह—This is a new point.

श्री अध्यक्ष—No, no. The business of the House is decided by the Speaker in consultatoin with the Leader of the House. So far as the Leader of the House is concerned I presume he has consulted the Leader of the Opposition.

कु'० श्री जसवन्त सिंह—I have not been consulted.

श्री अध्यक्ष—If the Leader of the Opposition still have any grievance it matters very little for me. But why should my Secretariat be involved ? I resented and that is why I need come here. I would request the Hon'ble Members not to involve my secretariat in such trivial matters. I have that authority and if I exercise that authority I do it on my own account. It matters very little if we sit from 8. 30 to 1.

कु'०श्री जसवन्तसिंह—On a point of convention, Sir, if the House decided...

श्री अध्यक्ष—No covention. We have been meeting on many occasions at different times. About the meeting there can be no point of order. There can be no convention. We have decided, the Hon'ble Member from Bikaner he had proposed that we should sit from 8 A. M. to the whole night. So the House can decide any way.The House has confidence in the Chair and the Chair always acts according to the wishes of the members. What I want to know is whether. The Hon'ble Members want the time to be from 8 to 1 from 11 to 5 ?

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल—I would request to ascertain the sense of the House.

श्री अध्यक्ष—That is not a matter of division. This is a wrong precedence that on all little things we go to division. That is all wrong. But I think, so far as the Treasury Benches exist and the Leader of the Honse is there the Speaker should be left free to consult the Leader. But if the Hon'ble Member wants that the Leader should not be consulted, then that is a different matter,

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल—Mr. Speaker, I never suggested that.

श्री अध्यक्ष—What I want to know from the House is I want to know the veiws, The Hon'ble Member wants the time from 8 to 12, That is his view. But I have just asked the Treasury Benches. They wanted it from 11 A. M. to 5 P. M.

कुं० श्री जसवन्तसिंह—But if the Treasury Benches experssed their view...

श्री अध्यक्ष—If they agree to meet from 8 to 12 I will declare, I will declare here just now. There should be no dispute about it. I can declare 8 to 12 as he time.

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल—That is a request form the Treasury Benches.

श्री अध्यक्ष—This request must come before us. Instead of casting aspersions on the staff and the Chair they ought to have requested the Treasury Benches.

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल—I am sorry to say that there is no provision in the rules for making a request to the Treasury Benches.

श्री अध्यक्ष—That is not the way. The Leader of the House has already een consulted, I have explained my view. I am very sorry to say that, that is the oint on which I have failed to...

कुं० श्री जसवन्तसिंह—We are also very sorry that we are misunderstood. The position is very simple and clear. If the Speaker in his discretion and direction appoints time, there was noting for us to aggrieve. But if one party is consulted and theo ther party is not...

श्री अध्यक्ष—What is the major action taken ? One thing I want to make clear is that the top priority work is Assembly Business and no Member can object that this time is not suitable to him. I want to make clear that there is no important work than the business of the House. If any Member is put to any inconvenience, well I am not going to admit it nor conceive it. But for convenience sake we might meet at such time as would enable the large number of Members to come and attend partake in the discussions and contribute their views. But I am not prepared to admit if they want to say, 'we are unable to attend at this time'. I can only say that the Hon'ble Members should make conveneint any time that this House decides to meet

कुं० श्री जसवन्तसिंह—The point arisen is this. Certainly we...

श्री अध्यक्ष—This is the thing we have decided.

कुं० श्री जसवन्तसिंह—We can sit for hours and days and nights together but I fail to understand what is the work for tomorrow ?

श्री अध्यक्ष—Ofcourse I am not concerned with that.

कुं० श्री जसवन्तसिंह—And that is the main point.

श्री हरिकृष्ण व्यास—(अश्रव्य)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—माननीय अध्यक्ष, मैं समझता हूँ कि इस पर काफी वाद-विवाद चल रहा है जो नहीं चलना चाहिये था और माननीय चेयर पर भी इस संबन्ध में गलतफहमी पैदा हो रही है। मैं समझता हूं कि आपने जो बातें बताई हैं उससे काफी स्पष्ट हो गया है कि लीडर ऑफ दी हाउस के साथ बातचीत करने के बाद यह समय निश्चित हुआ है, और वह इसलिये कि ज्यादा से ज्यादा समय मिले और बिलों को पास कर सकें। आज काफी बिजनेश कन्डक्ट हो गया है, और वैसी स्थिति में सदन यह चाहता है कि ८ बजे से १२-३० तक मिलें तो हमें कोई एतराज नहीं होगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—आपकी आज्ञा से......

श्री अध्यक्ष—We now adjourn to to-morrow at 8.

श्री हरिकृष्ण व्यास—(अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष—I am changing that order. As a matter of fact there was no point of order. That was a point of disorder.

कुं० श्री जसवन्तसिंह—Thank you, Sir.

श्री अध्यक्ष—Now we disperse and we will meet and if necessary we will continue upto 1.00 or 1.30......

कु० श्री जसवन्तसिंह—Certainly, whole day.

(सदन की कार्यवाही रात्रि के ८ बजकर, ११ मिनट पर, दिनांक १२ अक्टूबर, १९५४, के ८ बजे तक के लिए स्थगित हुई । (मध्यान्होत्तर)

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक ११ अक्टूबर, १९५४

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा ।

परिशिष्ट

(तारांकित प्रश्नोत्तर जो कि सम्बन्धित प्रश्नकर्त्ताओं की अनुपस्थिति में सदन की मेज पर रखे गये तथा जिनके प्रकाशित कराने की सम्बन्धित मंत्री महोदयों की अनुमति है।)

प्रश्न

१६५३ (३९५ आर. एम.) श्री हनुवन्तसिंह एम. एल. ए., डिविजन नम्बर ५०—क्या कृषि मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या सरकार जिला जैसलमेर में पशु सुधार के हेतु कोई कदम उठायगी ?

(ख) क्या कोई गौशाला भी खोलेगी ?

उत्तर

(क) फिलहाल कोई योजना नहीं है।

(ख) गौशाला खोलना सरकार का कार्य नहीं है।

प्रश्न

१६५९. (३४८ इ. एम.) श्री रामदयाल उपाध्याय, एम. एल. ए., डिविज़न नम्बर १२३—क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) शाहपुरा में इन्टर कालेज कब तक खोला जायेगा ?

(ख) क्या जहाजपुर में सरकार शीघ्र ही एक छात्रावास बनवा रही है, यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(क) शाहपुरा में इन्टर कॉलेज़ खोलने की अभी कोई योजना नहीं है। यहां पर इन्टर कालेज़ खोलने के प्रश्न पर अन्य स्थानों पर इन्टर कॉलेज़ खोलते समय इसकी उपयुक्तानुसार विचार किया जावेगा।

(ख) जहाजपुर में छात्रावास खोलने की अभी कोई योजना नहीं है।

प्रश्न

१६६० (३४९।इ. एम.) रामदयाल उपाध्याय, एम. एल. ए., डिविजन नम्बर १२३—क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) राजस्थान से विकास योजना की ट्रेनिंग के लिये कितने अध्यापक पूना भेजे गये ?

(ख) उनकी ट्रेनिंग में कितना व्यय हुआ ?

(ग) अब वे अध्यापक क्या कर रहे हैं ?

उत्तर

(क) शिक्षा विभाग की ओर से कोई अध्यापक विकास योजना की ट्रेनिंग के लिये पूना नहीं भेजा गया ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

शुद्धि-पत्र

११ अक्टूबर, १९५४

१—कृपया पृष्ठ संख्या ६५४१ के प्रारम्भ में शब्द 'अक्तूबर' के स्थान पर शब्द 'अक्टूबर' पढ़ें ।

२—कृपया पृष्ठ संख्या ६५६५ के शीर्ष पर शब्द 'स्थागन' के स्थान पर 'स्थगन' पढ़ें ।

३—कृपया पृष्ठ संख्या ६५७५ के अन्तिम पेरा की पंक्तियें ३ व ५ में शब्द 'कोर्स' व 'कों' के स्थान पर क्रमानुसार 'फोर्स' व 'क्यों' पढ़ें ।

४—कृपया पृष्ठ संख्या ६३६३ के शीर्ष पर शब्द 'सम्बन्धि' के स्थान पर शब्द 'सम्बन्धी' पढ़ें ।